सत्यमेव जयते

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2014-15

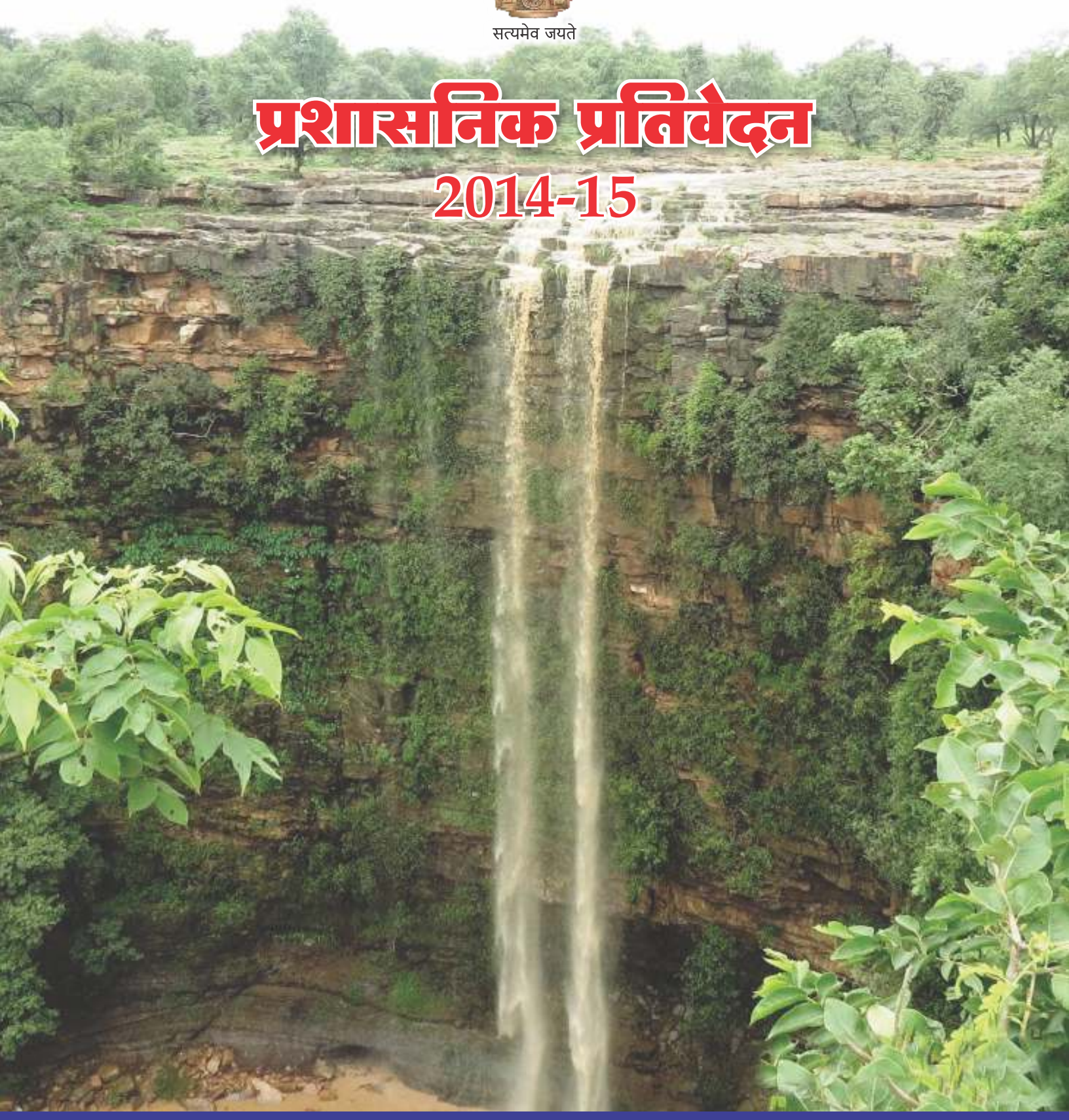

वन विभाग, राजस्थान

माननीया मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे चित्तौड़गढ़ में पौधारोपण करते हुए (22–8–2014)

माननीया मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे ग्राम डागला (बांसवाड़ा) में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए (19–8–2014)

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2014-15

वन विभाग, राजस्थान

http://www.rajforest.nic.in

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
●	प्राक्कथन	iii
●	वन विभाग : एक नजर में	iv
●	विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त	v-vi
●	वर्ष 2014–15 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट	vii
●	नीतिगत दस्तावेज के संकल्पों (सुराज संकल्प–2014) की क्रियान्विति के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति)	viii-xiv

अध्याय

1.	राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय	1–4
2.	प्रशासनिक तंत्र एवं कार्य प्रणाली	5–14
3.	वन सुरक्षा	15–17
4.	वानिकी विकास	18–42
5.	मृदा एवं जल संरक्षण	43–45
6.	मूल्यांकन एवं प्रबोधन	46–48
7.	वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्धन	49–54
8.	कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त	55–58
9.	वन अनुसंधान	59–62
10.	विभागीय कार्य	63–65
11.	तेन्दू पत्ता योजना	66–67
12.	सूचना प्रौद्योगिकी	68–70
13.	मानव संसाधन विकास	71–74
14.	सम्मान एवं पुरुस्कार	75–76
15.	संचार एवं प्रसार	77–79
16.	सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध	80–85
17.	परिशिष्ट	86–98

प्राक्कथन

हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही वनों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। नदी, सरोवर, पर्वत, वन एवं वृक्षों, वन्यजीवों आदि को देवताओं से जोड़ा जाकर पूजनीय स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति को अरण्य संस्कृति भी कहा जाता है। गत कुछ सदियों में आधुनिक युग में प्रवेश के साथ औद्योगिक विकास के कारण वनों का ह्रास हुआ है तथा पर्यावरण सन्तुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जिसके कारण जलवायु परिवर्तन से मानव अस्तित्व को खतरे के साथ-साथ प्रदेश की जनता को सूखे व अकाल की समस्या, असामयिक वर्षा, अतिवृष्टि आदि का सामना भी करना पड़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को कम करने, पर्यावरण सन्तुलन एवं पारिस्थितिकीय सुरक्षा को महत्व प्रदान करते हुए विभाग द्वारा वन संरक्षण एवं विकास की अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। पर्यावरण एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से वर्तमान में प्रदेश में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, फेज-।। का क्रियान्वयन 15 जिलों में तथा नाबार्ड वित्त-पोषित योजना के अन्तर्गत 17 जिलों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण एवं भू एवं जल संरक्षण कार्य कराए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में नाबार्ड योजना के Phase-II अन्तर्गत राशि रुपये 282.34 स्वीकृत कराई गई है। इसके अन्तर्गत 43000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण, तथा भू एवं जल संरक्षण कार्य कराए जाने का प्रावधान किया गया है।

वनों की सुरक्षा, विकास एवं प्रबन्धन में स्थानीय निवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका होने से ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया जाकर स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इन समितियों के माध्यम से सदस्यों की आय में बढ़ोतरी करने हेतु स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वन उपज आधारित आय सृजन गतिविधियों जैसे हरबल गुलाल, औषधीय वन उत्पाद, ऐलोवेरा ज्यूस, अगरबत्ती निर्माण तथा बांस आधारित उत्पादों का निर्माण आदि का संचालन किया जा रहा है व इन उत्पादों के विपणन में सहयोग किया जा रहा है। वृक्षारोपण आदि विकास कार्यों के सम्पादन भी इन समितियों के माध्यम से कराए जा रहे हैं। प्रदेश में कुल 5620 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों/Eco-development Committee (EDC) का गठन किया गया है।

सीधी-भर्ती के माध्यम से 148 वाहन-चालकों को नियुक्त दी जाकर फील्ड स्तर तक के गश्ती वाहनों के लिए चालक उपलब्ध कराए जाकर वन सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है एवं वनों के सीमांकन, अमल दरामद कार्य व स्थानीय सीमा विवाद संबंधी समस्याओं के त्वरित निपटान हेतु 46 सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं।

रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में गाँवों के विस्थापन कार्य को गति दी जा रही है। माचिया बायलॉजिकल पार्क, जोधपुर एवं सज्जनगढ़ बायलॉलिकल पार्क का कार्य पूर्णता की ओर है। इन्हें शीघ्र ही आमजन के लिए खोले जाने का प्रयास किए जा रहे हैं।

विभाग अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग की गतिविधियों का पूर्ण विवरण प्रति वर्ष सभी की जानकारी हेतु प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में विभाग का चालू वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन आपके हाथों में है। इस प्रतिवेदन को बनाने, सामग्री एवं छायाचित्र उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा योगदान दिया गया है । एतदर्थ वे सभी साधुवाद के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है कि प्रतिवेदन सभी के लिए उपयोगी होगा।

(राहुल कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स)
राजस्थान, जयपुर

वन विभाग : एक नजर में

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किमी.
प्रदेश का कुल वन क्षेत्र	:	32,744.487988 वर्ग किमी.
आरक्षित वन क्षेत्र	:	12,439.263263 वर्ग किमी.
रक्षित वन क्षेत्र	:	18,263.022895 वर्ग किमी.
अवर्गीकृत वन क्षेत्र	:	2,042.201830 वर्ग किमी.
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र	:	9.57
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला	:	करौली (32.77%)
न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला	:	चूरू (0.43%)
प्रदेश का कुल वनावरण (2013)	:	16,086 वर्ग किमी.
वृक्षावरण	:	7,860 वर्ग किमी.
वनावरण एवं वृक्षावरण	:	23,946 वर्ग किमी.
राज्य पशु	:	चिंकारा एवं ऊंट
राज्य पक्षी	:	गोडावण
राज्य वृक्ष	:	खेजड़ी
राज्य पुष्प	:	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	:	3
वन्य जीव अभयारण्य	:	26
बाघ परियोजनाएं	:	3 (रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकुन्दरा हिल्स)
महत्त्वपूर्ण पक्षी स्थल	:	24
रामसर स्थल	:	2 (घना पक्षी विहार एवं सांभर झील)
संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व)	:	10
कुल प्रादेशिक मण्डल	:	38
वन्य जीव मण्डल	:	16
विभागीय कार्य मण्डल	:	5
कार्य आयोजना अधिकारी	:	7
भू–संरक्षण अधिकारी	:	7
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	145
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	429
अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	7
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	:	7,158
तकनीकी संवर्ग	:	675
मंत्रालयिक संवर्ग/कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	1002
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	:	413
वर्क चार्ज कार्मिक	:	6,229
ग्राम्य वन सुरक्षा समितियां	:	5,620
ईको डवलपमेंट कमेटियां	:	270
स्वयं सहायता समूह	:	2,709
वनों का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान	:	₹ 1,71,465.00 लाख

विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त

वन विभाग के उत्तरदायित्व :

राजस्थान प्रदेश में वन विभाग, राजस्थान को निम्न कार्य आवंटित हैं :

- प्रदेश के उपलब्ध वन क्षेत्रों का संरक्षण एवं विकास।
- प्रदेश के वन्य जीवों का रक्षित क्षेत्र एवं रक्षित क्षेत्र से बाहर संरक्षण एवं विकास।
- प्रदेश के जैव संसाधनों की सुरक्षा एवं विकास।
- मरु प्रसार नियंत्रण
- जलवायु परिवर्तन को वन संसाधनों से नियंत्रित करने का प्रयास करना।
- वन प्रबंध में सभी भागीदारों व स्थानीय समुदायों की सहभागिता प्राप्त करना तथा उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ उपलब्ध कराना।
- सतत वन प्रबंधन
- पर्यावरण संतुलन के प्रयास करना।
- मृदा एवं जल संरक्षण
- वनों पर आधारित समुदायों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए क्षमता विकास एवं कौशल संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन।

लक्ष्य (Targets) :

राज्य वन नीति के अनुसार विभाग के आधारभूत लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

- मानव समुदाय की पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता से राजस्थान के प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण व विकास करना।
- इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं गैर काष्ठीय वन उपज की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में राज्य का हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजकीय एवं सामुदायिक भू–खंडों, निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि तथा गैर कृषि भूमि पर सघन वृक्षारोपण करना।
- वर्तमान व भावी पीढ़ी की मांगों की आपूर्ति के लिए सटीक प्रबन्धकीय उपायों व आधुनिक तकनीक के प्रयोग से वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
- मरुस्थलीय क्षेत्रों में शेल्टर बेल्ट, ब्लॉक वृक्षारोपण, टीबा स्थिरीकरण तथा कृषि वानिकी के माध्यम से मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण करना तथा सभी प्रकार की भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम करना।
- वन उपज विशेषकर गैर काष्ठीय वन उपज की प्रक्रिया मूल्य संवर्धन तथा विपणन की उचित सुविधाओं का विकास कर आदिवासियों व अन्य वन आधारित समुदायों की आजीविका सम्बन्धी आवश्यकताओं की आपूर्ति करना एवं इस प्रकार उनकी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करना।
- राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, 'कन्जर्वेशन रिजर्व' (संरक्षित क्षेत्र) तथा 'सामुदायिक रिजर्व' की संख्या में वृद्धि कर वानस्पतिक एवं वन्य जीवों तथा जीनपूल की विविधता को संरक्षित करना।
- जैव विविधता से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों यथा तृणभूमि, ओरण, नम भूमि आदि में जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबन्ध के साथ–साथ राज्य में दुर्लभ व लुप्त प्रायः वनस्पति व वन्य जीव प्रजातियों का स्थानिक व बाह्य–स्थानिक उपायों से संरक्षण करना।
- वानिकी के सतत् प्रबन्धन के लिए साझा वन प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से ग्राम समुदायों का सशक्तीकरण करना।
- वन उपज के श्रेष्ठतर उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए शोध आधारित वानिकी को सशक्त करना।
- उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने योग्य, शोध के परिणामों तथा प्रमाणिक तकनीकों का प्रसार व प्रसारण तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अनुषंगी सेवाएं उपलब्ध कराना।
- वानिकी कार्मिकों, ग्रामीणों व अन्य महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारों की तकनीकी व व्यावसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु जीवनवृत्ती नियोजन व विकास के सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से मानव संसाधन विकास का संस्थानीकरण करना।
- वन विभाग की कार्यप्रणाली में गहन सहभागी रणनीति का समावेश कर वन प्रबन्ध का उत्तरदायित्व पारम्परिक प्रबन्ध व्यवस्था के स्थान पर जन अनुकूल उपागमों पर हस्तान्तरित करना ताकि इसे महिलाओं की बढ़ती सहभागिता के साथ जन आन्दोलन बनाया जा सके।
- वन नीति का प्रमुख उद्देश्य हरित आवरण में वृद्धि कर पर्यावरणीय स्थिरता व पारिस्थितिक सुरक्षा करना।

वन प्रबन्ध के सिद्धान्त :

- इन लक्ष्यों को निम्न व्यापक सिद्धान्तों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा :–
- मौजूदा वन क्षेत्रों में सभी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेपों/दावों से पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। इन वनों का सतत् प्रबन्धन कार्य/प्रबन्ध योजना के माध्यम से किया जाएगा।
- स्थानीय समुदायों की भूमिका वन प्रबन्ध के केन्द्र में रहेगी। वन आधारित समुदायों व अन्य भागीदारों की चिन्ताओं, आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को एकीकृत करने के लिए सहभागी उपागम अपनाया जायेगा।
- संरक्षित क्षेत्रों व श्रेष्ठ वन्य जीव अधिवास क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्यों की अधिसूचना 'लैण्ड स्केप' आधार पर जन केन्द्रित उपागम अपनाकर पुनः जारी की जाएगी। ऐसे लघु क्षेत्र जिनमें अच्छे वन हों अथवा अधिवास हो तथा ऐसी शामलाती भूमि जहां वन्य जीवों की सघन उपलब्धता हो, को 'कम्यूनिटी रिजर्व' अथवा सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों का प्रबन्धन उस क्षेत्र हेतु अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अनुरूप किया जा सकता है।
- वनारोपण व चरागाह विकास के माध्यम से अकाल नियंत्रण कार्य वानिकी के केन्द्र में रहेंगे।
- राज्य वन विभाग, राज्य की जनता के वनों का संरक्षक है किन्तु वन पारिस्थितिकी तंत्र, विलुप्त व विलुप्ति के कगार पर पाई जाने वाली जैव विविधता, जो कि सतत् जीवन व आजीविका अर्जन के लिए महत्त्वपूर्ण है, की रक्षा का दायित्व सभी पर समान रूप से है। किन्तु यदि किसी मामले में लोक अभिरुचि में ऐसा संरक्षण नहीं किया जा सके तो क्षेत्र की जनता जिस उत्पाद व सेवाओं से वंचित हो रही हो उसका मुआवजा ऐसी गतिविधि प्रस्तावित किए जाने वाले से मांगा जाना चाहिए।
- 'सेक्टोरल' नीति व कार्ययोजना में पर्यावरणीय चिन्ताओं का समावेश कर वनों के हित में राज्य के अन्य राजकीय विभागों व लोकतांत्रिक संस्थाओं से समन्वय किया जाएगा।
- एक पारदर्शी, उत्तरदायी व जवाबदेह तथा गम्भीर व समर्पित मानव शक्ति तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना वाले वन प्रशासन पर बल।

रणनीति (Strategy) :

- राजकीय, सामुदायिक व निजी स्वामित्व वाले भू–खण्डों पर विस्तृत वनीकरण एवं चरागाह विकास कर राज्य का हरित आवरण 20% तक करना।
- वृक्षावली–वृक्षारोपण एवं टिब्बा स्थिरीकरण के माध्यम से मरु प्रसार की रोकथाम।
- जीव–जन्तुओं एवं वनस्पति का यथा–स्थान ***(in-situ)*** एवं बाह्य–स्थान ***(ex-situ)*** संरक्षण।
- कृषि वानिकी के माध्यम से गैर वनभूमि पर अधिकाधिक वृक्षों का रोपण।
- वन क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
- उन्नत तकनीक अपनाना तथा कार्यालयों का आधुनिकीकरण।
- वन क्षेत्रों का कार्य योजना के अनुरूप प्रबन्धन व प्रबन्ध योजना तैयार कर परिपक्व वृक्षारोपण क्षेत्रों के विदोहन उपरान्त पुनः वृक्षारोपण।
- प्रकृति–पर्यटन स्थलों के चिह्नीकरण उपरान्त, विकसित कर उन्हें विरासत–पर्यटन के साथ जोड़ना।
- मानव संसाधन विकास एवं क्षमता व दक्षता अभिवृद्धि।
- साझा वन प्रबन्धन का संस्थानीकरण व महिला सशक्तीकरण।
- जन समुदाय को वानिकी विकास के साथ जोड़ना। वन सुरक्षा एवं संवर्धन में बड़े पैमाने पर जनसहभागिता उपागम अपनाना।
- ''प्रदूषक चुकाए'' के सिद्धान्त का अनुपालन।
- बहुउद्देशीय प्रजातियों के रोपण के माध्यम से अधिकाधिक सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना।
- वन उपज की मांग घटाने तथा स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ देते हुए उनकी आपूर्ति में वृद्धि करने की द्विमार्गी रणनीति अपनाना।
- नदी घाटी व बाढ़ सम्भाव्य नदियों के आवाह क्षेत्रों का सटीक मृदा व जल संरक्षण तकनीकों से उपचार तथा कन्दरा क्षेत्रों का सुधार।
- औरण व देव वनों को आवश्यक वित्तीय व विधिक सहयोग।

वर्ष 2014–15 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

(माह दिसम्बर, 2014)

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति
1.	115.0.0	चूरू जिले में 1 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से Nature Park की स्थापना की मैं घोषणा करती हूँ।	वन मण्डल चूरू अधिनस्थ रक्षित वन खण्ड जी.एल.आई. चूरू के 22 है. क्षेत्र में नेचर पार्क विकसित करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वर्ष 2014–15 हेतु राशि रुपये 71.40 लाख एवं 2015–16 हेतु 101.60 लाख राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.01.2015 को जारी की जा चुकी है तथा नेचर पार्क में विकास कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं।
2.	120.11.0	धौलपुर में वन विहार को विकसित किया जाएगा। इसके विकास कार्य के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।	धौलपुर में वन विहार को विकसित करने हेतु वन विहार कोठी का पुनरुद्धार एवं इस क्षेत्र में इको. टयूरिज्म के विकास हेतु एक परियोजना राशि रुपये 388.00 लाख की तैयार कर राज्य सरकार को दिनांक 02.07.2014 को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है, जिसकी कार्यवाही विचाराधीन है। यह बजट घोषणा पर्यटन विभाग नाम दर्ज होने से पर्यटन विभाग द्वारा परियोजना प्रस्ताव चाहे जाने पर अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के पत्रांक 1815 दिनांक 03.09.2014 से वन विहार कोठी की मरम्मत एवं संधारण हेतु राशि रुपये 1.23 करोड़ के प्रस्ताव पर्यटन विभाग को भिजवाये गये हैं। अति. मुख्य सचिव, वन की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2014 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बजट घोषणा सम्बन्धी कार्य वन विभाग द्वारा ही सम्पादित करवाये जाने है। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को दिनांक 09.10.2014 को भेजे गये हैं। प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट आवंटन प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।

नीतिगत दस्तावेज के संकल्पों (सुराज संकल्प-2014) की क्रियान्विति के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति)

(माह दिसम्बर, 2014)

<table>
<tr><th>क्र. संख्या</th><th>घोषणा क्रमांक</th><th>घोषणा का विवरण</th><th>अद्यतन प्रगति</th><th>क्रियान्विति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>13.20</td><td>The Rajasthan Forest (Amendment) Bill 2012 में इस क्षेत्र के काश्तकारों/ ग्रामीणों के हितों के विपरीत लाए गए प्रावधानों को पुन: संशोधित किया जाएगा।</td><td>उक्त घोषणा की अनुपालना में राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2014 विधेयक पारित किया जाकर राजस्थान के राजपत्र दिनांक मार्च 4, 2014 में प्रकाशित किया जा चुका है।</td><td>क्रियान्वित</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>15.01-(i)</td><td>राजकीय वन क्षेत्रों में परम्परागत उपज कैर-खींप की फली आदि को संरक्षण दिया जाएगा।</td><td>राजकीय वन क्षेत्रों में परम्परागत उपज कैर-खीप की फली आदि को संरक्षण देने के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज. जयपुर के द्वारा परिपत्र क्रमांक 1303-1503 दिनांक 09.07.2014 जारी कर दिया गया है। उक्त परिपत्र की पालना में निम्न प्रगति रिपोर्ट है-
1. संभाग बीकानेर
<table>
<tr><th>वनमण्डल बीकानेर</th><th>प्रजाति</th><th>वृक्षारोपण (है.)</th><th>बीजारोपण (र.मी.)</th></tr>
<tr><td>रेंज उत्तर</td><td>फोग</td><td>150</td><td>75000</td></tr>
<tr><td>रेंज दक्षिण</td><td>खींप</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td>रेंज कोलायत</td><td>फोग</td><td>310</td><td>12000</td></tr>
<tr><td>रेंज लूणकरणसर</td><td>फोग</td><td>0</td><td>70000</td></tr>
<tr><td>रेंज डूंगरगढ़</td><td>फोग</td><td>125</td><td>65000</td></tr>
<tr><td>वन मण्डल स्टेज 1 छत्तरगढ़ रेंज दन्तोर</td><td>फोग</td><td>125</td><td>65000</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. संभाग जोधपुर</td></tr>
<tr><td>वन मण्डल बाड़मेर</td><td>फोग</td><td>0</td><td>2200</td></tr>
<tr><td>वन मण्डल जोधपुर</td><td>फोग</td><td>0</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>वन मण्डल इगानप स्टेज 2 जैसलमेर</td><td>खींप</td><td>0</td><td>2809</td></tr>
<tr><td>वन मण्डल इगानप स्टेज 2 जैसलमेर</td><td>फोग</td><td>0</td><td>16584</td></tr>
<tr><td colspan="4">3. संभाग जयपुर</td></tr>
<tr><td>वन मण्डल झुंझुनूं</td><td>जाल</td><td>12</td><td>7200 पौधे</td></tr>
</table></td><td>क्रियान्वित</td></tr>
</table>

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
	15.01. (ii)	ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य वन सहकारी समिति के गठन को उचित प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया जाएगा	ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य वन सहकारी समिति के गठन को उचित प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज. जयपुर के द्वारा परिपत्र क्रमांक 3174 दिनांक 11.08.2014 जारी कर दिया गया है। समितियों का गठन किया जा रहा है।	
3.	15.02	''वनौषधि के लिए वन भूमि का पट्टा दिया जाएगा''	उक्त संकल्प के संशोधन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के पत्र क्रमांक 5001 दिनांक 03.11.2014 तथा स्मरण पत्र क्रमांक 6386 दिनांक 30.12.2014 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है। वन क्षेत्र में प्राकृतिक वनौषधि का उत्पादन होता है, जिसे वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों द्वारा एकत्रित कर उपभोग किया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनौषधि उत्पादन हेतु वन भूमि का पट्टा दिया जाने का कोई प्रावधान नहीं है।	
4.	15.04	राज्य के वन क्षेत्रों के प्रभावी रूप से आच्छादित करने हेतु परिणामजनक योजना बनाई जाएगी	राज्य के वन क्षेत्रों को प्रभावी रूप से आच्छादित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 में नाबार्ड के सहयोग से Project for Development of Water Catchment Through Greening of Rajasthan Under RIDF-XIX (Phase-II) योजना प्रस्तावित की गयी है। उक्त परियोजना राज्य के 17 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर व सिरोही (आबू तहसील को छोड़कर) में संचालित की जा रही है। उक्त परियोजना की अवधि वर्ष 2013–14 से 2018–19 है जिसमें भू–संरक्षण, साझा वन प्रबंध, क्षमता संवर्द्धन, प्रचार–प्रसार तथा प्रबोधन एवं मूल्यांकन के कार्य भी परियोजना में सम्मिलित किए गए हैं। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत राशि रुपये 282.49 करोड़ है। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित राशि रुपये 282.49 करोड़ की परियोजना राज्य सरकार से स्वीकृत कराकर क्रियान्वित की जा रही है।	क्रियान्वित

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
5.	15.05	बाघ अभ्यारण्य से प्रभावित होकर विस्थापित होने वाले परिवारों को बसाने की योजना की समीक्षा कर उसे रोजगार, आवास एवं जीविकोपार्जन के स्थाई संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी	सरिस्का टाईगर रिजर्व के कोर एरिया में 29 गांव स्थित हैं। इनमें से 3 गांव भगानी, उमरी एवं रोटक्याला को शत–प्रतिशत विस्थापित कर दिया गया है। शेष 6 गांवों डाबली (90%) कांकवाड़ी (80%) क्रास्का (56%) देवरी (34%) सुकोला (30%) एवं हरिपुरा से (10%) विस्थापन कार्य हो चुका है। शेष विस्थापन कार्य प्रगतिरत है। रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के कोर एरिया में 64 गांव स्थित हैं। इनमें से 4 गांव मोरडूंगरी, इण्डाला, पादडा एवं माचनकी को शत–प्रतिशत विस्थापित कर दिया गया है। शेष 8 गांव कालीभट (72%) भीड (65%) कठूली (84%) हिन्दवाड (58%) मुन्दरहेड़ी (28%) भीमपुरा (84%) डांगरा (57%) एवं ऊंची गुवाडी (78%) में विस्थापन कार्य हो चुका है, शेष विस्थापन कार्य प्रगतिरत है। इस सम्बन्ध में स्थानीय ग्रामवासियों के साथ बैठकें आयोजित की गई तथा विस्थापित स्थलों पर आधारभूत सुविधा, ढांचागत विकास एवं रोजगार के सम्बन्ध में निम्न कार्यों को चिह्नित किया गया:– 1. ट्रेनिंग टेलरिंग, उन्नत कृषि, जैम कटिंग एवं कुटीर उद्योग। 2. **ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम :** स्टॉल फीडिंग, एनीमल होम्स हेतु ऋण, टीकाकरण, फर्टिलिटी कैम्पस एवं पशुपालन प्रसार कार्यक्रम। 3. **रोजगार :** डेयरी, कियोस्क का आवंटन, खनन पट्टे का आवंटन। 4. **ढांचागत विकास :** अप्रोच रोड, विद्युत एवं जल आपूर्ति, शिक्षा, सामुदायिक सुविधाएं। उक्त के सम्बन्ध में जिला कलक्टर एवं जिला स्तर के अधिकारियों के साथ चर्चा कर सम्बन्धित क्षेत्र निदेशकों द्वारा विस्तृत योजना तैयार की गई है।	

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
			रणथम्भौर हेतु 450.00 लाख एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व के लिये 1214.00 लाख की योजना तैयार कर दिनांक 27.10.2014 को राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है। राज्य सरकार द्वारा योजनाओं को ग्राम विस्थापन हेतु गठित स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीके समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। समिति की बैठक हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।	
6.	15.06	National Park तथा Sanctuaries के प्रभावी प्रबोधन (Monitoring) के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो समय-समय पर ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण कर इनके रख-रखाव तथा विकास के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देगी।	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)वन/98 पार्ट जयपुर, दिनांक 05.07.2010 समसंख्यक पत्रांक दिनांक 15.12.2014, समसंख्यक पत्रांक दिनांक 20.12.2014 के द्वारा राज्य वन्यजीव मण्डल का पुनर्गठन किया जा चुका है।	क्रियान्वित
7.	15.08	वनवासी युवकों की वन संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी।	वनवासी युवकों की वन संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी, के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज. जयपुर के द्वारा परिपत्र दिनांक 3925-4020 दिनांक 11.09.2014 जारी कर दिया गया है।	
8.	19.07	राज्य एवं पर्यावरण हित में पीपीपी मोड पर वनों के संरक्षण की नीति निर्धारित करना।	कार्यवाही प्रगति पर	
9.	19.13	सरकारी सड़कों एवं किसानों की खातेदारी भूमि के रिक्त भूमि पर सरकार द्वारा पेड लगाकर उसके संवर्धन, सुरक्षा एवं लाभ में किसान को 50 प्रतिशत भागीदारी वाली योजना बनाई जाएगी।	विभागीय स्तर पर योजना तैयार कर ली गई है। स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को शीघ्र भिजवायी जाएगी।	

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
10.	18.46	वेल्यू एडीसन (मूल्यावर्धन) एवं वनोपज आधारित उद्योगों को विशेष पैकेज दिया जाएगा।	वन विभाग से सम्बन्धित नहीं है। इस क्रम में पत्र क्रमांक 6851 दिनांक 15.01.2015 द्वारा शासन सचिव, वन विभाग को उक्त संकल्प को क्रियान्वयन हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम या राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ (राजफैड) को हस्तांतरित करने हेतु निवेदन किया गया है, जो अभी अपेक्षित है।	
11.	3.15	राज्य में पशुधन, कृषि व जनजीवन के लिए हानिकारक जूलीफ्लोरा (किकर) की प्रजातियों को प्रोत्साहित करने वाले कांग्रेस सरकार द्वारा पारित कानून की वैज्ञानिक समीक्षा कर समाधान निकाला जाएगा।	वर्तमान में वन विभाग में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (किकर) रोपित करने अथवा ज्यूलीफलोरा (किकर) का बीजारोपण करने बाबत कोई निर्देश नहीं है। ना ही जूलीफ्लोरा (किकर) प्रजाति को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।	
12.	23.08	विभिन्न विभागों के प्रबोधन हेतु निर्धारित मापदण्ड के विरुद्ध अर्जित उपलब्धियों का सत्यापन Third Party द्वारा कराये जाने की योजना बनाई जाएगी।	विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के विरुद्ध अर्जित उपलब्धियों का Third Party द्वारा सत्यापन के क्रम में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-2 परियोजना के अन्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन स्वतंत्र निकाय सी-डेक नामक संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। विभाग में नाबार्ड परियोजनान्तर्गत विकास कार्य वर्ष 2012-13 से करवाये जा रहे हैं। इस योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों का मूल्यांकन, कार्य आरम्भ के तीन वर्ष पश्चात् कराया जाना है। अत: उक्त योजनान्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन, स्वतंत्र एजेंसी से वर्ष 2015-16 में करवाया जावेगा। राज्य वन विकास अभिकरण (SFDA) योजना के कार्यों का स्वतंत्र एजेंसी से मूल्यांकन करवाये जाने का प्रावधान योजना में सम्मिलित है जिसे अध्यक्ष सम्बन्धित एफडीए अपने स्तर से करवा रहे हैं। कैम्पा योजनान्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी से करवाये जाने के क्रम में कार्यवाही की जा रही है।	

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
			उक्त योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य करवाये जा रहे हैं। उक्त योजना का नोडल विभाग कृषि विभाग है। उक्त नोडल विभाग अपने स्तर से इस योजना में करवाये गये कार्यों का स्वतंत्र एजेंसी से मूल्यांकन करवाता है। इस हेतु विभाग द्वारा उन्हें भी निवेदन किया जा रहा है। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के अन्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों का मूल्यांकन, विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाइयों द्वारा निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ नियमित रूप से किया जा रहा है।	
13.	23.12	प्रत्येक विभाग के सहायतार्थ विषय विशेषज्ञों की सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जिससे विभाग की योजनाएं न केवल सही रूप से बन सके बल्कि उनका क्रियान्वयन भी प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पर संभव हो सके।	इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (TREE) द्वारा अपने पत्र क्रमांक प(5) अ.प्र.मु.व.स./परिस/नीतिगत दस्तावेज/2680 दिनांक 10.11.2014 द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, जयपुर को विभाग में वर्तमान में कार्यरत समितियों/बोर्ड की सूचना प्रेषित कर दी गयी है।	
14.	2.16	ऊंट तथा मोर को राज्य धरोहर घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार Great Indian Bustard एवं Siberian Crane को भी राज्य धरोहर घोषित करने के लिए नीति निर्धारित की जाएगी।	ऊंट एक घरेलू जानवर (Domestic animal) है तथा वन्यजीव की श्रेणी में नहीं आता है। यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्णित अनुसूचियों में नामित भी नहीं है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में ऊंट की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसे हाल ही में राज्य पशु घोषित किया गया है। मोर राष्ट्रीय पक्षी एवं गोडावण राज्य पक्षी घोषित है, जिसके राज्य धरोहर घोषित कराने के प्रस्ताव एकल पत्रावली पर राज्य सरकार को दिनांक 18.06.2014 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाये गये थे। राज्य सरकार से एकल पत्रावली इस टिप्पणी के साथ प्राप्त हुई है कि ''मोर एवं गोडावण को राज्य धरोहर घोषित करने के लिए किस	

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
			नियम/प्रक्रिया आदि से यह संभव है, इस बारे में स्पष्ट किया जावे।'' इस सम्बन्ध में पशुपालन विभाग के अधिकारियों से वार्ता की गई। वन्यजीव अथवा पशु को राज्य धरोहर घोषित करने के लिए किसी भी अधिनियम अथवा नियमों में प्रावधान नहीं है। उल्लेखनीय है कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी एवं गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया है एवं वन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार शिडयूल 1 में शामिल होने के कारण पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। राज्य सरकार को इस अनुसार टिप्पणी दिनांक 29.09.2014 को भेजी गई है। साइबेरियन क्रेन एक प्रवासी पक्षी है तथा गत कई वर्षों से राजस्थान में इसका आवागमन नहीं है, अत: इस पक्षी को राज्य धरोहर घोषित किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में टिप्पणी राज्य सरकार को दिनांक 18.06.2014 को भेजी गई है।	
15.	3.13	पर्यावरण संरक्षण हेतु खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया जाएगा।	राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप-8) विभाग के क्रमांक एफ 11(33) राज. 8/77, जयपुर दिनांक 31.10.1983 द्वारा खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया जा चुका है।	क्रियान्वित
16.	1.19	राजस्थान की जलवायु की विषमता को देखते हुए कम पानी में पनप सकने वाले तथा ईंधन देने वाले पेड़ों यथा खेजड़ी एवं नर्सरी लगाने के कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।	राजस्थान की जलवायु की विषमता को देखते हुए कम पानी में पनप सकने वाले तथा ईंधन देने वाले पेड़ों यथा खेजड़ी एवं नर्सरी लगाने के कार्यों को प्रोत्साहन देने के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज. जयपुर के द्वारा परिपत्र क्रमांक 7850-7950 दिंनाक 10.2.2015 जारी कर दिया गया है। नर्सरियों में खेजड़ी के पौधों की तैयारी का कार्य किया जा रहा है।	क्रियान्वित

1

राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय

23° 30' एवं 30° 11' उत्तरी अक्षांश तथा 69° 29' एवं 78° 17' पूर्वी देशान्तर के मध्य, स्थित 3 करोड़ 42 लाख हैक्टेयर, भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.57 प्रतिशत भू–भाग पर वन हैं। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है, मरुस्थलीय या अर्द्धमरुस्थलीय है और पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं यत्र–तत्र विद्यमान हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के मरुस्थलीय एवं गैर मरुस्थलीय भागों को अलग करती है।

राज्य के भौतिक प्रदेश (Physiographic Regions)

पश्चिमी मरुस्थल
अरावली पर्वतमाला क्षेत्र
पूर्वी मैदानी भाग
दक्षिणी–पूर्वी पठार

पारिस्थितिकीय तंत्र :

राज्य की जलवायु परिस्थितियों एवं वन–वनस्पति के आधार पर राज्य को निम्न चार मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्रों में बांटा गया है :–

मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्र (Major Ecosystems)

(i) मरुस्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र
  - नहरी–सिंचित क्षेत्र
  - असिंचित क्षेत्र
  - लूणी बेसिन

(ii) अरावली पर्वत श्रृंखला पारिस्थितिकीय तंत्र
  - उत्तरी अरावली प्रदेश
  - मध्य अरावली प्रदेश
  - दक्षिणी अरावली प्रदेश

(iii) पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र
  - बनास बेसिन

वन खण्ड मेवला की वन सम्पदा एवं तिमनगढ़ किला (जिला–करौली) छाया : के. आर. काला

छाया : मोहनलाल मीना

शाहबाद (बारां) घाटी की समृद्ध वन सम्पदा

माही बेसिन
बाण गंगा बेसिन
साहिबी बेसिन
गम्भीरी बेसिन
वराह / बराह बेसिन

(iv) हाड़ौती पठार एवं कंदरा पारिस्थितिकीय तंत्र

चम्बल बेसिन
डांग क्षेत्र

भू-उपयोग :

राज्य के विभिन्न भागों में अलग–अलग प्रकार से भू–उपयोग हो रहा है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। राज्य के विभिन्न भागों में अधिकांशतः भू–उपयोग, क्षेत्र में व्याप्त भूमि एवं जल स्रोतों की उपलब्धता तथा मानव द्वारा इनके उपयोग के लिये किये जा रहे प्रयासों पर निर्भर करते हुए अलग–अलग प्रकार से किया जा रहा है।

जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है वहाँ का अधिकांश भू–भाग कृषि जोत के नीचे है। दूसरी ओर उन क्षेत्रों में जहाँ की भूमि कम उपजाऊ है वहाँ पर कम जनसंख्या की उदर पूर्ति हेतु भी अधिक भू–भाग पर कृषि जोत की आवश्यकता रहती है। राज्य में वन, चारागाह एवं बंजर भूमि क्रमशः 9.57, 4.94 एवं 6.94 प्रतिशत है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में Grey Horn Bill

वन सम्पदा :

❑ वनों के प्रकार :

राजस्थान की विविधतापूर्ण एवं समृद्ध वन सम्पदा को वनस्पति के आधार पर अग्रानुसार वर्गीकृत किया गया है:–

क्र.सं.	वन प्रकार	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत
1.	शुष्क सागवान वन	2247.87	06.86
2.	शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन	19027.75	58.11
3.	उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन	9293.65	28.38
4.	उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन	2048.58	06.26
5.	अर्द्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन	126.64	00.39
	योग	**32744.49**	**100.00**

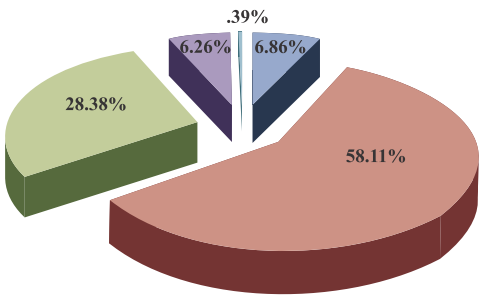

❑ वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32744.49 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserve Forest)	12439.26	37.99
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	18263.02	55.77
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassified Forest)	2042.20	6.24
	कुल योग	**32744.49**	**100.00**

स्रोत : का.प्र.मु.व.सं. (का.आ.व.व.), राज

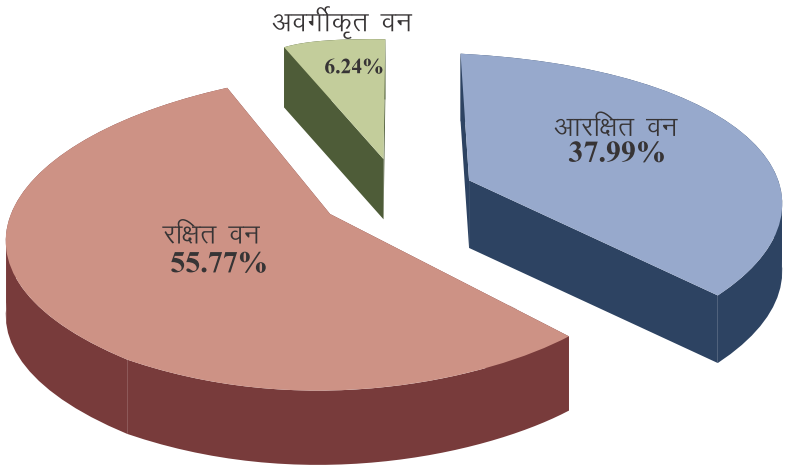

❑ प्रदेश का वानिकी परिदृश्य : एक दृष्टि में

- अभिलेखित वन (**Recorded Forests**) : 32,744.49 वर्ग किमी.
  - * राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 9.57 प्रतिशत
  - * राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 0.99 प्रतिशत
  - * राष्ट्र के वन क्षेत्रफल के संदर्भ में : 4.25 प्रतिशत
  - * प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र : 0.05 हैक्टेयर
- वन आवरण (**Forest Cover**) : 16,086 वर्ग किमी.

(भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार)

ग्रीन वॉश के अन्तर्गत वनावरण

अत्यन्त सघन वन (छत्र घनत्व 70% से अधिक)	72 वर्ग कि.मी.
सामान्य सघन वन (छत्र घनत्व 40 से 70% तक)	3,974 वर्ग कि.मी.
खुले वन (छत्र घनत्व 10 से 40% तक)	7,869 वर्ग कि.मी.
योग	**11,915 वर्ग कि.मी.**

ग्रीन वॉश के बाहर वनावरण

अत्यन्त सघन वन	0 वर्ग कि.मी.
सामान्य सघन वन	450 वर्ग कि.मी.
खुले वन	3,721 वर्ग कि.मी.
योग	**4,171 वर्ग कि.मी.**

कुल वनावरण (Forest Cover)	**16,086 वर्ग कि.मी.**
वृक्षावरण (Tree Cover outside Forest)	**7,860 वर्ग कि.मी.**
कुल वनावरण एवं वृक्षावरण (Forest Cover & Tree Cover Outside Forest)	23,946 वर्ग कि.मी.
प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षावरण	0.035 है.
राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का	7.00%
भारत के वन एवं वृक्षावरण का	3.03%
राज्य में बांस वाले क्षेत्र का विस्तार	2455 वर्ग किमी.

राज्य में जिलेवार उपलब्ध वन क्षेत्र एवं वनावरण का विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर दृष्टव्य है।

2

प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

वन प्रशासन :

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ़ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्त्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अनुरूप विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गयी है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यत: निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :

- **उच्च स्तरीय प्रशासन :**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घाटी एवं बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता संबंधी कार्यों का स्वतंत्र रूप से देख–रेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) प्रदेश में विकास, वन

छाया सौजन्य : राजेश शर्मा

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) वन विभाग की जलवायु परिवर्तन रणनीति पर वनाधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए

सुरक्षा, प्रशिक्षण, शोध, शिक्षा तथा प्रसार के साथ–साथ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भी देख रहे हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्य जीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारु क्रियान्विति के लिए राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं। वन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं, गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु राज्यादेश दिनांक 21.08.2013 से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को विभिन्न वृत्त क्षेत्रों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

• मध्यम स्तरीय प्रशासन :

मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। वन संभाग एवं राजस्व संभाग में बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए संभागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के पद सृजित किए गये हैं। दिनांक 02.01.2014 से सभी संभागीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) के नियंत्रण में किया गया है। राज्य के सभी सातों क्षेत्रीय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों का कार्य क्षेत्र राजस्व संभागों के अनुरूप है।

इन सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक का पद भी है। सम्भाग स्तर पर कार्यरत वन संरक्षक कार्यालयों का सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में विलयन किया जा चुका है। ये वन संरक्षक, सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठतम सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनके कर्तव्यों का निर्धारण पृथक् से कर दिया गया है। ये वन संरक्षक, जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ–साथ सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक–एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद सृजित किया गया है इनके द्वारा संबंधित संभाग के विभिन्न वन मण्डलों की कार्य योजना तैयार की जाती है। ये अधिकारी कार्य आयोजना सम्बन्धी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप करते हैं। भू–राजस्व का अभिलेख भी यही अधिकारी रखेंगे। इनमें से कार्य आयोजना अधिकारी के चार पद क्रमशः कोटा, जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर, भारतीय वन सेवा के तथा शेष तीन पद जोधपुर, भरतपुर व अजमेर राज्य वन सेवा के रखे गए हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा प्रत्येक संभाग के मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिए एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई गठित की गई है। उप वन संरक्षक, मूल्यांकन एवं प्रबोधन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। विधि संबंधी कार्यों में सहायता हेतु प्रत्येक संभाग में उप वन संरक्षक (विधि) का पद सृजित किया गया है।

सवाई माधोपुर–दौसा मार्ग पर स्थित भाड़ौती गांव के जल बिन्दु पर एकत्रित स्पून बिल (Spoon bills) छाया : मोहनलाल मीना

इसी प्रकार वन्य जीव प्रबन्धन के लिये राज्य में पाँच मुख्य वन संरक्षक क्रमशः जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व जोधपुर में कार्यरत हैं।

प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं। वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन विकास एवं साझा वन प्रबन्ध कार्यों के समुचित पर्यवेक्षण को ध्यान में रखते हुए वन मण्डलों में सामान्यतया दो उप खण्ड बनाए गए हैं। इन उप खण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। सामान्यतया एक उप खण्ड 3 से 4 रेंजों का है। उप खण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक् से निर्धारित किए गये हैं। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्य जीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक् से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

• कार्यकारी स्तर :

वन मण्डल के अधीन सामान्यत: 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज के प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वन रक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है।

विशिष्ट योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्य स्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

वन सेवा :

प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वन सेवा का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिए विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति अग्रानुसार है:–

• भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) :

भारतीय वन सेवा के राजस्थान संवर्ग में 145 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में राज्य में 89 अधिकारी विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं तथा 11 अधिकारी राज्य में ही विभाग से बाहर विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। राजस्थान केडर के भा.व.से. के 11 अधिकारी राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं, भारतीय वन सेवा के 10 अधिकारी सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यरत हैं तथा भारतीय वन सेवा के चार अधिकारी प्रशिक्षण में हैं। वर्तमान में भारतीय वन सेवा के स्वीकृत पदों का विवरण (01–11–2014 की स्थिति अनुसार) इस प्रकार है:–

क्र. सं.	पद नाम	पद स्थापन का विवरण			
		कैडर में पद	एक्स कैडर में	कुल पद	रिक्त पद (कैडर में)
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)	1	–	1	–
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	1	2	3	1
2.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	6	13	19	1
3.	मुख्य वन संरक्षक	21	8	29	8
4.	वन संरक्षक	16	3	19	6
5.	उप वन संरक्षक	44	6	50	4
	योग	**89**	**32**	**121**	**20**

चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में भा.व.से. के निम्न अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं :

क्र.सं.	नाम अधिकारी	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री राकेश मोहन मिश्रा	30.06.2014
2.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	31.07.2014
3.	श्री अवनीश चन्द्र चौबे	31.10.2014

• राजस्थान वन सेवा (Rajasthan Forest Service) :

राजस्थान वन सेवा में उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण (01.11.2014 की स्थिति अनुसार) निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	उप वन संरक्षक	100	25
2.	सहायक वन संरक्षक	329	186
	योग	**429**	**211**

• अभियांत्रिकी सेवा (Engineering Service) :–

विभाग में अभियांत्रिकी पदों का विवरण (01.11.2014 की स्थिति अनुसार) निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	अधिशासी अभियंता	4	1
2.	सहायक कृषि अभियंता	3	3
	योग	**7**	**4**

• राजपत्रित संवर्ग के विभिन्न अधिकारियों के स्वीकृत / रिक्त पदों का विवरण 1 नवम्बर, 2014 की स्थिति अनुसार:–

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	राजपत्रित संवर्ग में विभिन्न संवर्ग के अधिकारीगण	118	37

• वन अधीनस्थ सेवा (Forest Subordinate Service) :–

अधीनस्थ वन सेवा के क्षेत्रीय प्रथम, क्षेत्रीय द्वितीय, वनपाल, सहायक वनपाल तथा वन रक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण 1 नवम्बर, 2014 की स्थिति अनुसार निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या
1.	क्षेत्रीय–प्रथम	258	127	131
2.	जू–अधीक्षक	01	01	0
3.	क्षेत्रीय–द्वितीय	451	349	102
4.	जू–सुपरवाइजर	4	04	0
5.	वनपाल	979	492	487
6.	सहायक वनपाल	1498	1259	239
7.	वनरक्षक	3967	2880	1087
	योग	**7158**	**5112**	**2046**

• मंत्रालयिक सेवा (Ministerial Service) :-

01 नवम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार मंत्रालयिक सेवा के कुल 1002 पद विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें से 175 पद रिक्त चल रहे हैं।

• चतुर्थ श्रेणी संवर्ग :

01 नवम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार इस वर्ग के कुल 413 पद विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें 25 पद रिक्त चल रहे हैं।

छाया : डी. के. भारद्वाज

जमुवा रामगढ़ अभयारण्य का एक विहंगम दृश्य

• लेखा एवं तकनीकी संवर्ग (Accounts & Technical Service):-

विभाग में लेखा एवं तकनीकी संवर्ग के कुल 675 पद स्वीकृत हैं। 01 नवम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार इनमें से 141 पद रिक्त चल रहे हैं।

• वर्कचार्ज संवर्ग (Work Charge Service) :-

विभाग में वर्तमान में 6229 कर्मकार वर्कचार्ज संवर्ग में कार्यरत हैं।

• विभाग में सीधी भर्ती से व अनुकम्पा नियुक्ति

विभाग में सर्वेयर एवं वाहन चालक भर्ती परीक्षा के आधार पर 148 वाहन चालकों व 46 सर्वेयरों को चालू वित्तीय वर्ष में नियुक्ति दी गई है।

• अनुकम्पा नियुक्ति

विभाग में वर्ष 2014 में सीधी भर्ती के पदों पर निम्नानुसार अनुकम्पात्मक नियुक्तियां दी गई हैं :–

क्र.सं.	पदनाम	दी गई नियुक्तियों की संख्या	पद रिक्त नहीं होने से प्रकरण कार्मिक विभाग को भिजवाये गये
1.	कनिष्ठ लिपिक	19	0
2.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	22	25
3.	वनरक्षक	6	0
4.	चालक	1	0
	योग	**48**	**25**

छाया : मोहनलाल मीना

रेंज डाबी में सारस

प्रशासनिक कार्य :

• पदोन्नति :

विभाग में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग में डी.पी.सी. वर्ष 2013–14 व 2014–15 हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नानुसार पदोन्नतियां दी गई हैं :–

क्र.सं.	पदनाम	दी गई पदोन्नतियों की संख्या	डी.पी.सी. वर्ष
1.	क्षेत्रीय प्रथम (क्षेत्रीय द्वितीय से)	24	2014–15
2.	क्षेत्रीय द्वितीय (वनपाल से)	270	2014–15
3.	कार्यालय अधीक्षक (कार्यालय सहायक से)	7	2014–15
4.	कार्यालय सहायक (वरिष्ठ लिपिक से)	34	2013–14
5.	वरिष्ठ लिपिक (कनिष्ठ लिपिक से)	52	2013–14
6.	कनिष्ठ लिपिक (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से)	10	2013–14
7.	निजी सचिव (वरिष्ठ निजी सहायक से)	3	2013–14
8.	वरिष्ठ निजी सहायक (निजी सहायक से)	7	2013–14
9.	निजी सहायक (आशुलिपिक से)	4	2014–15
10.	निरीक्षक	2	2014–15
11.	प्रारूपकार	1	2014–15
	योग	**414**	

12. वरिष्ठता सूचियों का वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में निम्नानुसार प्रकाशन किया गया है:–

क्र.सं.	पदनाम	आदेश क्रमांक/दिनांक	विशेष विवरण
1.	वरिष्ठ निजी सहायक	9033–9072/सी दिनांक 21.07.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
2.	निजी सचिव	8982/सी दिनांक 21.07.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
3.	निजी सहायक	9074–9134/सी दिनांक 21.07.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
4.	आशुलिपिक	9136–9236/सी दिनांक 21.07.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
5.	कार्यालय अधीक्षक	9251–9277/सी दिनांक 23.07.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
6.	कार्यालय सहायक	10644–10755/सी दिनांक 13.11.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
7.	वरिष्ठ लिपिक	10407–10516/सी दिनांक 31.10.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
8.	कनिष्ठ लिपिक	8590–8700/सी दिनांक 09.07.2014	01.04.2013 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
9.	क्षेत्रीय प्रथम	2585/सी दिनांक 13.08.2013	01.04.2013 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
10.	क्षेत्रीय द्वितीय	915/सी दिनांक 09.05.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
11.	निरीक्षक	8331–8345/सी दिनांक 29.05.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
12.	अमीन	8880–8980/सी दिनांक 21.07.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
13.	ट्रेसर	9726/सी दिनांक 05.08.2014	01.04.2013 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
14.	वनपाल	8215–8325/सी दिनांक 27.05.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
15.	प्रारूपकार	5545/सी दिनांक 01.01.2014	01.04.2013 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10951–11060/सी दिनांक 01.12.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
17.	अनुसंधान सहायक	9770/सी दिनांक 06.08.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
18.	सर्वेयर/फील्डमेन	7770/सी दिनांक 15.05.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार संयुक्त वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
19.	साद अवलोकक कम विश्लेषक	7989–7995/सी दिनांक 21.05.2014	01.04.2014 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन

दुर्लभ गोखरू (*Tribulus rajasthanensis*)

• विभागीय जांच एवं अपीलों का निस्तारण

वर्ष 2013–14 (01.04.13 से 31.03.14 तक निस्तारित विभागीय जांच एवं अपील प्रकरण)

प्रकरण	1.4.13 से 31.03.14 तक
सीसीए–16 के प्रकरण	5
सीसीए–17 के प्रकरण	1
अपील प्रकरण	19

वर्ष 2014–15 (01.04.14 से 31.12.14 तक निस्तारित विभागीय जांच एवं अपील प्रकरण

प्रकरण	संख्या	आरोप पत्र दिए
सीसीए–16 के प्रकरण	1	1
सीसीए–23 के अपील प्रकरण	14	

• विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासन

14वीं विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों व उनके प्रेषित उत्तरों व आश्वासनों की स्थिति इस प्रकार रही :–

प्रथम सत्र :

	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	लंबित
तारांकित प्रश्न	10	10	0
अतारांकित प्रश्न	18	17	1
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	04	03	01
अंत: सत्र काल	1	1	0
आश्वासन	0	0	0

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न	64	36	28
अतारांकित प्रश्न	49	20	29
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	18	16	2
अंत: सत्र काल	1	0	1
आश्वासन	4	0	4

तृतीय सत्र

तारांकित प्रश्न	0	0	0
अतारांकित प्रश्न	0	0	0
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	4	2	2
अंत: सत्र काल	0	0	0
आश्वासन	0	0	0

नोट:– बकाया प्रश्नों में वे प्रश्न भी सम्मिलित हैं जो तैयार कर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये गये हैं।

❁ विधिक कार्य

विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के विरुद्ध व राज्य सरकार की ओर से दायर सात हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं। इन प्रकरणों के प्रभावी नियंत्रण व प्रबोधन हेतु प्रकरणों की सूचना को संकलित/समेकित कराने तथा उनकी प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से 12 प्रपत्रों (Formats) को Litigation Information Tracking & Evaluation System (LITES) Website पर समय–समय पर अपडेट किया जाता है।

वन विभाग द्वारा अपने जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं व मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को निरन्तर न्याय विभाग की वेबसाइट पर दर्ज कराया जा रहा है।

विभाग से संबंधित 7059 न्यायिक प्रकरणों में से वर्तमान में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 20, माननीय उच्च न्यायालय में 1751, ट्रिब्यूनल में 298 एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 1478 तथा अन्य न्यायालयों में 3512 प्रकरण विचाराधीन हैं।

❁ ''सूचना का अधिकार'' संबंधित कार्य :

राज्य सरकार ने दिनांक 03.05.2007 के आदेश में दिनांक 5.5.2011 को आंशिक संशोधन कर शासन सचिवालय स्तर पर शासन उपसचिव, राज्य लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित किए गए हैं।

इस क्रम में विभाग ने दिनांक 09.10.2012 को संशोधित आदेश जारी कर राज्य में 84 सहायक लोक सूचना अधिकारी, 96 लोक सूचना अधिकारी व 23 अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

दिनांक 18 जुलाई, 2012 को राज्य सरकार ने एक अन्य आदेश क्र.प. 8 (16) वन/2005 पार्ट जारी कर सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभाग के लोक सूचना अधिकारी यथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान जयपुर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) राजस्थान, जयपुर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) राजस्थान जयपुर के अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव वन को नियुक्त किया गया है।

अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने सम्बन्धी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के कार्यालय में प्राप्त सभी 302 आवेदनों को नियमानुसार निस्तारण किया गया। वर्ष 2014–15 में 31 दिसम्बर, 2014 तक प्राप्त 219 आवेदन पत्रों में से 199 आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है। शेष 20 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन लम्बित हैं। प्र.मु.व.स. कार्यालय में अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक 9 अपीलें प्राप्त हुईं जिनका निस्तारण किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक 08 अपीलें प्राप्त हुई जिनका निस्तारण किया जा चुका है। वर्ष 2013–14 में विभाग में कुल 2611 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 2296 आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराई गई, 106 आवेदन अस्वीकार किए गए, 209 आवेदन वर्षांत में लंबित रहे।

Blue cheeked Bee-Eater

चीतल (Spotted deer)

❁ श्रम अनुभाग सम्बन्धी न्यायालय कार्य की प्रगति

- श्रमिकों से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में 44 आदेश विभाग के पक्ष में तथा 7 आदेश विभाग के विरुद्ध प्राप्त हुये हैं।
- विभाग में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों की पालना हेतु 40 प्रकरणों में लगभग ₹ 37.00 लाख के वित्तीय भुगतान की स्वीकृतियां प्राप्त हुईं।

❁ लेखा अनुभाग संबंधी प्रगति

गत तीन वित्तीय वर्षों में लेखा अनुभाग की विभिन्न प्रतिवेदनों एवं पैराज के निस्तारण की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विवरण	01.4.2011 को बकाया		निस्तारण 2011–12		01.04.2012 को बकाया		निस्तारण 2012–13		1.4.2013 को बकाया		निस्तारण 2013–14		लम्बित 31.03.2014	
		प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा
1.	सीएजी प्रतिवेदन	3	3	5	16	–	–	1	10	1	10	2	15	1	1
2.	जन लेखा समिति	3	63	4	78	1	2	3	18	4	52	6	56	1	8
3.	ड्राफ्ट पैरा	–	1	–	4	–	–	–	2	–	–	–	5	–	–
4.	तथ्यात्मक विवरण	–	1	–	5	–	–	–	7	–	–	–	6	–	–
5.	महालेखाकार के आक्षेप	415	1172	19	174	410	1257	40	289	425	1250	10	137	457	1464
6.	निरीक्षण विभाग	68	565	2	71	73	594	2	40	72	565	11	158	63	444

मरुस्थलीय बिल्ली (Desert cat) सुदासरी, जैसलमेर

Tiny black-capped vireo

3

वन सुरक्षा

वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन तथा अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्य जीव सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार हैं :–

❁ गश्तीदलों का गठन :

वन क्षेत्रों में वन अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीव सम्पदा की सुरक्षा हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में कुल 10 गश्तीदल संभागीय मुख्य वन संरक्षकगण एवं वन्य जीव मुख्य वन संरक्षकों के नियंत्रणाधीन कार्यरत हैं।

❁ वायरलैस प्रणाली :

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये सशक्त सूचना संप्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाके/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलैस सेट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 1010 वायरलैस सेट्स हैं जिनमें से फिक्स्ड सेट्स की संख्या 663, वाहनों पर मोबाइल सेट्स 58 तथा हैण्डसेट्स 289 हैं।

❁ वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना:

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का भी वन कर्मियों को आतंकित करने हेतु उपयोग करने लगे हैं। विभाग में वर्तमान में 32 रिवाल्वर एवं 62 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को उपलब्ध करायी गई हैं। समय–समय पर पुलिस विभाग के सहयोग से हथियारों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिलाया जाता रहा है।

❁ अतिक्रमण

वनभूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित सहायक वन संरक्षकों को एलआरए–91 के तहत विशेष न्यायालय की शक्तियां प्रदत्त की हुई हैं। इन प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 30.09.2014 तक प्राप्त सूचना अनुसार वनभूमि पर कुल 13841 अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज हैं जिनमें 16106.7134 है. वन क्षेत्र प्रभावित था। वित्तीय वर्ष 2014–15 में नियमित अभियान चलाकर कुल 4755 प्रकरणों का निस्तारण कर कुल 3004.5231 है. वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया एवं बतौर मुआवजा राशि ₹ 7.65 लाख वसूल की गई है।

❁ अवैध कटान

राज्य में वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 30.09.2014 तक अवैध कटान के कुल 2599 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 1075 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 61.16 लाख वसूल किया गया।

छाया : डी. के. भारद्वाज

आर. एफ. वी. योजनान्तर्गत सुदासरी में गोडावण के संरक्षण हेतु निर्मित एन्क्लोजर

छाया : के. आर. काला

वन सुरक्षा हेतु करौली जिले में निर्मित वन चौकी एवं पारदर्शिता हेतु इस पर दर्शित सूचना पट्ट

❋ अवैध चराई

राज्य में वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 30.09.2014 तक अवैध चराई के कुल 3935 प्रकरण दर्ज है। इनमें कुल 3084 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 36.19 लाख वसूल किया गया।

❋ अवैध खनन

राज्य में वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 30.09.2014 तक अवैध खनन के कुल 1735 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 417 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 167.41 लाख वसूल किया गया।

❋ अवैध खनन नियंत्रण हेतु किये गये विशेष प्रयास

राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्पेशल टॉस्क फोर्स का गठन किया हुआ है, जिनके निर्देशन में वन विभाग द्वारा राजस्व, पुलिस, खनिज एवं परिवहन विभाग के साथ संयुक्त रूप से अवैध खनन एवं निर्गमन को रोकने हेतु 3.2.14 से 2.3.14 तक संयुक्त अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत अपराध में प्रयुक्त वाहनों, मशीनरी को जब्त एवं अधिहरण की कार्यवाही की गई, तथा 257 प्रकरण दर्ज किए गए एवं 31.50 लाख रूपये का ऐवजाना वसूल किया गया साथ ही 109 वाहनों का अभिग्रहण/अधिहरण किया गया।

अवैध खनन पर नियंत्रण एवं अवैध खनन से परिभ्रांषित वन क्षेत्रों के रेस्टोरेशन हेतु उप वन संरक्षक, अलवर द्वारा 3601.00 लाख रूपये की योजना प्रस्तुत की है, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाकर कार्ययोजना अनुसार अलवर जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु कार्यवाही की जा रही है।

❋ वन्य जीव अपराध

राज्य में वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 30.09.2014 तक वन्य जीव के कुल 941 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 25 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 4.09 लाख वसूल किया गया।

❋ अन्य वन अपराध

राज्य में वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 30.09.2014 तक अन्य वन अपराध के कुल 1571 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 379 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 78.88 लाख वसूल किया गया।

❋ पेड़ों की छंगाई एवं शाखा तराशी

राज्य में वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 30.09.2014 तक पेड़ों की छंगाई एवं शाखा तराशी के कुल 611 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 237 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 4.82 लाख वसूल किया गया।

❋ सीमा चिह्न की तोड़फोड़ एवं परिवर्तन

राज्य में वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 30.09.2014 तक सीमा चिह्न एवं तोड़फोड़ के कुल 19 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 2 प्रकरण निर्णित किये गये। शेष प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।

❋ अवैध परिवहन

राज्य में वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 30.09.2014 तक अवैध परिवहन के कुल 671 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 176 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 99.49 लाख वसूल किया गया।

❋ अवैध आरामशीन

राज्य में वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 30.09.2014 तक अवैध आरामशीन के कुल 1148 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 50 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 9.16 लाख

वसूल किया गया। 644 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।

❋ अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वनाधिकार पत्र जारी करना :

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का–2) एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के तहत आदिवासियों द्वारा वनभूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों को अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्रामसभाओं द्वारा ''वन अधिकार समितियां'' गठित की गई हैं जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति द्वारा ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर अपनी अभिशंसा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है। आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर से दिनांक 30.09.2014 तक की प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में अब तक कुल 69775 दावे प्राप्त हुए जिनमें से 34172 दावे ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत पाये गये तथा 32260 दावे स्वीकृति योग्य नहीं पाये जाने के कारण निरस्त किए गए। इस प्रकार कुल प्राप्त दावों 69775 में से 66432 दावे निर्णित किये जा चुके हैं तथा 3343 दावे उपखण्ड समिति/जिला स्तरीय समिति स्तर पर विचाराधीन हैं। वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम के अन्तर्गत अब तक 34,082 व्यक्तिगत अधिकार पत्र, 65 सामुदायिक अधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं।

वन भूमि डायवर्जन

31 दिसम्बर, 2014 तक कुल 102 प्रकरणों में प्रथम चरण की स्वीकृति एवं 26 प्रकरणों में अन्तिम स्वीकृति जारी की गई है।

एफ.सी.ए. (1980) के अंतर्गत 01.01.2015 को विचाराधीन प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	विभाग	कुल विचाराधीन प्रकरण	विचाराधीन प्रकरण				प्रथम चरण क्लियरेंस एवं वर्तमान में भी विचाराधीन	1 जनवरी, 14 से 31 दिसम्बर, 14 तक जारी अन्तिम स्वीकृति
			यूजर एजेंसी	राज्य सरकार	भारत सरकार	वन विभाग		
1.	सिंचाई	24	21	–	1	2	17	2
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	7	3	1	1	2	4	2
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	71	56	–	10	5	46	9
4.	शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना	3	2	–	–	1	1	–
5.	विद्युत प्रसारण निगम	14	12	–	–	2	7	–
6.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन	3	2	–	–	1	2	2
7.	भारतीय रेल	8	5	–	3	0	3	1
8.	अन्य	55	28	2	13	12	22	10
	कुल	**185**	**129**	**3**	**28**	**25**	**102**	**26**

4

वानिकी विकास

राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। प्रदेश का 9.57 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.70 प्रतिशत है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्र के सम्पूर्ण भू–भाग का एक–तिहाई वन क्षेत्र होना आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बना रहे तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी सम्भव हो सके।

छाया : मोहनलाल मीना

वन पौधशाला, डग

प्रदेश की प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकीय विषमताओं यथा दो–तिहाई मरुप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की न्यूनता एवं अत्यधिक जैविक दबाव इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए वनाच्छादित क्षेत्र की वृद्धि की अपरिहार्य आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में प्रमुखता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं उत्तरोत्तर वानिकी विकास के जरिये सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

इसी के मद्देनजर विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक भू–भाग को वनाच्छादित किये जाने के उद्देश्य से वानिकी विकास को गति प्रदान की जा रही है। राज्य में वनीकरण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम में आमजन की भागीदारी में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने दिनांक 23.10.12 को एक आदेश प्रसारित कर वन भूमि, सार्वजनिक अथवा संस्थागत भूमि पर वृक्षारोपण करने की इच्छुक शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं ट्रस्टों को मात्र एक रुपये प्रति पौधे की दर से पौधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार उपरोक्त संस्थाओं तथा भारत स्काउट एवं गाइड, एन.सी.सी. द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण प्रस्ताव प्रेषित करने पर उन्हें भी कुछ शर्तों के अध्याधीन 1000 पौधे तक 1 रुपये प्रति पौधे की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई संस्था या व्यक्ति विशेष क्षेत्र विशेष के स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करना चाहे तो उसे भी कतिपय शर्तों के अध्याधीन एक रुपये प्रति पौधा की दर से ही उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

प्रदेश में वन विभाग द्वारा कराये जा रहे वनारोपण, पौध वितरण, पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों का विस्तृत विवरण अग्रानुसार है:–

वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य :–

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमानता, प्रतिकूल जलवायु एवं दो–तिहाई क्षेत्र मरु भूमि होने के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस

कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उड़ती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उड़ती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चरागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण–संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं व उन्नत प्रौद्योगिकी पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते हैं।

वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं चालू वर्ष 2014–15 में बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति अग्रानुसार है :–

कार्य का विवरण	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि
	2012–13	2013–14	2014–15	(दिस., 14 तक)
बिन्दु सं. 51 (ए) पौधारोपण (हैक्टेयर में)	57103	67722	53,155.00	68,991.00
पौधारोपण (लाखों में) 51 (ब)	275.852	473.038	345.50	443.680

उपलब्धियों का जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 8 में वर्णित है।

राज्य में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण निम्नांकित है :–

वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड एवं जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई. सी.ए.), जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

• राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 जापान इन्टरनेशनल कॉ–ऑपरेशन एजेंसी (JICA) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरुस्थलीय जिले (सीकर, झुंझुनूं, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर बीकानेर) एवं पांच गैर मरुस्थलीय जिले (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, रावली टाडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य) में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 650 गांव (मरुस्थलीय जिलों में 340 गांव, गैर–मरुस्थलीय जिलों में 250 गांव व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के दो किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में 60 गांव) को चिह्नित किया गया है।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

''साझा वन प्रबंधन (JFM) की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन–समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना।''

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक चिह्नित गांव में तीन नये स्वयं

सहायता समूहों का गठन करके अथवा पूर्व गठित समूहों के कौशल में वृद्धि करते हुए आजीविका संवर्धन एवं गरीबी उन्मूलन कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण कार्य भी किये जायेंगे। गांववासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कार्य परियोजना में नहीं कराया जा सकता है तो अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर उस कार्य को गांव के समग्र विकास हेतु करवाया जाने का प्रयास किया जाएगा।

8 वर्षीय यह परियोजना 2011–12 में प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना की कुल लागत 1152.53 करोड़ रुपये है। जिसमें से 884.77 करोड़ रुपये का ऋण JICA द्वारा वर्ष 2011–12 से 2018–19 तक आठ वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जावेगा।

परियोजना की कुल लागत ₹ 1152.53 करोड़ में कराए जाने वाले कार्यों का विवरण सारणी में दृष्टव्य है।

परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ''राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसायटी'' का गठन किया जाकर राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत दिनांक 8 मार्च, 2011 को रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। राज्य सरकार ने दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को आदेश जारी कर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना फेज–2 हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन किया है।

छाया : राजेश जैन

वन मण्डल जालौर में वृक्षारोपण (वर्ष 2014)

परियोजना में कराये जाने वाले कार्य

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	योग
1.	वनीकरण	423.28
2.	कृषि वानिकी गतिविधियां	1.63
3.	जल संरक्षण संरचनाएं	46.92
4.	जैव विविधता संरक्षण	84.36
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुधार	16.89
6.	समुदायों को गतिशील करना	65.42
7.	क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं शोध	6.34
8.	परियोजना प्रबन्धन	29.82
9.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन	5.90
10.	परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए संविदा कार्यकार	14.96
	योग	**695.52**
11.	लागत वृद्धि	97.50
12.	भौतिक अनिश्चय	79.30
13.	परामर्शकारी सेवाएं	12.47
14.	प्रशासनिक लागत	219.17
15.	वैट एवं आयात कर	14.00
16.	निर्माण अवधि का ब्याज	27.50
17.	कमिटमेंट प्रभार	7.07
	योग	**457.01**
	महायोग	**1152.53**

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र 25 मण्डल प्रबन्ध इकाइयों तथा 80 क्षेत्र प्रबन्ध इकाइयों में बांटा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु ग्राम को इकाई के रूप में लिया गया है। मण्डल प्रबंधन इकाई स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विकास कार्य करवाने,

छाया राजेश जैन

हातिमताई जोड़ (जालौर) में घास उत्पादन

प्रशिक्षण देने, आजीविका संवर्द्धन की गतिविधियां संचालित करने एवं जन जागृति हेतु एक स्वयंसेवी संस्था का चयन किया गया है जो उपरोक्त कार्यों में मण्डल प्रबन्ध इकाई/क्षेत्रीय प्रबन्ध इकाई/वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को सहयोग किया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्ध इकाई के स्तर पर एक अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना प्रबन्ध सलाहकार समिति का भी नियोजन किया गया जिसमें अलग–अलग विषयों यथा वानिकी, आजीविका संवर्द्धन, साझा वन प्रबन्ध आदि के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की सेवाएं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इस परियोजना में विषय विशेषज्ञों एवं अन्य स्टाफ की सेवाएं 'रिसोर्स आर्गनाईजेशन' के माध्यम से अनुबन्ध पर ली गई हैं, जिनमें वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक (जैव विविधता, साझा वन प्रबन्धक, व्यवसायी योजना एवं बाजार से जुड़ाव, संचार विस्तार एवं प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन) व विभिन्न प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव, ऑफिस एक्जीक्यूटिव आदि शामिल हैं।

परियोजना के अन्तर्गत किसी भी गांव में गतिविधि शुरू करने से पहले नियोजित स्वयंसेवी संस्था द्वारा सूक्ष्म नियोजन (माइक्रोप्लान) तैयार किया जाता है। परियोजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म नियोजन के आधार पर ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समिति द्वारा मण्डल प्रबंधन इकाई/क्षेत्रीय प्रबंधन इकाई के निर्देशन में किया जा रहा है।

परियोजना के अन्तर्गत आठ वर्ष की अवधि में कुल 83650 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये जाना प्रस्तावित है। परियोजना अवधि में लगभग 375 लाख पौधे लगाये जाने की संभावना है। परियोजनान्तर्गत कराये जाने वाले वृक्षारोपण कार्यों के भौतिक लक्ष्यों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	वर्ष	वृक्षारोपण है. में (अग्रिम कार्य)
1.	2011–12	8365
2.	2012–13	20912
3.	2013–14	26778
4.	2014–15	27595
5.	2015–16	संधारण कार्य
6.	2016–17	संधारण कार्य
7.	2017–18	संधारण कार्य
8.	2018–19	संधारण कार्य
	योग	**83650 है.**

कुल 83650 है. वृक्षारोपण कार्य में से लगभग 52000 है. वन क्षेत्र में एवं शेष 31650 है. राजकीय भूमि, सामुदायिक भूमि एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से 31.03.2014 तक 12162 हैक्टयर वृक्षारोपण, 119 एनीकट, 80,000 घन मीटर चेक डेम, 1,50,000 रनिंग मीटर कन्टूर बन्डिग, 170 परकोलेशन टैंक एवं 330 जल एवं मृदा संरक्षण संरचनाओ का निर्माण कार्य करवाया गया है। इसके अतिरिक्त बायोडाईवसिटी कन्जर्वेशन के अन्तर्गत 4500 हैक्टयर में डी.एल.टी कार्य, 52 वाटर पाइंट का विकास कार्य तथा 1750 हैक्टयर में जैवविविधता संरक्षण के क्लोजर्स निर्मित किये गये है तथा 3 बायोलोजिकल पार्क के विकास का कार्य भी करवाया गया है। वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक योजना पर रू0 167.88 करोड का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 की कार्य योजना में लगभग 31100 हैक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण अग्रिम कार्य, लगभग 22123 है. भूमि में वृक्षारोपण तथा लगभग 10930 है. भूमि में संधारण कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्द्धन, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन तथा प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्य संबंधित गतिविधियों का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।

माचिया (जोधपुर) जैविक उद्यान का प्रवेश द्वारा

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) – रेंज आंतरी (जिला–डूंगरपुर)

वित्तीय प्रगति वर्ष 2014

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	मद	वित्तीय प्रावधान	व्यय दिसम्बर, 2014 तक
1.	वनीकरण	15613.67	5126.30
2.	कृषि वानिकी गतिविधियां	34.00	0.05
3.	जल संरक्षण संरचनाएं	1290.21	60.59
4.	जैव विविधता संरक्षण	1872.89	1653.96
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुधार	320.50	30.05
6.	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं शोध	296.01	6.93
7.	समुदायों की गतिशीलता	1437.85	159.58
8.	परियोजना प्रबन्ध	543.20	151.68
9.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन	115.00	20.40
10.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई हेतु संविदा कार्मिक	346.00	200.01
	योग	**21869.33**	**7409.55**
11.	प्रशासनिक लागत	130.67	77.61
12.	वैट एवं आयात कर	0.00	0.00
	महायोग	**22000.00**	**7487.165**

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्ष 2014–15

क्र.सं.	मद	इकाई	लक्ष्य	दिसम्बर, 2014 तक उपलब्धियां
1.	**वनीकरण कार्य**			
अ.	अग्रिम कार्य	है.	31100	8043
ब.	अग्रिम कार्य सह वृक्षारोपण	है.	27330	20100
2.	**जल संरक्षण संरचनाएं**			
अ.	एनीकट टाइप–प्रथम	संख्या	125	कार्य प्रगति पर
ब.	एनीकट टाइप–द्वितीय	संख्या	75	कार्य प्रगति पर
स.	चैकडेम	घनमीटर	40000	3700
द.	कन्टूर बन्डिंग	रनिंग मी.	100000	18230
य.	परकोलेशन टैंक	संख्या	140	11
र.	पारम्परिक जल संरक्षण संरचनाओं का जीर्णोद्धार	संख्या	40	कार्य प्रगति पर

क्र.सं.	मद	इकाई	लक्ष्य	दिसम्बर, 2013 तक उपलब्धियां
ल.	सिल्ट डिटेंशन संरचना	संख्या	70	5
व.	गैबियन संरचना	संख्या	100	5
3.	**जैव विविधता संरक्षण**			
अ.	नाला उपचार कार्य	है.	2500	263
ब.	जल बिन्दुओं का विकास	संख्या संरचना	40	12
स.	जैव विविधता संरक्षण हेतु क्लोजर	है.	1500	305

• नाबार्ड पोषित परियोजना

प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा भरा बनाए जाने हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. ट्रांच 18 अन्तर्गत वित्त पोषण से राज्य के 17 जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर) में पंचवर्षीय परियोजना अन्तर्गत 52,750 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण, भू एवं जल संरक्षण तथा कृषि वानिकी कार्यों हेतु राशि ₹ 336.65 करोड़ की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त की जाकर वर्ष 2012–13 से कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबन्ध समितियों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्द्धन आदि कार्य भी किये जा रहे हैं। परियोजना में समस्त कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से तैयार सूक्ष्म नियोजन के आधार पर कराए जा रहे हैं। अब तक परियोजना अन्तर्गत 51510 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा शेष वृक्षारोपण 1240 हैक्टेयर आगामी वर्षों में पूर्ण कराया जाना निर्धारित है। परियोजना में वर्ष 2012–13 में राशि ₹ 7897 लाख एवं वर्ष 2013–14 में राशि ₹ 13317.08 लाख व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु परियोजना अन्तर्गत राशि ₹ 5800 लाख का प्रावधान है। माह दिसम्बर 2014 तक राशि ₹ 3687.15 लाख व्यय की जा चुकी है।

छाया सौजन्य : राजेश शर्मा

वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर में पौधारोपण करते हुए माननीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजकुमार रिणवा

• परियोजना के उद्देश्य

नाबार्ड वित्त पोषित RIDFXVIII परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

- सघन वृक्षारोपण तथा जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों के माध्यम से अरावली तथा विन्ध्याचल पर्वतमाला के पारिस्थितिकीय तंत्र पुनर्स्थापना।
- वन भूमि के पास स्थित वर्षा आधारित गैर वन भूमि में कृषि को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां संचालित करना ताकि स्थानीय लोगों की वनों पर निर्भरता कम हों तथा उन्हें आजीविका के अतिरिक्त साधन मिल सके।
- 'जीन पूल' का संरक्षण तथा क्षेत्र की जैव विविधता में अभिवृद्धि।
- राज्य में लघु वन उपज, ईंधन व चारे की उपलब्धता को बढ़ाना।
- ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध करा उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- साझा वन प्रबंध के माध्यम से वन सुरक्षा एवं विकास में जन भागीदारी प्राप्त करना।
- राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 के अनुरूप राज्य के 20% भौगोलिक क्षेत्र को वृक्षाच्छादित करने का प्रयास करना।
- जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को कम करना तथा कार्बन सिंक व कार्बन पूल को बढ़ाना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिभ्रांषित वन भूमि तथा पंचायत एवं गोचर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिसकी परिणति जलग्रहण क्षेत्र में जल संरक्षण से होगी तथा आसपास निवास करने वाले लोगों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। इस हेतु परियोजना को 7 पैकेज में विभक्त किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

पैकेज–1 : वृक्षारोपण कार्य : इस पैकेज के तहत वन क्षेत्रों में वर्तमान वनस्पति घनत्व के आधार पर वृक्षारोपण का प्रावधान है। इस पैकेज के तहत निम्न चार मॉडल्स का प्रावधान किया गया है:

(i) **परिभ्रांषित वनों का पुनरुत्पादन–I (Rehabilitation of Degraded Forests-I) :** ऐसे परिभ्रांषित वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 0 से 10 प्रतिशत हो तथा जहां रूट स्टॉक बहुत कम हो वहां इस मॉडल के अनुसार कार्य किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों में 400 से 500 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जावेंगे।

(ii) **परिभ्रांषित वनों का पुनरुत्पादन–II (RDF-II) :** ऐसे परिभ्रांषित वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 10 से 40 प्रतिशत हो तथा अच्छी मात्रा में रूट स्टॉक उपलब्ध हो वहाँ इस मॉडल के अनुसार कार्य किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों में 200 से 300 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जावेंगे।

(iii) **प्राकृतिक रिजनरेशन को बढ़ावा (Assisted Natural Regeneration) :** ऐसे वन क्षेत्र जहां वनस्पति घनत्व 40 प्रतिशत से अधिक है तथा पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रूप से पौधे तथा रूट स्टॉक उपलब्ध हो तथा खाली स्थानों में 150–200 पौधे लगाए जाने की संभावना हो, में इस मॉडल के तहत कार्य किया जावेगा।

(iv) **पंचायत भूमि वृक्षारोपण (Panchayat Land Plantation) :** वन भूमि के अतिरिक्त ग्राम की रिक्त पड़ी गैर वन भूमि, चरागाह भूमि, पड़त भूमि पर वृक्षारोपण हेतु इस मॉडल के तहत 800 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जाने का प्रावधान है। इस मॉडल के तहत भूमि की उपलब्धता अनुसार 10 से 20 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है।

पैकेज–2 : कृषि वानिकी गतिविधियां : इस पैकेज के तहत कृषकों एवं आमजन में पौधे उपलब्ध कराने हेतु नर्सरी में पौधे तैयार करने तथा इस हेतु नई नर्सरी लगाने तथा स्थापित विभागीय नर्सरियों के विकास का प्रावधान रखा गया है।

पैकेज–3 : जल एवं मृदा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण : इस पैकेज के तहत वन तथा गैर वन भूमियों में चेकडैम, गैबियन चेकडैम, परकोलेशन टैंक (Percolation Tank), जल संरक्षण संरचनाएं तथा एनिकट बनाने का प्रावधान है। इसके अलावा वनभूमि से लगते हुए 500 मीटर के दायरे में आने वाली कृषि भूमि में कन्टूर बंडिंग तथा फार्म पौण्ड बनाने का प्रावधान है जिससे कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी।

पैकेज–4 : साझा वन प्रबन्ध : इस पैकेज के तहत परियोजना क्षेत्र में वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के गठन, समितियों से सम्बन्धी ग्रामों की सूक्ष्म योजना बनाने, साझा वन प्रबंध के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय सृजन की अतिरिक्त गतिविधियां करने, प्रवेश बिन्दु गतिविधियों के तहत ग्राम की आवश्यकताओं के अनुरूप सामुदायिक कार्य करने तथा आम जन में वनों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अवेयरनेस कैम्पस आयोजित करने का प्रावधान है।

पक्षियों की बीट से प्राप्त बीजों से तैयार की गई बरगद की पौध

पैकेज–5 : दक्षता निर्माण (Capacity Building) : इस पैकेज के तहत परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों, वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के प्रशिक्षण का प्रावधान है ताकि नवीनतम तकनीक की जानकारी देकर परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप सफल कार्य कराए जा सकें।

पैकेज–6 : संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) : इस पैकेज के तहत परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों, वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के शैक्षणिक भ्रमण, सफल कार्य स्थलों के भ्रमण तथा इस हेतु कार्यशालाओं के आयोजन का प्रावधान है। इसके अलावा परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरण यथा जी.पी.एस., कैमरा, टी.वी., वी.सी.आर. आदि के क्रय का तथा परियोजना के कार्यों की तकनीक सम्बन्धी वन–पर्यावरण के सम्बन्ध में जाग्रति पैदा करने हेतु सामग्री प्रकाशन का प्रावधान भी किया गया है।

पैकेज–7 : प्रबोधन एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) : इस पैकेज के तहत परियोजना के तहत कराए गए कार्यों के प्रबोधन एवं मूल्यांकन का प्रावधान है ताकि इसके क्रियान्वयन में हो रही तकनीकी कमियों का पता लग सके तथा भविष्य में इसमें सुधार किया जा सके।

Project for Development of water Catchment through Greening of Rajasthan (Phse-II) under RIDE-XX year 2014-15 to 2018-19

नाबार्ड वित्त पोषित RIDF-XX Phase-II परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि में 43000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तावित किया गया है। उक्त परियोजना की गतिविधियों को वाटरशेड में कलस्टर के आधार पर जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग द्वारा स्वीकृत, जलग्रहण परियोजनाओं में लिया जाना है ताकि परियोजना के कार्यों का जलग्रहण विभाग द्वारा संचालित जलग्रहण परियोजना से कन्वरजैन्स स्थापित हो सके। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध

तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबंधन समितियों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन कार्य आदि भी किये जाने हैं। मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं तकनीकी मापदण्ड के अनुसार वन क्षेत्र तथा गैर वन क्षेत्रों में भी करायी जाएगी, जिससे कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े एवं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा वन क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता घटे। द्वितीय चरण की कुल प्रस्तावित लागत ₹ 282.34 करोड़ है। इस परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 31650 हैक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

नाबार्ड द्वितीय चरण की योजना के उद्देश्य मुख्यतया नाबार्ड परियोजना चरण प्रथम के अनुसार ही है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस परियोजना को भी 7 पैकेज में विभक्त किया गया है। प्रथम चरण पैकेज–। के वृक्षारोपण कार्य के अतिरिक्त इस नवीन परियोजना के अन्तर्गत 1-Bamboo Productivity Enhancement operations एवं 2-Buffer Area Development के कार्य भी कराये जा रहे हैं। वर्ष 2014–15 में राशि ₹ 109.94 करोड़ का व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

• कैम्पा कोष (Campa Fund)

गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले में प्राप्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दण्डात्मक वृक्षारोपण तथा एनपीवी (नेट प्रजेंट वेल्यू) आदि से प्राप्त राशि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन एण्ड मैनेजमेंट प्लानिंग ऑथोरिटी (कैम्पा फण्ड) की स्थापना भारत सरकार के स्तर पर की गयी है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 12.11.2010 को जारी कर राजस्थान राज्य कैम्पा कोष प्राधिकरण का गठन कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.07.2009 अनुसार तदर्थ कैम्पा में राज्य के हिस्से की जमा मूल राशि की 10 प्रतिशत राशि आगामी पांच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष स्टेट कैम्पा को रिलीज की जावेगी।

भारत सरकार द्वारा एडहॉक कैम्पा से स्टेट कैम्पा (राजस्थान) को निम्नानुसार बजट का आवंटन किया गया:–

वित्तीय वर्ष	2009–10	₹ 3259.08 लाख
वित्तीय वर्ष	2010–11	₹ 4206.98 लाख
वित्तीय वर्ष	2011–12	₹ 3189.13 लाख
वित्तीय वर्ष	2012–13	₹ 3742.98 लाख
वित्तीय वर्ष	2013–14	₹ 3450.00 लाख
वित्तीय वर्ष	2014–15	₹ 6000.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2013–14 में 45.14 करोड़ (संचित ब्याज राशि एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 की अवशेष राशि सम्मिलित) की वार्षिक योजना तैयार कर स्वीकृत करायी गई थी जिसके विरुद्ध वन एवं वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा के कार्यों पर दिनांक 31.03.2014 तक ₹ 38.29 करोड़ का व्यय किया गया।

छाया : आर. के. जैन

भांखलिया जलग्रहण क्षेत्र में वर्ष 2011 में निर्मित एनीकट, फोटो सितम्बर, 2014

कैम्पा कार्यों की वर्ष 2013–14 की प्रमुख भौतिक उपलब्धियां

नाम कार्य	लक्ष्य	उपलब्धि
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य)	500 है.	354.79 है.
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	548.53 है.	529.32 है.
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण द्वितीय वर्ष	538.88 है.	538.88 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य)	1000 है.	1033 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	1000 है.	993 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण द्वितीय वर्ष	1000 है.	970 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग (अग्रिम कार्य) प्राकृतिक पुनरुत्पादन में सहयोग	1500 है.	1462 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग संधारण प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	2300 है.	2300 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग संधारण द्वितीय वर्ष	4500 है.	4500 है.
पक्की दीवार का निर्माण कार्य (4 फीट ऊंचाई)	15000 RMT	14662 RMT
पक्की दीवार का निर्माण कार्य (6 फीट ऊंचाई)	12000 No	11862 RMT
अभेड़ा जैविक उद्यान की पक्की दीवार का निर्माण कार्य (12 फीट ऊंचाई)	2000 RMT	2199.20 RMT
वन भूमि के सीमांकन हेतु सीमा स्तम्भों का निर्माण	1500 No.	1322 No.
एनीकट/गजलर/जल संरचनाओं का निर्माण	25 No.	23 No.
अधीनस्थ वनकर्मियों वन चौकियों का निर्माण	19 No.	18 No.
रेंज ऑफिस सह निवास का निर्माण	8 No.	8 No.
मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर में वन्य जीव क्लोजर का निर्माण	200 है.	200 है.
वन्यजीवों हेतु पुनर्वास केन्द्र का संधारण	9 No.	9 No.
वन सुरक्षा कार्यों हेतु वाहन क्रय	7 No.	7 No.
अधीनस्थ वनकर्मियों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु मोटर साइकिल उपलब्ध कराना	50 No.	49 No.
ब्लैक बक कन्जर्वेशन रिजर्व हेतु सोरसन (बारां) 4 फीट पक्की दीवार निर्माण कार्य।	1400 RMT	1400 RMT
पैंथर कन्जर्वेशन रिजर्व संधारण (पाली)	1 No.	1 No.
इन्टर प्रिटेशन सेंटर संधारण (पाली)	1 No.	1 No.
आई.टी. कार्यों के लिए फील्ड इक्यूयमेंट उपलब्ध कराना व डीजीपीएस सर्वे कार्य	₹ 72 लाख	40.84 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त वनरक्षक, सहायक वनपाल, वनपाल व क्षेत्रीय वनाधिकारी जो फील्ड में कार्यरत हैं, को मोबाइल फोन सुविधा सीयूजी योजना के अन्तर्गत लगभग 4000 कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय वनाधिकारी व अधीनस्थ फील्ड स्टॉफ के कार्यालय (नाका/चौकियों) का संधारण कार्य भी कराया गया।

वन विभाग के निर्माणधीन मुख्यालय 'अरण्य भवन' हेतु ₹ 3.5 करोड़ राजस्थान स्टेट कैम्पा के संचित ब्याज से उपलब्ध कराये गये हैं।

वर्ष 2014–15 में प्रस्तावित कार्य:– वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु ₹ 7304.12 लाख (संचित ब्याज राशि एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवशेष राशि सम्मिलित) की वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाकर राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी से स्वीकृत कराई जा चुकी है तथा सम्बन्धित वन एवं वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा के कार्य प्रगति पर हैं।

फोर वाटर कांसेप्ट पायलेट प्रोजेक्ट कबीरी (झालावाड़)

कबीरी जलग्रहण विकास एवं उपचार कार्य स्थल आहू नदी के जल भराव क्षेत्र में रेंज डग के वनखण्ड आवर में स्थित है। इस परियोजना क्षेत्र में कुल 2172.19 बीघा भूमि में से 307.07 बीघा वन भूमि है। परियोजना क्षेत्र में 631 व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ फोर वाटर कम्सेप्ट पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य : 1. कबीरी जलग्रहण क्षेत्र का विकास एवं उपचार करना, 2. भू–जल स्तर में वृद्धि कर पौधों के आवरण तथा वन्य जीवों के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करना, 3. मृदा एवं जल अपरदन की गति को कम करना है।

चार जल संकल्पना के अनुसार प्रथम स्तर की धाराओं में 20 मिनि परकोलेशन टैंक (MPT) तथा उसके नीचे प्रथम व द्वितीय स्तर की धाराओं में 180 संकन गली पिट्स (SGPT) व सिल्ट ट्रेप (STP) बनाई जाएगी। पहाड़ों की अधिक ढलान की समाप्ति पर 1 गहरी समोच्च खाईयां (Deep CCT) बनाई जाएगी। जिससे तेज गति से आ रहे पानी की गति को अवरोध द्वारा कम किया जा सके। कम ढलान के क्षेत्रों में कम गहराई की 420 समोच्च खाईयां (Small CCT) बनायी जाएगी। जिससे इनमें भरा हुआ पानी जमीन में नमी बनाए रखेगा। वन भूमि में निर्धारित माप की 210 स्ट्रेगर्ड ट्रेन्चेस (SGT) बनायी जावेंगी तथा स्ट्रेगर्ड ट्रेन्चेस व खाईयों के नीचे की तरफ बंड पर 1230 पौधों का पौधारोपण किया जावेगा, ताकि इनमें संग्रहित पानी का उपयोग संभव हो सके।

वित्तीय व्यवस्था : इस परियोजना की वित्त पोषण के लिए केम्पा फण्ड से इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि ₹ 31.84 लाख के विरुद्ध अब तक 20 मिनि परकोलेशन टैंक निर्माण में ₹ 20 लाख खर्च हो चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर है।

फोर वाटर कांसेप्ट पायलेट प्रोजेक्ट बिन्नायेगा III (झालावाड़)

परियोजना कार्य स्थल फोर वाटर कन्सेप्ट के अन्तर्गत बिन्नायगा III जलग्रहण विकास एवं उपचार कार्य स्थल आहू नदी के जल भराव क्षेत्र में रेंज डग के वनखण्ड आवर में स्थित है। इस परियोजना क्षेत्र में कुल 5414 बीघा भूमि में से 3799 बीघा वन भूमि है। यहाँ फोर वाटर कम्सेप्ट पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य : 1. बिन्नायगा III जलग्रहण क्षेत्र का विकास एवं उपचार करना, 2. भू–जल स्तर में वृद्धि कर पौधों के आवरण तथा वन्य जीवों के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करना, 3. मृदा एवं जल अपरदन की गति को कम करना है।

चार जल संकल्पना के अनुसार प्रथम स्तर की धाराओं में 11 मिनि परकोलेशन टैंक (MPT) तथा उसके नीचे प्रथम व द्वितीय स्तर की धाराओं में 110 संकन गली पिट्स (SGPT) व सिल्ट ट्रेप (STP) बनाई जाएगी। पहाड़ों की अधिक ढलान की समाप्ति पर 2 गहरी समोच्च खाईयां (Deep CCT) बनाई जाएगी। जिससे तेज गति से आ रहे पानी की गति को अवरोध द्वारा कम किया जा सके। कम ढलान के क्षेत्रों में कम गहराई की समोच्च खाईयां (Small CCT) बनायी जाएगी। जिससे इनमें भरा हुआ पानी जमीन में नमी बनाए रखेगा। वन भूमि में निर्धारित माप की 480 स्ट्रेगर्ड ट्रेन्चेस (SGT) बनायी जावेंगी तथा स्ट्रेगर्ड ट्रेन्चेस व खाईयों के नीचे की तरफ बंड पर 720 पौधों का पौधारोपण किया जावेगा, ताकि इनमें संग्रहित पानी का उपयोग संभव हो सके।

वित्तीय व्यवस्था : इस परियोजना की वित्त पोषण के लिए स्टेट केम्पा फण्ड से इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि ₹ 19.57 लाख के विरुद्ध अब तक 11 मिनि परकोलेशन टैंक निर्माण में ₹ 9.05 लाख खर्च हो चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर है।

कैम्पा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में स्वीकृत कार्यों की भौतिक उपलब्धियां

नाम कार्य	लक्ष्य	उपलब्धि
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य)	2700 है.	कार्य प्रगतिरत
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	354.29 है.	354.29 है.
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण द्वितीय वर्ष	529.32 है.	529.32 है.
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण तृतीय वर्ष	538.88 है.	538.88 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य)	3500 है.	कार्य प्रगतिरत
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	1033 है.	1033 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण द्वितीय वर्ष	1000 है.	1000 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षूतिपूर्ति वृक्षारोपण संधारण तृतीय वर्ष	1000 है.	1000 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग (अग्रिम कार्य) प्राकृतिक पुनरुत्पादन में सहयोग	4000 है.	कार्य प्रगतिरत
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग संधारण प्रथम वर्ष (पौधारोपण)	1462 है.	1462 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग संधारण द्वितीय वर्ष	2300 है.	2300 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग संधारण तृतीय वर्ष	4500 है.	4500 है.
पक्की दीवार का निर्माण कार्य (4 फीट ऊंचाई)	32000 RMT	कार्य प्रगतिरत
पक्की दीवार का निर्माण कार्य (6 फीट ऊंचाई)	29000 No	कार्य प्रगतिरत
अभेड़ा जैविक उद्यान की पक्की दीवार का निर्माण कार्य (12 फीट ऊंचाई)	3000 RMT	CZAI के अनुमोदन उपरान्त
वन भूमि में सीमांकन हेतु सीमा स्तम्भों का निर्माण	4000 No.	कार्य प्रगतिरत
एनीकट/गजलर/जल संरचनाओं का निर्माण	56 No.	कार्य प्रगतिरत
अधीनस्थ वनकर्मियों वन चौकियों का निर्माण	38 No.	कार्य प्रगतिरत
रेंज ऑफिस सह निवास का निर्माण	15 No.	कार्य प्रगतिरत
वन्य जीवों हेतु पुनर्वास केन्द्रों का संधारण	9 No.	कार्य प्रगतिरत
वन सुरक्षा हेतु कैंटर का बाड़ी निर्माण कार्य	1 No.	कार्य प्रगतिरत
पैंथर कन्जर्वेशन परियोजना (पाली)	1 No.	कार्य प्रगतिरत
इंटर प्रिटेशन सेंटर संधारण (पाली)	1 No.	कार्य प्रगतिरत
आईटी कार्यों के लिए फील्ड इक्यूमपेंट उपलब्ध कराना व फील्ड स्टाफ के लिए जीपीएस खरीद	₹ 17 लाख	कार्य प्रगतिरत

• पर्यावरण वानिकी

मरुस्थलीय जिले जैसलमेर में पर्यावरण सुधार हेतु ईको–टॉस्क फोर्स द्वारा वर्ष 2014–15 में 300 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जोधपुर में देवकुण्ड वन खण्ड में स्थापित वन औषधीय उद्यान तथा जयपुर में स्थित कर्पूरचन्द कुलिश स्मृति वन के वृक्षारोपणों के संधारण का कार्य किया जा रहा है। सीकर शहर के आसपास के क्षेत्र को वनस्पति एवं वन्यजीव संरक्षण तथा प्रदूषण मुक्त करने हेतु वन भूमि पर स्मृति वन का कार्य ₹ 783.36 लाख की लागत से आरम्भ हो चुका है। पर्यावरण वानिकी कार्यों हेतु वर्ष 2014–15 में राशि ₹ 397.59 लाख का प्रावधान रखा गया है जिसमें से माह दिसम्बर 2014 तक ₹ 84.66 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

छाया सौजन्य : राजेश शर्मा

जलवायु परिवर्तन रणनीति विषयक कार्यशाला में दीप प्रज्ज्वलन कर उद्घाटन करते हुए माननीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजकुमार रिणवा

• तेरहवां वित्त आयोग

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषाओं में विभाग द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों तथा वनों के संबंध में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु पांच वर्ष हेतु ₹ 88.32 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है। इस राशि से वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु पक्की दीवार निर्माण, वन क्षेत्र की सीमाओं पर मिनारें लगवाना, चिड़ियाघरों का विकास, संरक्षित क्षेत्रों में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, प्रशिक्षण केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, ई–गवर्नेंस, पुराने भवनों का संधारण, कार्य योजनाओं का निर्माण तथा बांस के थूरो (clumps) कल्चरल ऑपरेशन्स से सम्बन्धित विकास कार्य सम्पादित करवाये जायेंगे। इस वर्ष वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु 74.60 कि.मी. दीवार एवं 4400 बाउण्ड्री पिलर का निर्माण किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में राशि ₹ 2703.63 लाख व्यय किये जायेंगे। माह दिसम्बर, 2014 तक ₹ 398.44 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

• परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण

यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य करवाये जा रहे हैं। इस वर्ष 4000 हैक्टेयर वन क्षेत्र में अग्रिम कार्य एवं 6314 है. वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 2648.43 लाख व्यय किये जायेंगे।

• जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक

यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वातावरण में आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण मरु प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरुस्थलीय जिलों में टिब्बा स्थिरीकरण तथा मेगा शेल्टर बेल्ट के कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2014–15 में 3000 हैक्टेयर में ₹ 833.26 लाख की लागत से अग्रिम मृदा कार्य करवाये जा रहे हैं। जिसमें से माह दिसम्बर, 2014 तक ₹ 637.80 लाख व्यय किए जाकर 1100 है. क्षेत्र उपचारित किया जा रहा है।

• साझा वन प्रबंध की सुदृढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 17.10.2000 व संरक्षित वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबंध की संकल्पना की क्रियान्विति की जा रही है। राज्य में 5620 ग्राम वन सुरक्षा समितियां गठित हैं जो लगभग 8.96 लाख हैक्टेयर, जो कि राज्य में वन भूमि का 27% है, से अधिक क्षेत्र का प्रबंधन कर रही हैं। इन ग्राम वन प्रबन्ध सुरक्षा समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए चालू वर्ष में ₹ 30.00 लाख व्यय

किये जायेंगे। यह नवीन योजना भी बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है।

• अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

वन अनुसंधान को और गति प्रदान करने की दृष्टि से यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वानिकी क्षेत्र में नई वैज्ञानिक तकनीकों के अनुसंधान तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु इस वर्ष ₹ 44.71 लाख व्यय किये जायेंगे।

❁ भाखड़ा व गंगनहर वृक्षारोपण

(Bhakhra & Gang Canal Plantation)

प्रदेश के थार मरुस्थल को हरा–भरा बनाने एवं आम जनता को बार–बार पड़ने वाले अकाल से राहत दिलाने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की, जिसे 'गंग नहर' कहा गया जो वर्तमान में 'बीकानेर नहर' कहलाती है। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखड़ा नहर, भाखड़ा नांगल बांध से निकलकर आती है जिससे हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 9,20,000 एकड़ क्षेत्र भू–भाग की सिंचाई होती है। दोनों नहरों के किनारे 2.2 लाख परिपक्व वृक्ष थे जिनके विदोहन का कार्य वन विभाग को सौंपा गया था।

इन दोनों नहरों के किनारों के वृक्षारोपण परिपक्व होने के कारण विदोहन कर लिया गया था। अत: नहरों को मिट्टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। पुनरारोपण के लिए राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करायी गयी है। भाखड़ा नहर का वृक्षारोपण कार्य वन मण्डल हनुमानगढ़ व गंगनहर वृक्षारोपण का कार्य वन मण्डल गंगानगर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

भाखड़ा एवं गंगनहर के दोनों ओर इस वर्ष ₹ 558.18 लाख व्यय किए जाकर 900 किमी. वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना है। माह दिसम्बर, 2014 तक ₹ 339.48 लाख व्यय किए जाकर 880 रो किमी. में वृक्षारोपण कार्य कराया जा चुका है।

भाखड़ा नहर वृक्षारोपण की प्रगति निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख ₹)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2009–10	130.51	130.51	885 आरकेएम (295 हैक्टेयर)
2.	2010–11	120.21	117.79	450 आरकेएम (150 हैक्टेयर)
3.	2011–12	119.54	113.34	220 आरकेएम (73 हैक्टेयर)
4.	2012–13	221.81	171.84	209 आरकेएम (70 हैक्टेयर)
5.	2013–14	298.90	210.22	331 आरकेएम (110 हैक्टेयर)
6.	2014–15 (माह दिसम्बर, 2014 तक)	232.33	133.86	400 आरकेएम (कार्य प्रगति पर)

गंगनहर वृक्षारोपण की प्रगति निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख ₹)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2009–10	104.39	104.02	507 आरकेएन (169 हैक्टेयर)
2.	2010–11	173.55	173.54	800 आरकेएम (267 हैक्टेयर)
3.	2011–12	256.21	112.67	233 हैक्टेयर
4.	2012–13	318.73	282.27	334 हैक्टेयर
5.	2013–14	387.61	293.94	285 हैक्टेयर
6.	2014–15 (माह दिसम्बर, 2014 तक)	326.18	205.68	500 आरकेएम (कार्य प्रगति पर)

फार्म फोरेस्ट्री

फार्म फोरेस्ट्री के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 60.00 लाख पौध तैयारी का लक्ष्य रखा गया है। जो कि अगले वित्तीय वर्ष 2015–16 में वितरित किये जायेंगे। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में भी 60.00 लाख पौधे वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरुद्ध वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 398.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

राजस्थान वन नीति, 2010 के अनुसार वनीकरण को बढ़ावा देने तथा वृक्षारोपण में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वानिकी के तहत तैयार किये गये कांटेदार प्रजाति के पौधे ₹ 4.00 प्रति पौधा तथा छायादार पौधे एवं चौड़ी पत्ती वाले 2 फीट ऊंचाई तक के पौधे ₹ 5 प्रति पौधा की दर से जन साधारण को वितरित किये जाते हैं।

राजकीय विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, भारतीय स्कॉउट एवं गाइड, एन.सी.सी. एवं स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों द्वारा यदि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है तो विभाग के अधिकारियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन देने पौधों की आवश्यकता का आंकलन कर एक रुपये प्रति पौधे की दर से 1000 पौधे तक उपलब्ध करवाये जायेंगे परन्तु सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह आंकलन किये जाने का प्रावधान है कि वृक्षारोपण कराने वाले के पास वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि एवं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने वानिकी गतिविधियों के सरलीकरण एवं उनके क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को एक कर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme) योजना का सृजन किया था। योजनाओं को एक करने का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही समान उद्देश्यों वाली कई योजनाओं को एक करना, वित्त व्यवस्था एवं लागू करने की प्रणाली में समानता लाना था।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं।

राज्य में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्य वन विकास अभिकरण का गठन किया गया है। ये अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

राज्य वन विकास अभिकरण के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक MEF (NAEB) : 4.1.2014– बी– III दिनांक 22.12.2014 से वर्ष 2014–15 की संशोधित वार्षिक कार्य योजना राशि ₹ 696.48 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जिसके क्रियान्वयन हेतु प्रथम किस्त के रूप में ₹ 335.00 लाख दिनांक 21.8.2014 को तथा द्वितीय किस्त के रूप में

361.48 लाख ₹ 22.12.2014 से प्राप्त हुए हैं। तदनुसार राज्य वन विकास अभिकरण के कार्य प्रगति पर है। जिसके भौतिक लक्ष्य निम्नानुसार हैं:–

भौतिक लक्ष्य (है. में)

अग्रिम कार्य	वृक्षारोपण	संधारण			योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
2550	2425	600	3300	0	8875

❁ नर्मदा नहर परियोजना (Narmada Canal Project)

जालोर जिला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में गुजरात की सीमा पर स्थित है। जिले का क्षेत्रफल 10640 वर्ग किलोमीटर है। जिले के पश्चिमी भाग में रेगिस्तान का फैलाव है, वहीं जसवंतपुरा जैसी अरावली की ऊंची चोटियां भी हैं। जिले के सुदूर दक्षिण में रण कच्छ का खार क्षेत्र भी है। जिले में औसत वर्ष 413 मिलीमीटर है। नर्मदा मुख्य नहर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती है, इसमें मार्च, 2008 से जल प्रवाह प्रारम्भ हो गया है। नर्मदा मुख्य नहर एवं इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों के किनारे वृक्षारोपण की परियोजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसका 65 किलोमीटर (0 to 51.5 RD, 58.8 to 68.3 RD, 70 to 74 RD) का हिस्सा जालौर जिले में है व शेष 9 किलोमीटर (51.5 to 58.8 RD, 68.3 to 70) बाड़मेर में है।

उक्त परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में आवंटित राशि ₹ 90.00 लाख के विरुद्ध राशि ₹ 20.57 लाख व्यय किये जाकर नर्सरी तैयारी, वाहन क्रय एवं कार्यालय व्यय सम्बन्धी कार्य करवाये गये। वर्ष 2008–09 में राशि ₹ 329.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध राशि ₹ 107.44 लाख व्यय किये जाकर नर्सरी स्थापना एवं पौध तैयारी, मुख्य नहर किनारे वृक्षारोपण हेतु अग्रिम कार्य आदि करवाये गये। वर्ष 2009–10 में राशि ₹ 531.78 लाख की वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध राशि ₹ 351.67 लाख व्यय किये जाकर 31 मार्च, 2010 तक 640.5 आर.के.एम. क्षेत्र में 128100 पौधों का वृक्षारोपण करवाया गया है। वर्ष 2010–11 में आवंटित राशि ₹ 377.19 लाख के विरुद्ध राशि ₹ 193.37 लाख का व्यय कर 640.5 आर.के.एम. क्षेत्र में गत वर्षों में रोपित 128100 पौधों का संधारण व 319.5 आर.के.एम. क्षेत्र में 63900 पौधों का वृक्षारोपण करवाया गया है। उक्त परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में आवंटित राशि ₹ 738.17 लाख के विरुद्ध राशि ₹ 158.82 लाख व्यय कर गत वर्षों में 960.00 आर.के.एम. क्षेत्र में रोपित 192000 पौधों का संधारण तथा 77 आर.के.एम. क्षेत्र में 15400 पौधों का वृक्षारोपण करवाया गया है। इस प्रकार मुख्य नहर किनारे

छाया : डॉ. एस. एस. चौधरी

नर्मदा नहर वृक्षारोपण का एक विहंगम दृश्य (जालौर)

कुल 1037 आर.के.एम. क्षेत्र में 207400 पौधों का वृक्षारोपण करवाया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राशि ₹ 936.37 लाख की वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध 31 मार्च, 2013 तक राशि ₹ 263.64 लाख व्यय किये गये हैं। समय पर बजट उपलब्ध नहीं होने से शेष राशि ₹ 672.73 लाख समर्पित किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1037 आर.के.एम. क्षेत्र में गत वर्षों में रोपित 207400 पौधों का संधारण तथा विभिन्न वितरिकाओं किनारे 200 आर.के.एम. क्षेत्र में 50000 पौधों का वृक्षारोपण कार्य किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु 1037 आर.के.एम. मुख्य नहर का संधारण कार्य एवं वितरिकाओं पर संधारण कार्य सहित 360 आर.के.एम. में 0 वर्ष अग्रिम कार्य तथा वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है।

छाया : मुकेश तिवाड़ी

विश्व वानिकी उद्यान, जयपुर में बांस के Bambusetum साईजोम से प्रस्फुटित बांस

❁ राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम (National Bamboo Mission Programme)

यह योजना भारत सरकार के शत–प्रतिशत वित्तीय सहयोग से राज्य के उद्यान विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वन विभाग को भी कार्य क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस धनराशि से 8 वन विकास अभिकरणों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं राजसमंद द्वारा निम्न चार प्रकार की गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं :

1. सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय पौधशाला;
2. किसान पौधशाला;
3. किसान प्रशिक्षण; तथा
4. क्षेत्र विस्तार (Captive Plantation)

छाया : आर. के. ग्रोवर

बांस के थूरों पर उत्पादकता वृद्धि हेतु कल्चर कार्य

बैम्बू मिशन :– राष्ट्रीय बैम्बू मिशन में वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत वन विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों के भौतिक 775 है. क्षेत्रफल में 525 है. में संधारण एवं 150 है. में वृक्षारोपण तथा 1 नर्सरी का विकास हेतु 109.93 लाख का आवंटन समन्वित उद्यानिकी विकास पंत कृषि भवन जयपुर द्वारा सम्बन्धित वनमण्डलों को किया गया है जिसकी माह दिसम्बर तक वित्तीय उपलब्धि 60.109 लाख प्राप्त हुई है।

❁ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2006 को राज्य के 6 जिलों यथा उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ तथा करौली में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना आरम्भ की गई थी। वर्तमान में यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिलेवार इस योजना के लिए पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किये गए हैं जो क्षेत्र की आवश्यकता एवं कार्य प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए समय–समय पर संशोधित किये जा सकेंगे।

विभाग द्वारा 'पर्सपेक्टिव प्लान' में अधिक से अधिक कार्य जल संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण के प्रस्तावित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गए हैं।

विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं :

- कन्टूर डाईक, ग्रेडोनी, कन्टूर ट्रेंच, बॉक्स ट्रेंच, वी–डिच आदि का निर्माण;
- बांस के पौधों का कर्षण कार्य;
- वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तेन्दू, सालर, खेजड़ी, शीशम आदि के वृक्षों के नीचे की ओर ट्रेंच (खाई) खोदकर पुनरुत्पादन से वृक्षों की तैयारी;
- ट्रेंचों पर बीजारोपण;
- वन क्षेत्रों में रतनजोत, कूमठा एवं अन्य उपयुक्त वृक्ष एवं घास प्रजातियों का बीजारोपण;
- प्राकृतिक पौधों के समीप औषधीय एवं आर्थिक महत्त्व की बेलों का बीजारोपण/ पौधारोपण;
- विभागीय पौधशालाओं में सुधार कार्य;
- नए क्लोजर बनाना एवं इनमें सुधार कार्य;
- पुराने क्लोजर्स की दीवारों की मरम्मत व अन्य सुधार कार्य;
- पुराने वृक्षारोपणों का संधारण; तथा
- चरागाह क्षेत्रों का पुनर्विकास

मनरेगा में अब तक 39650 कार्य राशि ₹ 350789.58 लाख के प्रस्तावित किये गये थे उनमें से 18059 कार्य राशि ₹ 188826.69 लाख के स्वीकृत हुए हैं। वर्ष 2014–15 में 1711 कार्य राशि ₹ 16548.37 लाख के प्रस्तावित किये गये जिनमें से अब तक 993 कार्य राशि ₹ 9972.07 के स्वीकृत किये जा चुके हैं। इन कार्यों पर 3240766 मानव दिवस का रोजगार सृजित हो चुका है जिसमें से 1939436 मानव दिवस रोजगार का सृजन महिलाओं द्वारा किया गया है। कुल मानव दिवसों में से अनुसूचित जाति हेतु 692215 तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 740455 मानव दिवसों का सृजन हुआ है।

छाया : एस. एस. चौधरी

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पॉपलर वृक्षारोपण

मनरेगा अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का प्रगति विवरण

क्र.सं.	वर्ष	प्रस्तुत प्रस्तावों का विवरण		कार्य जिनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हुई		सृजित मानव दिवस				
		संख्या	प्राक्कलन राशि	संख्या	राशि	अ.जा.	अ.जन.	अन्य	योग	महिला
1.	2006–07	815	4284.54	694	3907.04					
2.	2007–08	1350	9333.57	1056	7003.05					
3.	2008–09	11208	49643.13	2939	18279.96	62161	64701	87422	214284	102405
4.	2009–10	6929	55712.18	3292	25491.34	57983	30506	103254	191743	106228
5.	2010–11	6628	75222.04	3125	44091.79	237949	162518	517832	918299	606009
6.	2011–12	4813	77594.17	2933	54122.61	143794	171320	514034	829135	542399
7.	2012–13	2964	40753.21	1543	16505.96	50215	63276	172186	285677	173686
8.	2013–14	3232	21698.37	1484	9452.83	66399	125435	195927	387761	203887
9.	2014–15	1711	16548.37	993	9972.07	73714	122699	217454	413867	204822
	योग	**39650**	**350789.58**	**18059**	**188826.69**	**692215**	**740455**	**1808109**	**3240766**	**1939436**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में ईको रेस्टोरेशन मॉडल के अन्तर्गत पक्की दीवार निर्माण की सूचना

वर्ष 2010–11 तक की सूचना		वर्ष 2011–12 तक की सूचना		वर्ष 2012–13 तक की सूचना		वर्ष 2013–14 तक की सूचना		वर्ष 2014–15 तक की सूचना	
स्वीकृत दीवार (कि.मी.)	पूर्ण निर्मित दीवार (कि.मी.)	स्वीकृत दीवार (कि.मी.)	पूर्ण निर्मित दीवार (कि.मी.)	स्वीकृत दीवार (कि.मी.)	पूर्ण निर्मित दीवार (कि.मी.)	स्वीकृत दीवार (कि.मी.)	पूर्ण निर्मित दीवार (कि.मी.)	स्वीकृत दीवार (कि.मी.)	प्रगतिरत दीवार (कि.मी.)
960.31	**643.75**	**914.84**	**303.50**	**123.69**	**31.34**	**29.50**	**2.27**	**18.65**	**3.00**
कुल स्वीकृत **2046.99**				कुल पूर्ण निर्मित **983.85**					

मनरेगा अन्तर्गत सड़क मार्ग वृक्षारोपण – रेंज जायल (जिला नागौर)

पक्की दीवार के निर्माण से न केवल वन सीमाओं की सुरक्षा ही होगी अपितु दीवारें वन भूमि पर विद्यमान वनस्पति के पुनरुत्थान हेतु भी अतिआवश्यक है। अब तक 2046.99 कि.मी. दीवार निर्माण की स्वीकृति जारी हुई है जिसमें से माह दिसम्बर, 2014 तक 983.85 कि.मी. निर्माण पूरा हो चुका है। यह उन क्षेत्रों में किया गया है जहां पर रूट स्टॉक मौजूद है। पक्की दीवार बनाने के पश्चात् अनुकूल परिणाम आये हैं। शेष कार्य प्रगति पर है।

❁ गूग्गल संरक्षण एवं विकास परियोजना

गूग्गल प्रदेश की एक मुख्य औषधीय प्रजाति है। राजस्थान में गूग्गल के संरक्षण व विकास के लिए केन्द्रीय औषधी पादप मण्डल के वित्तीय सहयोग से एक परियोजना 2008–09 से आरम्भ की गई है। इस परियोजना की कुल लागत ₹ 679.00 लाख है।

- **नवीन परियोजना :–** प्रदेश के उदयपुर संभाग के वनों में भी अनेक प्रकार के औषधीय पादप हैं। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 33 प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी व्यापारिक मांग अत्यधिक है। अतः उदयपुर क्षेत्र की संकटापन्न/लुप्त औषधीय पौधों के संरक्षण एवं विकास हेतु वन विभाग द्वारा एक परियोजना बनाई जाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गई, जिसकी राष्ट्रीय औषधीय पादप मण्डल नई दिल्ली से ₹ 723.13 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित थे :–

छाया : सुखराम काला

औषधीय पौधा बड़ा चांदा (*Rauvulfia vomitoria*)

संकटापन्न/लुप्त प्रायः औषधीय पौधों की कृषि, वृक्षों के साथ–साथ झाड़ियां व बेलों का संवर्धन, आदिवासियों को शीघ्र लाभ देने के लिए औषधीय पौधों की उपलब्धता बढ़ाने, शोध एवं शिक्षण, आजीविका एवं रोजगार सृजन, सटीक संसाधन सूची तैयार करना तथा तकनीक ज्ञान में वृद्धि करना आदि–आदि। यह परियोजना वर्ष 2010 से 2015 अर्थात् 5 वर्षों के लिए बनाई गई है। परियोजनान्तर्गत 900 हैक्टेयर वन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

उदयपुर संभाग में निम्न मेडिसिनल प्लान्ट्स तैयार किये जा रहे हैं :–

अरीठा, अर्जुन, बहेड़ा, बेल, बीजा साल, चिरौंजी, हरड़, महुआ, मौलश्री, पाडल, सूनाग, अरनी, चिरमी, गिलोय, गूग्गल, हड्डीजोड़, जीवन्ती, कौंच, कलिहारी, मालकांगनी, शिकाकाई, सिन्दूरी, सफेद मूसली, अलोयवेरा, करंज इत्यादि।

वर्ष 2012–13 में वन विकास अभिकरण, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में दो नये प्रस्ताव नैशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, नई दिल्ली से क्रमशः ₹ 574.53 लाख 1000 हैक्टेयर में कार्य एवं ₹ 344.71 लाख 650 हैक्टेयर में कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गई जिसमें वर्ष 2012–13 हेतु वन विकास अभिकरण, उदयपुर हेतु ₹ 229.81 लाख तथा वन विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ हेतु ₹ 137.88 लाख स्वीकृत की गई, जिसके विरुद्ध मय ब्याज राशि के क्रमशः ₹ 237.266 लाख तथा ₹ 138.2478 लाख व्यय किए गए। वर्ष 2013–14 में द्वितीय किस्त के रूप में वन विकास अभिकरण, उदयपुर हेतु ₹163.584 लाख तथा वन विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ हेतु ₹101.69 लाख की राशि आवंटित की गई तथा क्रमशः ₹122.488 लाख तथा ₹ 101.6922 लाख व्यय गए।

स्थानीय आवश्यकतानुसार बाँस, आँवला आदि का वृक्षारोपण – रेंज आंतरी (जिला डूंगरपुर)

वर्ष 2013–14 में वन विकास अभिकरण, बांसवाड़ा, वन विकास अभिकरण, डूंगरपुर एवं वन विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ में तीन नए प्रोजेक्ट के प्रस्ताव नेशनल मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली से क्रमश: ₹ 349.79 लाख 600 हैक्टेयर कार्य हेतु ₹ 294.78 लाख 500 हैक्टेयर कार्य तथा ₹ 304.62 लाख 500 हैक्टेयर कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गई जिसमें 2013–14 में वन विकास अभिकरण, बांसवाड़ा हेतु ₹ 139.92 लाख वन विकास अभिकरण, डूंगरपुर हेतु ₹ 117.91 लाख तथा वन विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ हेतु ₹ 121.85 लाख की राशि आवंटित की गई। उक्त राशि के विरुद्ध क्रमश: रुपये 139.85 लाख, ₹ 117.91 लाख (जुलाई, 2014 तक) तथा ₹ 121.85 लाख (सितम्बर, 2014 तक) की राशि व्यय किए गए।

❁ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

प्रदेश में रियासत काल में कतिपय क्षेत्र घास–बीड़ के नाम से आरक्षित किए गए थे जहां घास का उत्पादन व संग्रहण होता था। स्वतंत्रता के पश्चात् ये घास बीड़ वन विभाग को हस्तान्तरित हो गए। इन घास बीड़ों पर विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा) तथा लैन्टाना बड़े पैमाने पर उग आया। इससे इन बीड़ों से घास की उत्पादकता कम हो गई। विभाग के पास पर्याप्त वित्त नहीं होने के कारण ये बीड़ सही प्रकार से प्रबन्धित नहीं हो सके और इन घास–बीड़ों से कृषकों की आवश्यकतानुसार घास का उत्पादन सम्भव नहीं रहा। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान के विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र से पूर्व में वर्ष पर्यन्त सेवन घास का उत्पादन होता था। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसे घास उत्पादक क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर आदि जिलों में टुकड़ों के रूप में फैले हुए हैं। बाद में इन क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना आने के कारण इन क्षेत्रों का पारिस्थितिकी तंत्र बदल गया और घास उत्पादक क्षेत्र में कमी आई।

कृषकों की घास की मांग की आपूर्ति करने के लिए घास उत्पादक क्षेत्रों का जीर्णोद्धार आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार ने इस कार्य का दायित्व वन विभाग को सौंपा कि विभाग मरुस्थलीय क्षेत्रों में तृण भूमि का विकास करें ताकि गांवों में चारे की पर्याप्त आपूर्ति हो सके साथ ही साथ मरुस्थलीय जिलों से राज्य के पूर्वी भागों व अन्य निकटवर्ती राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में पशुधन का आव्रजन नहीं हो।

घास बीड़ों के सुधार के लिए एक पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है।

क्षेत्र– इस परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के पश्चिमी जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही तथा जालोर में योजना अवधि में 10,000 हैक्टेयर तृण–भूमि उपचारित की जा रही है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 के लक्ष्य व उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं

क्र.सं.	नाम जिला	लक्ष्य				उपलब्धि				आवंटित राशि 2014–15	व्यय वर्ष 2014–15 के दौरान
		वृक्षारोपण	संधारण प्रथम वर्ष	संधारण द्वितीय वर्ष	संधारण तृतीय वर्ष	वृक्षारोपण	संधारण प्रथम वर्ष	संधारण द्वितीय वर्ष	संधारण तृतीय वर्ष		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जोधपुर	0	0		240	0	0		240	8.10	1.000
2.	पाली	0	0		150	0	0		150	3.50	2.200
3.	जालौर	0	0		50	0	0		50	1.18	0.400
4.	जैसलमेर (डी.डी.पी.)	0	0		900	0	0		900	19.67	12.96
5.	सिरोही	0	95	379	116	0	95	379	116	13.35	3.250
6.	श्रीगंगानगर	0	0		700	0	0		700	16.59	3.670
7.	हनुमानगढ़	350	0		700	350	0		700	79.00	23.930
8.	डी.एन.पी. जैसलमेर	0	0		500	0	0		500	11.85	2.940
	जैसलमेर (सेवण घास) 500 क्विंटल	500 क्विंटल सेवण घास का बीज संग्रहण करना है।				बीज संग्रहण कार्य प्रगति पर है।					
	योग	**350**	**95**	**379**	**3356**	**350**	**95**	**379**	**3356**	**153.24**	**50.350**

ट्रेंच पर बीजारोपण से विकसित पौधे – गरजा मगरा (जिला बांसवाड़ा)

मरुस्थलीय जिलों में चारे की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना के अन्तर्गत 6 जिले यथा हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही एवं मरु विकास कार्यक्रम, जैसलमेर व पाली में वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक कुल 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए राशि ₹2500.00 लाख की योजना स्वीकृत है जिसमें मजदूरी की दरों की बढ़ोतरी हो जाने से उक्त स्वीकृत परियोजना अब ₹2867.00 लाख हो गई है। कालान्तर में जोधपुर जिले में चारा विकास क्षेत्र निर्धारित लक्ष्य अनुसार उपलब्ध नहीं होने के कारण सिरोही जिले को भी योजना में शामिल किया गया है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में 400 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराया गया है। वर्ष 2010–11 में 4160 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है। वर्ष 2011–12 में 3356 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करया लिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में 379 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य एवं वर्ष 2013–14 में 95 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण किये गये। इस प्रकार कुल 8740 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्यों के लक्ष्य अर्जित किये गये। जिसका विवरण निम्न सारणी में प्रस्तुत है:–

क्र.सं.	नाम जिला	स्वीकृत लक्ष्य	अर्जित उपलब्धि वर्षवार					वर्ष 2014–15 संधारण	वर्ष 2014–15	
			2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14		आवंटित राशि (₹ लाखों में)	व्यय राशि (₹ लाखों में)
1.	जोधपुर		0	850	240	0		240	8.10	1.00
2.	पाली		110	690	150	0		150	3.50	2.20
3.	जालौर		0	450	50	0		50	1.18	0.400
4.	जैसलमेर		210	850	900	0		900	19.67	12.96
	जैसलमेर				500	0		500	11.85	2.94
5.	सिरोही			0	116	379	95	590	13.35	3.25
6.	गंगानगर		0	700	700	0	0	700	16.59	3.67
7.	हनुमानगढ़		80	620	700	0	0	700	79.00	23.93
	योग	**10000**	**400**	**4160**	**3356**	**379**	**95**	**3830**	**153.24**	**50.35**

नोट :– जैसलमेर में (सेवण घास) का 500 क्विंटल बीज एकत्रीकरण किया जावेगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में वर्ष 2014–15 में 3830 हैक्टेयर संधारण तथा 350 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है। इस हेतु राशि ₹ 291.08 लाख के प्रस्ताव निदेशालय कृषि, कृषि पंत भवन राज. जयपुर को भिजवाये गये थे जिसमें से उक्त कार्यालय द्वारा ₹ 153.24 लाख की राशि सम्बन्धित वन मण्डलों को आवंटित करने हेतु प्राप्त हुई है। सेवण घास के 500 क्विंटल के बीज एकत्रीकरण के लक्ष्य अनुसार एकत्रीकरण कार्य प्रगति पर है।

❁ जे. डी.ए. द्वारा वित्त पोषित

जयपुर विकास प्राधिकरण के सहयोग से विकसित स्मृति वन, जयपुर के संधारण के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹ 25 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

• अरण्य भवन निर्माण

वन विभाग का जयपुर स्थित मुख्यालय कृषि भवन एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के मुख्यालय के निकट वानिकी पथ पर वर्ष 1979 में निर्मित किया गया था। मुख्यालय का भवन तत्समय मात्र 20 से 25 अधिकारियों के उपयोग हेतु ही निर्मित किया गया था। समय के साथ–साथ विभाग की जिम्मेदारियां व्यापक रूप से बड़ी तथा अधिकारियों एवं उनके

संबंधित कार्यालयों में भी वृद्धि हुई है। नवीन अरण्य भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में आरम्भ किया गया है जो इस वर्ष पूर्ण हो जायेगा। इस नये भवन की कुल लागत रू. 34.50 करोड़ आयेगी। भवन निर्माण कार्य आर.एस.आर.डी.सी के माध्यम से कराया जा रहा है।

अरण्य भवन ''ग्रीन बिल्डिंग'' के रूप में जयपुर हेरिटेज को दृष्टिगत रखते हुए निर्मित किया गया है तथा भवन निर्माण में जाली, झरोखें एवं छतरियों का सुन्दर समिश्रण किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग में सौर ऊर्जा संयत्र, ऊष्मा रोधी काँच तथा छतों में ऊष्मा रोधक लगाये गये है इसके साथ ही पूर्ण भवन में ऊर्जा बचत के लिए एल.ई.डी तकनीक पर आधारित ऊर्जा उपकरणों का उपयोग किया गया है तथा 45 के.वी. सोलर ऊर्जा संयत्र लगाया गया है जिसकी क्षमता 100 के.वी. तक बढायी जा सकेगी। भवन में वाहनो के पार्किंग की व्यवस्था बेसमेन्ट में की गयी है।

• विकास कार्यों का तीन वर्ष का तुलनात्मक विवरण

आय–व्यय एवं विकास कार्यों का गत तीन वर्षों का तुलनात्मक विवरण निम्नांकित सारणियों में द्रष्टव्य है:–

आय–व्यय का विवरण

(₹ लाखों में)

वर्ष	कुल राजस्व	व्यय			
		योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	गैर आयोजना	योग
2011–12	7375.95	9839.27	6565.05	36572.11	52976.43
2012–13	9006.25	21020.22	6096.75	40071.00	67187.96
2013–14	7627.12	39986.36	1916.50	42658.88	84561.74
2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक)	5128.44	19793.18		35138.04	54931.22

महत्त्वपूर्ण भौतिक उपलब्धियाँ

योजना	ईकाई	उपलब्धि वर्ष			
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक)
वानिकी					
पौध तैयारी	है.	83.4	68	60	57
पर्यावरण वानिकी वृक्षारोपण	है.	500	300	300	290
भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	आर.के.एम.	220	627	714	900 रो.किमी. में
गंगनहर वृक्षारोपण	आर.के.एम.	700	1002	744	कार्य प्रगति पर है
भू–संरक्षण, पर्वतीय एवं कन्दरा क्षेत्र वृक्षारोपण	है.	200	200	–	190
आर.एफ.बी.पी. वृक्षारोपण	है.	–	873	10930	20100
तेरहवां वित्त आयोग 1. पक्की दीवार 2. सीमा स्तम्भ	आर.के.एम. संख्या	2.63 410	57.41 3322	100.724 4057	कार्य प्रगति पर है कार्य प्रगति पर है
परिभ्रांसित वन वृक्षारोपणों का पुररुद्धार	है.	–	–	5000	6300
जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	–	–	1746	1035
नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	–	–	29464	22046

5

मृदा एवं जल संरक्षण

नदी-घाटी परियोजनाएं

सिंचाई, विद्युत एवं पीने के पानी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया है। बांधों की उपयोगिता अधिकतम समय तक बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जलाशयों में मिट्टी की आवक को न्यूनतम रखा जावे। बांधों के निर्माण के पश्चात् सामान्यतया साद उत्पादन दर (Sediment Production Rate) अधिक हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जलाशयों की भराव क्षमता तीव्र गति से कम होती जाती है। साद उत्पादन दर को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रवर्तित नदी घाटी परियोजना जल ग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण परियोजना प्रारम्भ की गई। संक्षिप्त में इन्हें नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। राजस्थान में चम्बल, माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजनाएं क्रमश: वर्ष 1962, 1969, 1970 एवं 2003 से प्रारम्भ की गई हैं। चम्बल नदी पर निर्मित गांधीसागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध, माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर एवं कडाना बांध वैस्ट बनास पर निर्मित दांतीवाड़ा बांध एवं साबरमती नदी पर साबरमती बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्तमान में भू-संरक्षण परियोजना संचालित है।

उद्देश्य :- इन भू-संरक्षण परियोजनाओं के निम्न उद्देश्य हैं :

1. जलग्रहण क्षेत्रों में बहु आयामी उपचार द्वारा भूमि के अद्योतन (Degradation) को रोकना।
2. जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने की प्रवृत्ति (Water Holding Capacity) को सुधारना आर्द्रता की प्रवृत्ति को सुधारना।
3. अनुकूल भूमि उपयोग (Appropriate Land Use) प्रोत्साहित करना।
4. नदी घाटी परियोजना अन्तर्गत जलाशयों को साद से पटने से बचाने के लिए मृदा क्षरण (Soil Erosion) को रोकना।
5. जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।
6. भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना।

साद अध्ययन कार्य :-

वर्ष 2012-13 से भारत सरकार की दिशा निर्देशिका (Operationl Guide Line 2008) अनुसार पांच 'ऑन गोइंग' वाटरशैड में से एक वाटरशेड में साद अध्ययन कार्य करवाया गया तथा साद डेटा संकलित कर पी.क्यू.एस. डेटा भारत सरकार को भिजवाया गया। जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षाकाल के समय करवाये गये साद अध्ययन का विवरण निम्नानुसर है:-

क्र.सं.	परियोजना	साद स्थलों की संख्या जिन पर साद अध्ययन करवाया गया		
		2012-2013	2013-2014	2014 2015
1.	चम्बल	4	3	2
2.	माही	5	4	4
3.	दांतीवाड़ा	1	1	1
4.	साबरमती	1	1	1
	योग	**11**	**9**	**8**

छाया : आर. के. जैन

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र (I.M.D.) पूना से अनुबंधित दो मौसम वैधशालाएं क्रमश: चम्बल परियोजना अन्तर्गत चारभुजा (रावतभाटा) में एवं माही परियोजना अन्तर्गत प्रतापगढ़ में स्थापित की हुई हैं। यहाँ से प्राप्त Rainfall, Temperature, Humidity, Vapour pressure, Wind velocity, Wind Direction, sun shine hours, Weather report & Soil temperature etc. के डाटा संकलित कर पीरियड अनुसार I.M.D. पूना केन्द्र पर भिजवाये जा रहे हैं।

वर्ष 2014–15 ऐक्शन प्लान एवं उपलब्धि :– वर्ष 2013–14 से (12वीं पंचवर्षीय योजना से) नदी घाटी परियोजना अन्तर्गत जलग्रहण क्षेत्रों को उपचारित करने हेतु भू–संरक्षण योजना को 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल किया गया। वर्ष 2014–15 हेतु राशि ₹ 1664.93 लाख की कार्य योजना एस.एल.एस.सी. (State Level Sanctioning Committee) से अनुमोदित की जा चुकी है।

भू संरक्षण नदी घाटी परियोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान उपचारित क्षेत्र, संरचनाओं और जिलों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	आरवीपी में शामिल जिले	कार्य योजना			उपलब्धि 12/2014		
		भौतिक (है.)	संरचनाएं संख्या	वित्तीय (₹ लाख में)	भौतिक (है.)	संरचनाएं संख्या	वित्तीय (₹ लाख में)
1.	चम्बल (कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़)	2640	409	354.301	852	180	99.92
2.	माही (प्रतापगढ़, बांसवाड़ा)	3975	2268	857.01	2227	696	348.51
3.	दांतीवाड़ा (सिरोही)	2153	2072	340.88	348	545	80.48
4.	साबरमती (उदयपुर)	75	341	112.74	67	140	19.52
	योग	**8843**	**5090**	**1664.93**	**3494**	**1591**	**548.43**

वर्ष 2014–15 हेतु आवंटित राशि ₹ 550.34 के विरुद्ध माह 12/2014 तक ₹ 548.43 लाख व्यय कर जलग्रहण के अन्तर्गत 3494 हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया एवं 1561 स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया।

बाढ़ संभावित नदी परियोजनाएं

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत आयोजना मद में बाढ़ उन्मुख नदी एवं नदी घाटी परियोजनाएं संचालित की जा रही है। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत बनास व लूणी नदी परियोजनाएं एवं नम भूमि संरक्षण परियोजनान्तर्गत सांभर नम भूमि उपचार योजना के अभियांत्रिकी कार्य मुख्य वन संरक्षक, बाढ़ संभावित नदी परियोजना, जयपुर के नियंत्रण में करवाये जा रहे हैं तथा इनके अधीन कार्यालय भू संरक्षण अधिकारी (वानिकी) टोंक, वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी, बनास नदी परियोजना भीलवाड़ा, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि) बनास नदी परियोजना सवाईमाधोपुर, भू–संरक्षण अधिकारी, सोजत रोड (पाली) में कार्यरत है।

उक्त परियोजनाओं के तहत मुख्यत: बनास, लूणी व इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा व जल संरक्षण हेतु कार्य करवाये जा रहे हैं। मृदा व जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्गमित नालों का उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है।

इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य :– जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन (Degradation) को रोकने, जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने (Water holding capacity) तथा आर्द्रता की प्रवृत्ति को सुधारना, अनुकूल भू उपयोग (Appropriate land use) प्रोत्साहित करना, नदी घाटी परियोजना के अन्तर्गत जलाशयों को साद से पटने से बचाने के लिए मृदा क्षरण (Soil erosion) को रोकना आदि है। बाढ़

उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत जलप्रवाह तथा अधिकतम जल प्रवाह आयतन कम करना, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंध में जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना है।

गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में आर.के.वी.आई. योजनान्तर्गत बनास/लूणी नदी क्षेत्र में 4269 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार तथा 370 संरचनाओं का निर्माण एवं राशि ₹ 434.69 लाख का व्यय किया गया।

बनास व लूणी परियोजना में चालू वर्ष के लिए एम.एम.ए. के स्थान पर आर.के.वी.आई. योजनान्तर्गत ₹ 2407.54 लाख की कार्ययोजना कृषि विभाग को प्रेषित की गई है। जिसके अन्तर्गत 35 उप जलग्रहण क्षेत्रों में विकास कार्य करवाये जाने हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 में उक्त प्रावधान से बनास व लूणी परियोजना में कुल 35 उप जलग्रहण क्षेत्रों में 15608 हैक्टेयर क्षेत्र में ₹ 2407.54 लाख के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है। इस वर्ष 31 दिसम्बर, 2014 तक राशि ₹ 536.97 लाख का व्यय किया जा चुका है।

इन परियोजनाओं में वर्ष 2013–14 में उपचारित एवं चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिसम्बर, 2014 तक उपचारित उपजलग्रहण क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है:–

नाम योजना	वर्ष की संख्या	उपजलग्रहण क्षेत्र	एफ.पी.आर., बनास उपचारित जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या	
			हैक्टेयर	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या
एफपीआर बनास व लूणी परियोजना	2013–14	25	4269	370
	2014–15	35	5516	516

सांभर नम भूमि संरक्षण परियोजनाएं

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पोषित सांभर नम भूमि संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक, बाढ़ संभावित नदी परियोजना, जयपुर के अधीन भू–संरक्षण अधिकारी, सोजत रोड (पाली) के माध्यम से भू एवं जल संरक्षण के अभियांत्रिकी कार्य सम्पादित करवाये जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य सांभर नम भूमि, जो कि एक रामसर साइट है को संरक्षित करना है। इस योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी कार्य इस प्रकार सम्पादित करवाये जाते हैं कि झील में वर्षा जल का प्रवाह बना रहे व उसके साथ जो मृदा का बहाव है, वह रोका जा सके जिससे झील की भराव क्षमता व क्षेत्र का परिस्थितिकीय संतुलन बना रहे। इस परियोजना पर गत वर्ष माह मार्च, 2014 तक 4 संरचनाओं का निर्माण कर 45 हैक्टेयर का उपचार कर ₹ 10.33 लाख राशि व्यय किये गये तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार केन्द्राश: एवं राज्यांश क्रमश: 70:30 में राशि 20.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित करवाया गया है।

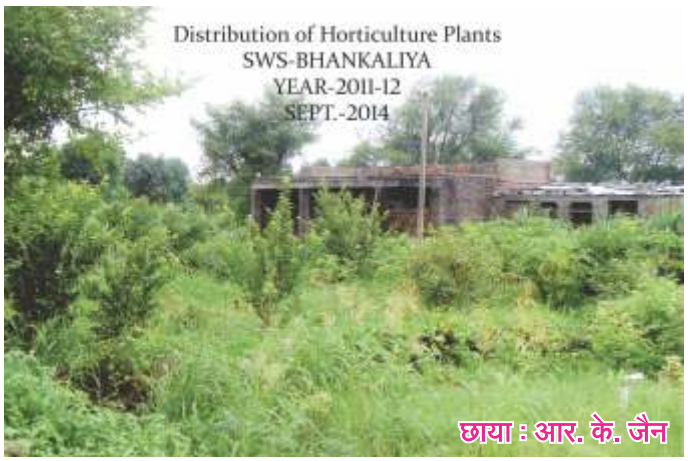

छाया : आर. के. जैन

6

मूल्यांकन एवं प्रबोधन

राजस्थान में वन विभाग के द्वारा कराये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का विभाग द्वारा निरन्तर मूल्यांकन एवं प्रबोधन किया जाता रहा है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभागीय कार्य मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से उत्कृष्ट हो। साथ ही कहीं सुधार की संभावना हो तो उसकी प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रयास किये जाते हैं।

मूल्यांकन एवं प्रबोधन कार्य हेतु विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के सभी संभागों में उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। जिसका मुख्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में स्थित होता है। उप वन संरक्षक की सहायता हेतु एक मूल्यांकन दल कार्य करता है जिसमें सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल, सहायक वनपाल तथा वन रक्षक कार्यरत होते है। उक्त दल विभागीय दिशा–निर्देशानुसार अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम एण्ड ई) राजस्थान द्वारा चयनित कार्य स्थलों का मूल्यांकन करता है।

मूल्यांकन एवं प्रबोधन के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा समय–समय पर आवश्यक परिपत्र/निर्देश जारी किये गये हैं, जिनके अनुसार मूल्यांकन दल द्वारा मूल्यांकन का कार्य किया जाता है।

मूल्यांकन दल द्वारा वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त कार्यों एवं प्रभावी कारकों का समग्र मूल्यांकन किया जाता है एवं निम्न कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है:–

- कार्यस्थल का चयन मॉडल के अनुरूप किया गया हो।
- सम्बन्धित क्षेत्र का माइक्रोप्लान।
- उपचार योजना।
- पौधों की उपलब्धता की सुनिश्चितता हेतु नर्सरी व्यवस्था।
- कार्यस्थल का नक्शा।
- कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुरूप प्राक्कलन।
- बाड़बंदी की प्रभाविता।
- वृक्षारोपण स्थल पर अग्रिम कार्य की गुणवत्ता।
- वृक्षारोपण की गुणवत्ता एवं मात्रा।
- वृक्षारोपण स्थल पर किये जाने वाले सिल्विकल्चरल ऑपरेशन्स की स्थिति।
- मृत पौधों के स्थान पर पुन: पौधारोपण की स्थिति आदि।

मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप मूल्यांकन दल द्वारा सम्बन्धित वन मण्डल में पहुंचकर उप वन संरक्षक एवं सहायक वन संरक्षक के समक्ष गोपनीय लिफाफे को खोलकर किये जाने वाले मूल्यांकन स्थल के बारे में सूचित किया जाता है। तत्पश्चात् मूल्यांकन स्थल पर पहुँचकर आवश्यकतानुसार दलों का गठन किया जाता है, तथा प्रतिदिन गणना के उपरान्त गणना सीटों पर उपस्थित स्टाफ के हस्ताक्षर अंकित करवाये जाते हैं। समस्त

छाया : मोहनलाल मीना

कार्य की गणना समाप्त होने पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया जाता है।

प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन का परीक्षण अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम एण्ड ई) राजस्थान, वन संरक्षक समवर्ती मूल्यांकन, उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन प्रतिवेदन में मूल्यांकन स्थल पर पाई गई विभिन्न कमियों के सुधार हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश संभागीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से सम्बन्धित उप वन संरक्षक को दिये जाते हैं।

प्रतिवेदन के परीक्षण के उपरान्त यदि कार्यों में गुणात्मक या मात्रात्मक गंभीर कमियां पाई जाती हैं, तो सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक को निर्देश जारी किये जाते हैं।

विभिन्न मूल्यांकन दलों द्वारा सम्पादित किये गये वानिकी विकास कार्यों की वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में दिसम्बर, 2014 तक की उपलब्धियों की स्थिति संभागवार निम्नानुसार है:–

मूल्यांकन कार्य की स्थिति वर्ष 2013–14

क्र.सं.	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत अनुसार मूल्यांकित कार्यों की स्थिति (साइटों की संख्या)						
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	अग्रिम कार्यों की साइटों की संख्या	अन्य कार्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जयपुर	1	1	4	10	20	0	36
2.	कोटा	2	2	4	4	8	10	30
3.	उदयपुर	1	0	4	18	45	2	70
4.	जोधपुर	0	0	14	6	9	0	29
5.	भरतपुर	0	0	3	4	17	0	24
6.	बीकानेर	0	18	10	1	0	9	38
7.	अजमेर	1	5	12	18	14	0	50
	योग	**5**	**26**	**51**	**61**	**113**	**21**	**277**

नोट : अन्य कार्यों में स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउंड्री पिलर्स, वाच टॉवर्स आदि सम्मिलित हैं।

वर्ष 2014–15 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संभागवार किये गये मूल्यांकन कार्यों की संख्या
(माह दिसम्बर, 2014 की स्थिति अनुसार)

क्र.सं.	नाम संभाग	कैम्पा	आर.एफ.बी.पी.	नाबार्ड	अन्य योजनाएं	कुल
1.	जयपुर	6	10	16	12	44
2.	कोटा	5	0	39	14	58
3.	उदयपुर	9	12	35	39	95
4.	जोधपुर	2	20	1	8	31
5.	भरतपुर	10	1	43	14	68
6.	बीकानेर	0	21	0	6	27
7.	अजमेर	8	9	15	17	49
	योग	**40**	**73**	**149**	**110**	**372**

प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा को अधिकारियों के दौरे, रात्रि विश्राम आदि की मॉनिटरिंग का कार्य भी दिया हुआ है। इस कार्य को मुख्यत: वन संरक्षक (समवर्ती मूल्यांकन) अंजाम देते हैं।

इसी प्रकार विभागीय कार्य अच्छी गुणवत्ता के हों यह सुनिश्चित करने व करवाने हेतु न केवल विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा दौरे किये जाते हैं, अपितु एम एण्ड ई के अधिकारियों के द्वारा भी निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता में सुधार हेतु ऊपरांकित वर्णनानुसार विस्तृत समझाइश की जाती है, तथा गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से निरीक्षण प्रतिवेदन भी सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक, उप वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक (पी एण्ड एम) को पालना करने व पालना सुनिश्चित करवाने हेतु भेजे जाते हैं।

Third party evaluation.

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 परियोजना के अन्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन स्वतंत्र निकाय सी–डेक नामक संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

विभाग में नाबार्ड परियोजनान्तर्गत विकास कार्य वर्ष 2012–13 से करवाये जा रहे हैं। इस योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों का मूल्यांकन, कार्य आरम्भ के तीन वर्ष पश्चात् कराया जाना है। अत: उक्त योजनान्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन, स्वतंत्र एजेंसी से वर्ष 2015–16 में करवाया जावेगा।

राज्य वन विकास अभिकरण (SFDA) योजना के कार्यों का स्वतंत्र एजेंसी से मूल्यांकन करवाये जाने का प्रावधान योजना में सम्मिलित है जिसे अध्यक्ष सम्बन्धित एफडीए अपने स्तर से करवा रहे हैं।

कैम्पा योजनान्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी से करवाये जाने के क्रम में कार्यवाही की जा रही है।

7

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश–विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 अभयारण्य एवं 10 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 9656.7682 वर्ग कि.मी. है। उक्त का विवरण परिशिष्ट–5 पर द्रष्टव्य है।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यत: अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित हैं, जिन पर आसपास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस जैविक दबाव के कारण वन्य जीव प्रबंधकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भी पैदा होती हैं। इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास हो सके। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में ढांचागत विकास, हैबीटाट सुधार, जल संसाधनों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

वन्य जीव प्रभाग के अधीन वर्तमान में सम्पादित की जा रही महत्त्वपूर्ण गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. **वार्षिक योजनाएं :** राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों एवं टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में वन्य जीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु

छाया : डॉ. एस. एस. चौधरी

उड़ते कीड़ों को खाकर जीवित रहने वाली
Citrine Canary-flycatcher (*Culicicapa helianthea*)

सज्जनगढ़ जैविक उद्यान

परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना, स्टेट कैम्पा, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी, तेरहवें वित्त आयोग में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्य जीव संरक्षण कार्य करवाये जा रहे हैं। उक्त सभी अभयारण्यों की वार्षिक योजनाएं प्रतिवर्ष तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती हैं। अभयारण्यों में सुरक्षा, ढांचागत विकास, आवास स्थलों का विकास, जल प्रबंधन, ईको–डवलपमेंट गतिविधियां एवं प्रसार व प्रचार कार्य किये जाते हैं।

2. राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित हैं, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित ''कॉन्सेप्ट प्लान'' के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं जयपुर में स्थित जन्तुआलयों के सैटेलाइट केन्द्र क्रमशः 1. माचिया जैविक उद्यान 2. सज्जनगढ़ जैविक उद्यान 3. अभेड़ा जैविक उद्यान एवं 4. नाहरगढ़ जैविक उद्यान चरणबद्ध तरीके से विकसित किए जावेंगे।

वर्ष 2014–15 के दौरान महत्त्वपूर्ण गतिविधियां

1. राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 के संशोधित बजट अनुमानों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत ₹ 2408.85 लाख का प्रावधान है, तथा राज्य योजना मद में ₹ 2000.72 लाख का बजट प्रावधान है। वर्ष 2014–15 में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत रणथम्भौर में ग्राम विस्थापन हेतु राशि ₹ 1085.56 लाख तथा सरिस्का में ग्राम विस्थापन व वार्षिक योजना हेतु ₹ 72.62 लाख के गत वर्ष के शेष को इस वर्ष व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

2. वर्ष 2014–15 के दौरान 16 वन्य जीव अभयारण्यों एवं 4 कन्जर्वेशन रिजर्व एवं मुकन्दरा हिल्स के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत वन्य जीव संरक्षण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, हैबीटाट डवलपमेंट, वाटर पॉइन्ट्स, फायर लाइन्स, दीवार निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2014–15 में ₹ 539.011 लाख की वार्षिक कार्य योजना केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त उक्त योजना में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए ₹ 36.67 लाख तथा राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर के लिए ₹ 32.25 लाख की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। उक्त कार्य प्रगति पर है।

चिड़ियाघर

3. राज्य के जयपुर, उदयपुर व जोधपुर चिड़ियाघरों के सैटेलाइट केन्द्र क्रमशः नाहरगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान एवं माचिया जैविक उद्यान में विकसित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से इनका मास्टर एवं ले–आउट प्लान स्वीकृत करवा लिया गया है।

4. सज्जनगढ़ बायोलोजिकल पार्क उदयपुर:– उदयपुर जिले में केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार गुलाब बाग जन्तुआलय के सेटेलाईट जन्तुआलय के रूप में जैविक उद्यान सज्जनगढ़ का विकास सज्जगढ़ अभ्यारण्य की तलहेटी में किया जा रहा है। जैविक उद्यान 36 है0 में फैला हुआ है। इस उद्यान में 28 एनक्लोजर बनाये जा रहे है तथा 20 एनक्लोजर पूर्ण

किये जा चुके है। 15 एनक्लोजर में वन्यजीवों को लाकर छोडा जा चुका है। इस जैविक उद्यान की निर्माण पर 20.36 करोड की लागत प्रस्तावित है तथा अभी तक 13.90 करोड रू. की राशि आर.एस.आर.डी.सी को स्थानान्तरित की जा चुकी है। यह जैविक उद्यान आर.एफ.बी.पी, फेज–द्वितीय में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान के अनुसार कराया जा रहा है। बाहरी गेट निर्माण का कार्य तथा पार्किंग स्थल का कार्य किया जा रहा है। मार्च तक जैविक उद्यान आम जनता के लिए लोकार्पण हेतु तैयार हो जायेगा।

5. राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत नाहरगढ़ जैविक उद्यान (जयपुर) के विकास हेतु वर्ष 2013–14 के लिए ₹ 5.00 करोड़ एवं वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 700 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

6. माचिया बायोलोजिकल पार्क के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में ₹ 20.50 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। इस पार्क के विकास हेतु वर्ष 2012–13 तक ₹ 14.25 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं एवं वर्ष 2013–14 में ₹ 9.00 एवं वर्ष 2014–15 में ₹ 6.00 करोड़ स्वीकृत किये गये। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित डिजाईन के अनुसार परियोजना की संशोधित लागत ₹ 32.30 करोड़ आंकी गई है।

रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व

7. रणथम्भौर हेतु स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कर लिया गया है, इसके तहत एक डी.एस.पी., 3 सब इन्सपेक्टर, 18 हैड कांस्टेबल एवं 81 कांस्टेबल व 9 कांस्टेबल ड्राइवर सुरक्षा कार्य हेतु लगाये जाने हैं। पुलिस विभाग द्वारा कांस्टेबल भर्ती कर ली गई है। सरिस्का टाईगर रिजर्व के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रेषित किए गए हैं।

8. बाघ परियोजना रणथम्भौर एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार होम गार्ड्स की तैनाती की जाती है।

9. रणथम्भौर बाघ परियोजना में विभाग द्वारा उठाये गये प्रबन्धात्मक एवं सुरक्षात्मक उपायों के फलस्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा चार वर्ष के अन्तराल से कराई गई नवीनतम गणना वर्ष 2010 के अनुसार रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में 30–32 बाघ पाये गये हैं।

10. सरिस्का बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 29 गांव हैं। भगानी गांव को माह नवम्बर, 2007 में तथा उमरी को वर्ष 2011 में तथा रोटक्याला को वर्ष 2012–13 में सरिस्का से बाहर विस्थापित कर दिया गया है। माह दिसम्बर, 2014 की स्थिति अनुसार ग्राम एवं इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्थापन की प्रगति निम्नानुसार है:–

सरिस्का टाईगर रिजर्व : माह दिसम्बर, 2014 (वर्ष 2014–15) की स्थिति अनुसार

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कुल परिवार	विस्थापित परिवार	विस्थापन से शेष परिवार
1.	डाबली	126	111	15
2.	सुकोला	46	14	32
3.	क्रास्का	200	112	88
4.	देवरी	181	62	119
5.	कांकवाड़ी	170	132	38
6.	हरिपुरा	74	07	67
	योग	**797**	**438**	**359**

शेष परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही प्रगति पर है। वर्ष 2014–15 में सरिस्का बाघ परियोजना के लिए ग्रामों के विस्थापन एवं वार्षिक कार्ययोजना हेतु राशि ₹ 72.62 लाख

भारत सरकार द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि को उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

11. रणथम्भौर बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 64 गांव हैं। टाईगर रिजर्व से माह मार्च, 2009 में ग्राम इण्डाला को तथा वर्ष 2011–12 में ग्राम पादड़ा, वर्ष 2012–13 में माचनकी तथा वर्ष 2013–14 में मोर डूंगरी को पूर्ण रूप से विस्थापित कर दिया गया है। वर्ष 2014–15 में माह दिसम्बर, 2014 तक ग्राम विस्थापन की प्रगति निम्नानुसार है :–

रणथम्भौर टाईगर रिजर्व : माह दिसम्बर, 2014 (वर्ष 2014–15) की स्थिति अनुसार

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कुल परिवार	विस्थापित परिवार	विस्थापन से शेष परिवार
1.	कालीभाट	47	34	13
2.	भिड	164	106	58
3.	कठूली	151	128	23
4.	हिन्दवाड़	575	330	245
5.	मुंदरहेड़ी	161	45	116
6.	भीमपुरा (कैलादेवी)	102	86	16
7.	डांगरा (कैलादेवी)	83	47	36
8.	ऊंची गुवाड़ी (कैलादेवी)	143	112	31
	योग	**1426**	**888**	**538**

वर्ष 2014–15 में रणथम्भौर बाघ परियोजना के लिए ग्रामों के विस्थापन हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 1085.56 लाख गत वर्ष की अवशेष राशि को उपयोग करने की स्वीकृति जारी की गई है।

12. **रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में बाघ संरक्षण फाउंडेशन :** राज्य में स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए

छाया : राहुल कुमार

पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने हेतु बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना है। फाउंडेशन के गठन से बाघ रिजर्व के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार, इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, निजी संस्था एवं अन्य से आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता की प्राप्ति होगी। फाउंडेशन के गठन से अति आवश्यक कार्यों के सम्पादन हेतु उपयुक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था होगी एवं क्रियान्वयन हेतु आदेशों/निर्णयों में त्वरित कार्यवाही हो पाएगी। रणथम्भौर फाउण्डेशन में वर्ष 2014–15 में ₹ 194.23 लाख एवं सरिस्का में वर्ष 2014–15 में ₹ 19.23 लाख राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं, जिसका उपयोग वार्षिक योजना के अनुसार किया जा रहा है।

13. **टाईगर रिजर्व क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा पोषित वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाएं :** राज्य सरकार द्वारा रणथम्भौर,

सरिस्का, सवाई मानसिंह एवं कैलादेवी अभयारण्यों में वन्य जीवों विशेषत: बाघ हेतु पानी की समस्या के निराकरण हेतु नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 36 वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाएं क्रियान्वित की गई है। इन परियोजनाओं हेतु वर्ष 2014–15 में संशोधित बजट अनुमानों में ₹ 41.50 लाख का प्रावधान स्वीकृत है।

14. बाघ परियोजना, सरिस्का में रणथम्भौर से अब तक दो बाघ एवं पांच बाघिनों को सफलतापूर्वक ट्रांसलोकेट किया गया है। बाघों के ट्रांसलोकेशन के पश्चात् इनकी निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। सरिस्का में ट्रांसलोकेशन के पश्चात् दो बाघिनों ने 6 शावकों को भी जन्म दिया है।

15. सरिस्का एवं रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का राजपत्र दिनांक 6.7.2012 द्वारा प्रकाशन किया जा चुका है। सरिस्का हेतु 332.22 वर्ग कि.मी. तथा रणथम्भौर हेतु 297.9365 वर्ग कि.मी. क्षेत्र बफर क्षेत्र घोषित किया गया है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर

16. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में गोवर्धन ड्रेन से पानी लिफ्ट कर पहुंचाने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 29.1.2009 से राशि ₹ 56.22 करोड़ की आयोजना मद में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। योजना आयोग, भारत सरकार से इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 50.76 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है, जिसके विरुद्ध ₹ 50.76 करोड़ की राशि वित्त विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत गोवर्धन ड्रेन से भूमिगत पाइप लाइन बिछाकर पानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में मौजूद झीलों तक पहुंचाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा दिनांक 29.9.2012 से पानी की आवक प्रारम्भ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त चम्बल–धौलपुर पेयजल परियोजना से 62.5 एम.सी.एफ.टी. एवं पांचना डेम से भी पानी की सप्लाई आवश्यकतानुसार की जाएगी।

मैनाल वॉच टॉवर (जिला भीलवाड़ा)

17. **कन्जर्वेशन रिजर्व :** प्रदेश में 10 कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराये गये हैं, जिनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल परिशिष्ट सं. 5 पर दर्ज है।

18. **ईको–ट्यूरिज्म :** राज्य में ईको–ट्यूरिज्म के क्षेत्र में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए ₹ 266.19 लाख की परियोजना, माउंट आबू (सालगांव) के लिए ₹ 231.05 लाख, कुम्भलगढ़–टॉडगढ़ रावली– रणकपुर सर्किट के लिए ₹ 594.55 लाख एवं रणथम्भौर बाघ परियोजना के लिए ₹ 434.86 लाख की परियोजना केन्द्र सरकार, पर्यटन मंत्रालय की स्वीकृति अनुसार विकास कार्य करवाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य योजना के अन्तर्गत ईको–ट्यूरिज्म साइट्स मेनाल (₹ 48.50 लाख) एवं हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) (₹ 80.00 लाख), बस्सी (₹ 77.00 लाख) एवं सीतामाता (चित्तौड़गढ़) (₹ 93.00 लाख), पंचकुण्ड (अजमेर) (₹ 82.00 लाख), सुन्धामाता (जालौर) (₹ 95.00 लाख) एवं गुढ़ा विश्नोई (जोधपुर) (₹ 28.30 लाख) मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान (₹ 84.00 लाख), भैंसरोडगढ़ (₹ 32.00 लाख), नाहरगढ़ (₹ 117.00 लाख), हवा ओदी (₹75.00 लाख), जमुवाघाट (₹ 31.00 लाख) एवं हर्ष पर्वत (₹ 100.00 लाख) की स्वीकृत कराई गई है। वर्ष 2014–15 के दौरान इन परियोजना के लिए ₹ 64.86 लाख व्यय किये जायेंगे।

प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों एवं उनके समीप विकसित की गई 9 ईको–ट्यूरिज्म साईट्स को आमजन के भ्रमण हेतु खोला गया है। इन साईट्स पर पर्यटकों द्वारा रेस्ट हाऊस एवं टैन्ट्स में रात्रि विश्राम एवं डे ट्यूरिज्म हेतु प्रवास,

शैक्षणिक भ्रमण, एडवेन्चर स्पोर्ट्स, कैम्पिंग एवं नेचर गाईड्स इत्यादि की दरें दिनांक 12.8.2014 से निम्न अनुसार निर्धारित की गई है।

अ. प्रवास सुविधाएं (सभी ईको–ट्यूरिज्म साईट्स के लिए) :
विभिन्न सुविधाओं हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई है :–

क्रम संख्या	पर्यटक सुविधाएं	निर्धारित दर प्रतिदिन (रुपयों में) (कर अतिरिक्त)
1	स्पेशल कमरा (फर्निश्ड)	700
2	साधारण कमरा	400
3	टेण्ट्स (दो व्यक्तियों के लिए)	300
4	ट्री हट्स	300
5	झोंपा	300 प्रति रात्रि एवं 100 प्रतिदिन
6	अतिरिक्त बेड	100
7	डोरमेट्री	50

ब. अन्य दरें (सभी ईको–ट्यूरिज्म साईट्स के लिए) :
केम्पस उपयोग हेतु दरें

(i) शैक्षणिक भ्रमण

– अभयारण्यों में अध्ययन भ्रमण को प्रोत्साहित एवं प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए 50 रुपये प्रतिदिन एवं 25 रुपये प्रति आधे दिन प्रति विद्यार्थी।

– शैक्षणिक संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्था के अधिकारिक पत्र पर भ्रमण हेतु आवेदन अग्रेषित किया जाना अपेक्षित।

– शैक्षणिक भ्रमण दल में नामित शिक्षक अथवा फेकल्टी का साथ होना आवश्यक होगा।

(ii) अन्य

– प्रति व्यक्ति 100 रुपये प्रतिदिन एवं 50 रुपये प्रति आधे दिन हेतु। कर अतिरिक्त देय।

(iii) केम्पिंग प्लेटफॉर्म उपयोग

– बैक पैकर्स टैन्ट के लिए – 100 रुपये प्रति टैन्टिंग प्लेटफॉर्म। कर अतिरिक्त।

– बडे टैन्ट (2 से 4 व्यक्ति)– 200 रुपये प्रति टैन्टिंग प्लेटफॉर्म। कर अतिरिक्त।

19. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 एवं 2013 में शाकम्भरी, बीड़–झुंझुनूं, गोगेलाव, उम्मेदगंज, रोटू एवं जवाई बांध क्षेत्र की लेपर्ड कन्जरवेंसी को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। जीणमाता, मनसा माता, झालाना, ग्रास फार्म एवं सोरसन क्षेत्रों को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

20. वर्ष 2011–12 के दौरान कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घोषित (30.11.2011) किये जाने के आशय की अधिसूचना जारी की गई। इसी प्रकार मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की अन्तिम अधिसूचना जनवरी, 2012 में जारी की गई।

21. राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन हेतु सलाहकार समिति (Advisory Committee) का गठन आदेश दिनांक 28.5.2012 द्वारा किया गया।

22. सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों और ईको–सेन्सिटिव जोन के प्रस्ताव भारत सरकार दिनांक 27.08.2012 को प्रेषित किये गये।

23. तालछापर अभयारण्य में हिरणों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुये उसकी समीपस्थ 1258 हैक्टेयर भूमि अभयारण्य के विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किये गये।

24. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र दिनांक 09.04.2013 के द्वारा मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व (कोर एवं बफर) घोषित किया गया है।

25. प्रदेश में गोड़ावण संरक्षण के लिए एक State Action Plan तैयार किया गया है, जिसकी लागत ₹ 59.86 करोड़ है। इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए 'Project Bustard' लांच किया गया है जिसकी लागत ₹ 12.90 करोड़ है। वर्ष 2014–15 में ₹ 5.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

8

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

(अ) वन मण्डलों की कार्य आयोजना के कार्यों का पर्यवेक्षण।

(ब) वन बन्दोबस्त सम्बन्धित सभी प्रकरणों का परीक्षण कर निस्तारण।

(स) कार्यालय सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का प्रावैधिक सहायक से निस्तारण।

छाया : मोहनलाल मीना

वन क्षेत्रों की सीमाओं पर सुरक्षा हेतु निर्मित दीवार (झालावाड़ वन मण्डल)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर द्वारा इन कार्यों के सम्पादन करवाने एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिनका पृथक से कोई कार्यालय नहीं है जो कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त में पदस्थापित है।

कार्य आयोजना :– वानिकी कार्य आयोजना जिले के वन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु दस वर्ष के लिए तैयार की जाती है।

छाया : ओ. पी. शर्मा

अरावली जैव विविधता उद्यान, उदयपुर में नवनिर्मित व्यू पॉइन्ट

वर्तमान में सात कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमश: उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर में स्थाई रूप से स्वीकृत है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 12 (24) वन/2008 जयपुर दिनांक 28.10.2010 से संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में पदस्थापित वन संरक्षकगण को वन संरक्षक, कार्य आयोजना घोषित किया है।

वर्तमान में राजस्थान प्रदेश के वन क्षेत्रों (वन्य जीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क को छोड़कर) के प्रबंधन हेतु 31 कार्य आयोजनाएं तैयार कराई जा चुकी हैं।

भीलवाड़ा, नागौर, टौंक, इ.गा.न.प. बीकानेर स्टेज–II, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी, कोटा, जयपुर, सीकर, दौसा, झुन्झुनूं, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ की कार्य योजनाएं पूर्णकालीन अवधि के लिए तथा अजमेर, इ.गा.न.प. स्टेज–I, करौली, झालावाड़, अलवर, जोधपुर, डूंगरपुर एवं

राजसमंद की कार्ययोजनाएं अंशकालीक अवधि के लिए स्वीकृत की जा चुकी है।

वन बन्दोबस्त : वन विभाग के नियंत्रण अधीन वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम अमलदरामद किया जाता है। वन भूमि राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किया जाता है। साथ ही वन सीमाओं पर मिनारे बनाकर क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। यह प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

राजस्थान वन अधिनियम के तहत अधिसूचनाओं का प्रकाशन : किसी वन क्षेत्र को आरक्षित/रक्षित वन घोषित करने के लिए राजस्थान वन अधिनियम की धारा 4 अथवा 29(3) के अन्तर्गत प्रारम्भिक विज्ञप्ति राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र में प्रकाशित करवायी जाती है। प्रारम्भिक विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम, 1958 की प्रक्रिया के अनुसार जांच कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाकर अंतिम विज्ञप्ति आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किये जाने वाले वन क्षेत्र की अधिसूचना तैयार की जाती है, जिसकी राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 अथवा 29 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से विज्ञप्ति जारी की जाती है, तथा राजपत्र में प्रकाशन होता है। प्रारम्भिक एवं अंतिम रूप से घोषित वन क्षेत्रों की स्थिति 31-3-2014 के अनुसार निम्नानुसार है :-

क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.

अंतिम रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 20 एवं 29(1) के अन्तर्गत)	प्रारम्भिक रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 4 एवं 29(3) के अन्तर्गत)
26009.141	3956.440

छाया : आर. के. ग्रोवर

खारपाठा वृक्षारोपण सरवन डेयरी (बांसवाड़ा)

वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद : वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद भी वन बन्दोबस्त प्रक्रिया का एक अंग है। वर्तमान में वन भूमि के अमलदरामद की 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति इस प्रकार है :-

कुल वन क्षेत्र	अमलदरामद शुदा वन भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)	अमलदरामद से शेष वन भूमि (वर्ग किमी. में)
32744.49	27888.49	4856.00
प्रतिशत	85.17	14.83

वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराने के लिए विभाग काफी समय पूर्व से ही प्रयासरत है। इस कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुच्छेद-3) की राज आज्ञा क्रमांक प.6(35) प्र.सु. अनुदेश-3/99 दिनांक 31.8.99 से वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था जिसके सदस्य सचिव सम्बन्धित उप वन संरक्षक (नोडल अधिकारी) थे। समिति का कार्यकाल राज आज्ञा दिनांक 01.05.2013 से 31.12.2015 तक बढ़ाया गया है।

अमलदरामद से शेष वन भूमि को राजस्व विभाग ने निम्न कारणों से विवादास्पद बताया हुआ है।

क्र.सं.	राजस्व विभाग द्वारा शेष वन भूमि को विवादास्पद माने जाने का कारण	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)
1.	राजस्व रिकार्ड में अनसर्वेड	2925.79
2.	राजस्व रिकार्ड में चरागाह	121.60
3.	राजस्व रिकार्ड में आवंटन	240.22
4.	राजस्व रिकार्ड में खातेदारी	188.52
5.	राजस्व रिकार्ड में आबादी	45.93
6.	राजस्व रिकार्ड में इंटिरियर लाइन	119.13
7.	राजस्व रिकार्ड में अन्य विभाग की भूमि दर्ज होना चरागाह	312.03
8.	राजस्व रिकार्ड में अन्य विवाद/कारण	902.78
	योग	**4856.00**

उपरोक्तानुसार अमलदरामद से शेष वन भूमि का राजस्व विभाग द्वारा आसानी से नामान्तरण वन विभाग के नाम नहीं किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग के परिपत्र 29.2.2012 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद का कार्य जिला कलेक्टर एवं उप वन संरक्षक से सम्पन्न करवाने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया है।

औषधीय दमा बेल *(Tylophora asthmetica)*

सीमांकन : वित्तीय वर्ष 2013–14 तक लगाई गई मिनारें (सीमा स्तम्भ) तथा वर्ष 2014–15 में लगाये जाने वाले सीमा स्तम्भ (मीनारों) का विवरण अग्रानुसार है :–

सम (जैसलमेर) में निर्मित वाच टॉवर

क्र.सं.	मुख्य वन संरक्षकगण	लगाये गये सीमा स्तम्भ संख्या		वर्ष 2014–15 में लगाये जाने वाले सीमा स्तम्भ सख्या
		2012–13	2013–14	
1.	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	1000	860	975
2.	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	1170	701	1475
3.	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	1050	540	1675
4.	मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	194	–	850
5.	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	428	777	775
6.	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	1834	1642	3200
7.	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	1633	1700	1325
8.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, उदयपुर	446	650	1550
9.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, जयपुर	350	266	900
10.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, वन्यजीव, जोधपुर	–	100	1000
11.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, भरतपुर	550	306	918
12.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, कोटा	460	–	1400
	योग	**9115**	**7542**	**16043**

राज्य में वन क्षेत्र के सीमांकन की स्थिति निम्नानुसार है (दिनांक 31.3.2014 की स्थिति)

वन बंदोबस्त एवं आवश्यकता अनुसार सीमा स्तम्भ लगाने से शेष (31.3.05 की स्थिति)	सीमा स्तम्भ लगाए जा चुके हैं (31.3.2014 तक)	सीमा स्तम्भ जो लगाए जाने शेष हैं
2,83,943	86339	197604
प्रतिशत	30.41	69.59

प्रारम्भिक एवं अन्तिम विज्ञप्ति के क्रम में प्रारम्भिक, प्लेन टेबल सर्वे आदि के लिए वर्ष 2013–14 में निम्नानुसार आवंटन के विरुद्ध उपलब्धि निम्नानुसार हुई :

क्र.सं.	सर्वे कार्य का नाम	प्राप्ति	
		भौतिक (वर्ग कि.मी.)	वित्तीय (₹ लाखों में)
1.	प्रारम्भिक सर्वे	66.75	3.00
2.	प्लेन टेबल सर्वे	91.546	7.877

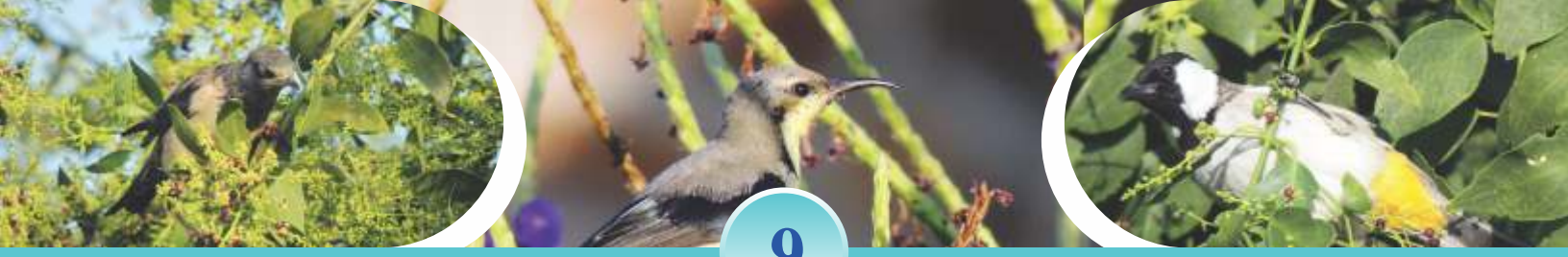

9

वन अनुसंधान

राज्य के वन विभाग में शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिए वर्ष 1956 में राज्य वन वर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मण्डल की स्थापना की गयी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक (वन वर्धन) कार्यालय के अधीन ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर; वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा (जयपुर), विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, झालाना, जयपुर; बीज उत्पादन एवं भण्डारण, जयपुर एवं वन अनुसंधान फार्म, बांकी (उदयपुर) केन्द्र कार्यरत है। वन वर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एवं जल–मृदा परीक्षण से सम्बन्धित दो प्रयोगशालाएं भी हैं।

पौधशालाएं :– विभिन्न प्रजातियों के पौधे पौधशालाओं में तैयार कर वितरण करना इस कार्यालय की मुख्य गतिविधियों में से एक है। हर्ष 2012–13 में 4.25 लाख के विरुद्ध 3.74 लाख, वर्ष 2013–14 में 2.05 लाख लक्ष्य के विरुद्ध 3.14 लाख पौधों का वितरण किया गया। वर्ष 2014–15 में 2.65 लाख लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2014 तक 3.05 लाख पौधों का वितरण किया जा चुका है। वर्ष 2014–15 में विभिन्न नर्सरियों के लिए 2.50 लाख पौधे तैयारी करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसकी पौध तैयारी का कार्य प्रगति पर है। इस कार्यालय के

विश्व वानिकी उद्यान, जयपुर में रैड हाउस

आमतौर पर एक बीज से एक पौधे का जन्म होता है लेकिन उदयपुर जिले की कालका माता पौधशाला में बहुभ्रूणता (Polyembryony) की घटना के कारण गूगल के एक बीज ने तीन पौधों को जन्म दिया

अधीन पौधशालाओं में इस वर्ष टेबुविया ओरिया, अकरकरा, कदम्ब, तनसा, मुन्जाल, टेबुबिया रोजिया, अलमण्डा, आकाशनीम, श्योनाक, कैथ, काईजेलिया, कल्पवृक्ष व अन्य महत्त्वपूर्ण प्रजातियों के पौधे भी वितरण के लिए तैयार किये जा रहे हैं।

तकनीकी बुलेटिन :– वन वर्धन कार्यालय द्वारा वर्ष 2013–14 में दो तकनीकी बुलेटिन कंकेड़ा *(Maytenus emarginata)* व बुलेटिन तनस *(Ougeinia oojeinensis)* पर जारी किया गया। इस बुलेटिन में कंकेड़ा व तनस के बारे में समस्त जानकारियों का समावेश किया गया है। बुलेटिन में इस कार्यालय द्वारा कंकेड़ा पर किये गये प्रयोग व उनके परिणामों का भी उल्लेख किया गया है।

औषधीय पौधे :– बांकी अनुसंधान फार्म, उदयपुर की पौधशाला में विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधों को तैयार कर वन विभाग के वृक्षारोपण क्षेत्रों हेतु एवं आमजन को वितरित करने का कार्य किया जाता है। वर्ष 2012–13 में 43 प्रजातियों के 10,000 औषधीय पौधे तैयार किये जाकर इनका वितरण वित्तीय वर्ष 2013–14 में किया गया है। मुख्य प्रजातियां जिनके पौधे तैयार किये गये वे इस प्रकार हैं–

अकोल *(Alangium salvifolium)*, इन्द्रोक *(Anogeissus sericea)*, ब्राह्मी *(Bacopa monnieri)*, अडुसा *(Adhatoda vasica)*, चित्रक *(Plumbago zeylanica)*, कैत *(Limonia acidissima)*, गूंदी *(Cordia rothii)*, दमा बेल *(Tylophora asthmatica)*, अश्वगंधा *(Withania somnifera)*, अरीठा *(Sapindus emarginatus)*, अकरकरा *(Acmella oleracea)*, सिन्दूरी *(Bixa orellana)*, हडजोड *(Cissus quadrangularis)*, विष तेंदू *(Diospyros montana)*, तनस *(Ougeinia oojeinensis)*, हिंगोठ *(Balanites aegyptica)*, श्योनाक *(Oroxylum indicum)*, गूगल *(Commiphora wightii)*, बहेड़ा *(Terminalia bellirica)*, मालकांगनी *(Celastrus paniculatus)*, सर्पगंधा *(Rauwolfia serpentina)*, जमालगोटा *(Jatropha gossypifolia)*, पीपलामूल *(Peperomia pellucida)*, तुलसी *(Ocimum sanctum)*, काला धतूरा *(Datura ferox)*, शतावरी *(Asparagus racemosus)*, शिकाकाई *(Acacia sinuata)*, पत्थर चट्टा *(Bryophyllum pinnatum)*, गुडमार *(Gymnema sylvestre)* प्रमुख है।

बीज उत्पादक क्षेत्र (Seed production Area) : अच्छी किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्त्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिए वन वर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वहीं से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। वर्ष 2014–15 में निम्न नये वन क्षेत्रों को उच्च गुणवत्ता (Phenotypically superior) के वृक्ष होने के कारण बीज उत्पादन क्षेत्र घोषित किया है:–

S.No.	Name of SPA	Species	Division	Year of Creation
1.	Lunia Miner 52 R.D. Forest Block Ganganagar, Range Ghadsana.	*Acacia nilotica*	Shri Ganganagar	2014-15
2.	Malkewali Distributory Forest Block Ganganagar Range Ghadsana.	*Acacia nilotica*	Shri Ganganagar	2014-15
3.	Ghadsana to Rawala Road Forest Block Ganganagar, Range Ghadsana	*Acacia nilotica*	Shri Ganganagar	2014-15

बीज एकत्रीकरण :– वर्ष 2013–14 में विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से कुमठा *(Acacia senegal)* का 3400 किलो, इजरायली बबूल *(Acacia tortilis)* का 50 किलो बीज एकत्रित करवाया जाकर विभिन्न वन मण्डलों को कीमतन उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2014–15 में कुमठा *(Acacia senegal)*, इजरायली बबूल *(Acacia tortilis)*, व खैर *(Acacia catechu)* के बीज विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से एकत्रित करवाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

अनुसंधान एवं अन्य गतिविधियां :–

- वन अनुसंधान कार्यों की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा देने के लिए विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया हुआ है। दिनांक 03.06.2013 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) की अध्यक्षता में शोध परामर्शी समूह की

बैठक में वर्ष 2012–13 में किए गए निम्न 7 अनुसंधान के नए प्रयोग/कार्यों का अनुमोदन किया गया:–

1. Construction of Red house for rare and endangered species in Agri net house.
2. Preparation of inventory of flora and fauna of Arboretum, Jaipur.
3. Creation of Bambusetum at World Forestry Arboretum/Grass Farm Nursery, Jaipur.
4. Study of natural regeneration of forest area of Jaipur District.
5. Vegetative propagation of *Ficus arnottiana* (Pahadi Pipal) by cutting method.
6. Vegetative propagation of *Butea monosperma* var. lutea.
7. Developing propagation technique of both variety of *Anogeissus sericea*.

- दिनांक 10.6.2014 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) की अध्यक्षता में शोध परामर्शी समूह की बैठक में वर्ष 2013–14 में किये गये 7 प्रयोग/कार्यों की समीक्षा तथा निम्न 3 नये प्रयोग/कार्यों का अनुमोदन किया गया।

1. To study the effect of IBA and IAA on vegetative propagation of Millingtonia hortensis (Neem chameli).
2. Creation of Ethno Medicinal Garden at World Forestry Arboretum, Jaipur.
3. Organization of RAG meeting; procurement of books and periodicals for ready reference; documentation, publishing and dissemination of annual report, technical bulletins of lesser known species & other important research findings to stakeholders.

- वानिकी अनुसंधान कार्यों के लिए जोधपुर आफरी द्वारा आयोजित Stakeholders की बैठक में वन वर्धन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया तथा इसके अलावा आफरी, जोधपुर की शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) की जोधपुर में आयोजित बैठक में मुख्य वन संरक्षक, वन वर्धन द्वारा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये गये।

छाया : एस. के. अग्रवाल

Nature Trail at Arboretum, Jaipur

- वर्ष 2013–14 में विश्व वानिकी उद्यान, जयपुर में नेचर ट्रेल के विकास कार्य में interlocking टाइल्स व कर्ब स्टोन लगाकर नेचर ट्रेल का निर्माण करवाया गया। साथ ही नेचर ट्रेल पर भ्रमण करने वाले व्यक्तियों के पीने के पानी के लिए वाटर कूलर तथा बैठने के लिए 5 लोहे की बैंचें भी लगाई गई। नेचर ट्रेल के साथ विभिन्न साइनेज व उद्यान में पाये जाने वाली वनस्पति एवं जीव जगत के बोर्ड भी लगाये गये। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में 30 ट्री गार्डों के साथ 15 नए 'नेटिव' प्रजातियों के वृक्ष भी लगाए गए।

- वर्ष 2013–14 में विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान क्षेत्र में विद्यमान फ्लोरा व फौना के डॉक्यूमेंटेशन का कार्य, Rare and endangered प्रजातियों के लिए रैड हाउस निर्माण का कार्य तथा विभिन्न प्रजातियों के बॉस के पौधे लगाने हेतु फैन्सिंग कार्य करवाया गया। वर्ष 2014–15 में विभिन्न प्रजातियों के बांस Bambusetum के 45 राइजोम वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से लाकर लगाए गए।

- वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर में रतनजोत के प्रोविनेंस ट्रायल के लिए राजस्थान के विभिन्न प्रोविनेंस (Sirohi, Jhalawar, Baran, Bhilwara, Banswara, Pratapgarh and Udaipur) से बीज व कटिंग्स लाकर पौधे तैयार किए जाकर रोपित किये गये थे जिनका संधारण कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2013–14 में वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर में कैम्पा योजना के अन्तर्गत 750 मीटर पक्की दीवार का निर्माण उप वन संरक्षक, अनुसंधान, जयपुर द्वारा करवाया गया। वर्ष 2014–15 में वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर में कैम्पा योजना के अन्तर्गत 250 मीटर पक्की दीवार निर्माण कार्य करवाया जा चुका है तथा 1045 मीटर पक्की दीवार निर्माण कार्य की कार्यवाही प्रगति पर है।
- वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर में इन्द्रोक के कटिंग्स/बीज/गुट्टी से पौधे तैयार करने व Vegetative propagation से पहाड़ी पीपल के पौधे तैयार करने में सफलता प्राप्त की गयी। इसके अतिरिक्त नीम चमेली के पौधे Vegetative propagation से तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।
- वर्ष 2013–14 में ग्रास फार्म नर्सरी में पौधों की मोरों से सुरक्षा हेतु फैन्सिंग कार्य करवाया गया है।
- वर्ष 2014 में कार्यालय वन वर्धन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमें वर्ष 2013–14 के समस्त कार्यों एवं गतिविधियों का समावेश किया गया।
- वर्ष 2013–14 में वन अनुसंधान फार्म गोविन्दपुरा के आसपास के 291 परिवारों को 745 टन धामण घास (*Cenchrus ciliaris*) निकासी के रूप में नि:शुल्क दी गयी। वर्ष 2014–15 में दिसम्बर, 2014 तक आसपास के ग्रामीणों के 216 परिवारों को 478 टन धामण घास (*Cenchrus ciliaris*) निकासी के रूप में नि:शुल्क दी गयी।

बीज, मृदा व जल की जांच :– वनवर्धन शाखा की मृदा व बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं न केवल विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गये बीज, मिट्टी व पानी के नमूनों की जांच करती है अपितु आम जनता द्वारा लाये गये नमूनों की नि:शुल्क जांच कर उपयुक्त सुझाव देती है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला में वर्ष 2013–14 में वन विभाग के 20 विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त 50 वानिकी प्रजातियों के बीजों के 177 सैम्पल एवं 2014–15 में माह दिसम्बर, 2014 तक 142 सैम्पल का परीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाई गई है। इसी प्रकार वन विभाग के कार्यालयों एवं किसानों से वर्ष 2013–14 में 6 सैम्पल जल के तथा 24 सैम्पल मृदा के और इस वर्ष दिसम्बर, 2014 तक जल के 4 एवं मृदा के 16 सैम्पलों की जांच कर रिपोर्ट सम्बन्धित को भिजवाई गई है।

वानिकी अनुसंधान कार्यों के लिए आफरी, जोधपुर तथा स्थानीय स्तर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग एवं दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र से अनुसंधान में सहयोग हेतु तालमेल किया जाता है।

छाया : एस. के. अग्रवाल

Seed testing of *Cenchrus ciliaris*

10

विभागीय कार्य

विभागीय कार्य योजना:

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरंकुश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई किए जाने के कारण वनों को अत्यधिक क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्ययोजना द्वारा वनों के चिह्नित कूपों को वैज्ञानिक पद्धति से स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकड़ी, कोयला, इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

विभागीय कार्ययोजना के उद्देश्य :

- ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा;
- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरुत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाना ;
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कोयला एवं जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना;
- पिछड़े वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों को उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना; तथा
- राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति करना आदि।

प्रशासनिक व्यवस्था :

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक निम्न प्रकार से कार्यरत हैं –

1. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर
2. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज–II, बीकानेर
3. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ़
4. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर
5. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर

उक्त वन मण्डलों को विभागीय कार्य मण्डल कहा जाता है। बीकानेर, सूरतगढ़ एवं स्टेज–II बीकानेर विभागीय कार्य मण्डलों द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार पूर्व में नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन कराया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में मुख्यत: भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार बांस का विदोहन उदयपुर जिले में करवाया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ाईकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकड़ी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पड़ी लकड़ी के विदोहन का कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों के अधीन कार्यरत प्रादेशिक वन मण्डलों से उनके क्षेत्रों में आंधी तूफान से गिरी पड़ी लकड़ी के एकत्रीकरण का कार्य भी करते हुए उनके निस्तारण का कार्य सम्बन्धित विभागीय कार्य मण्डल द्वारा किया जाता है।

विभागीय कार्ययोजना की विभिन्न योजनाएँ:

लकड़ी व्यापार योजना:

जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढ़ते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकड़ी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है। प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकड़ी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पड़ी लकड़ी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत्त के वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न सड़कों एवं नहर के किनारों पर खड़े वृक्षों के आंधी–तूफान से गिरने अथवा सूख जाने पर उनसे भी कुछ मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है। मार्च, 1999 में दसवर्षीय वर्किंग प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में खड़े परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्ध रूप से विदोहन आरम्भ किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष कराये गए वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय एवं उत्पादन का विवरण अग्रानुसार है :–

वर्ष	उत्पादन (क्विंटल में)		योग	प्राप्त राजस्व
	इमारती लकड़ी	जलाऊ लकड़ी	(लाख क्विंटल)	(₹ लाखों में)
2012–13	1.60	2.89	4.49	1880.62
2013–14	3.86	4.00	7.86	2484.50

लकड़ी व्यापार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 हेतु आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित उत्पादन एवं राजस्व की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:–

(माह जनवरी 2015 तक)

योजना का नाम	राजस्व (₹ लाखों में)		उत्पादन (लाख क्विंटल में)				पातन एवं परिवहन व्यय	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	ईमा. लकड़ी	जलाऊ लकड़ी	योग	आवंटन	प्राप्ति
लकड़ी व्यापार योजना	2500.00	2096.00	7.00	2.76	3.11	5.87	600	427.41

बाँस विदोहन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग स्कीम के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये हैं, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। गत 3 वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं आय की सूचना निम्न प्रकार है:–

वर्ष	मानक बांस उत्पादन (संख्या लाखों में)		मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (₹ लाखों में)
	लक्ष्य	उपलब्धि	
2011–12	12.00	14.01	298.24
2012–13	12.00	15.79	357.19
2013–14	12.00	15.55	308.40

बांस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित उत्पादन एवं राजस्व आय की प्रगति निम्नानुसार है:–

(माह जनवरी, 2015 तक)

योजना का नाम	उत्पादन		राजस्व आय (राशि ₹ लाखों में)	
	लक्ष्य (लाखों में मानक बांस)	वास्तविक उत्पादन (लाखों में मानक बांस)	लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति
बांस योजना	9.00	6.10 लाख मानक बांस	270.00	102.09 लाख

बांस कल्चरल कार्य :-

इस मद के अन्तर्गत विभागीय कार्य मण्डल के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत विदोहित होने वाली बांस की वन उपज को पुन: संवर्धित करने के लिए निम्न मदों में बजट आवंटन किया गया है जिसका कार्य प्रगति पर है।

मद	आवंटित राशि
4406-01-796-15-00 तेहरवें वित्त आयोग के अन्तर्गत बांस कल्चरल कार्य (700 हैक्टेयर)	₹ 146.70 लाख
4406-796-16-16- नाबार्ड योजना के अन्तर्गत (1000 हैक्टेयर)	₹ 163.45 लाख)
4406-01-102-16-नाबार्ड योजना के अन्तर्गत अन्य गतिविधियों हेतु	₹ 76.73 लाख

अन्य कार्य :

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डलों के द्वारा स्वीकृत योजना में वन उपज के विदोहन के अतिरिक्त करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :

1. वन क्षेत्र जो अन्य परियोजनाओं के लिये हस्तान्तरित किये जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में वन उपज का विदोहन।
2. प्रादेशिक वन मण्डलों में गिरी-पड़ी लकड़ी का निष्पादन।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों के किनारे से प्राप्त वन उपज का विक्रय करना।
4. उदयपुर वन मण्डल द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना एवं आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत बांस उत्पादन बढ़ाने हेतु बांस थूरों में कल्चरल कार्य भी करवाये जा रहे हैं।

छाया : आर. के. ग्रोवर

बांस डिपो

11

तेन्दू पत्ता योजना

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, अलवर एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते हैं।

राजस्थान राज्य में तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण कर वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेंसियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक्–पृथक् सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें सम्बन्धित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण– कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती हैं। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1974 में यह दर ₹ 18 से 20 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी जो निरन्तर वृद्धि के पश्चात् वर्ष 2014 के संग्रहण काल हेतु ₹ 750 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

पिछले वर्ष से माह अक्टूबर 2014 तक न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं होने से वर्ष 2015 के लिए भी संग्रहन दर ₹ 750 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता उत्पादन क्षेत्रों को इकाइयों में विभक्त कर इकाई का गठन किया जाकर उनका बेचान नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाइयों में राज्यादेश के अनुरूप विभागीय तौर से पत्ता संग्रहित करवाया जाकर पत्तों का नीलामी द्वारा बेचान किया जाता है, अथवा पड़त रखा जाता है।

वर्ष 2014 के लिए राज्य की कुल 168 इकाइयों का गठन किया गया, जिनके बेचान से लगभग ₹ 606.00 लाख की आय प्राप्त होने का अनुमान है।

छाया : आर. के. ग्रोवर

बांसवाड़ा जिले की वन सम्पदा का विहंगम दृश्य

वर्ष 2014 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ₹ 750 प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई थी। वर्ष 2014 में कुल 1,77,000 मानक बोरा तेन्दू पत्ता संग्रहित हुआ तथा लगभग ₹ 1327.50 लाख पारिश्रमिक के रूप में श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा चुकाया गया।

गत तीन वर्षों में वास्तविक राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार रही हैं:–

क्र. सं.	विवरण	वास्तवित राजस्व प्राप्तियां (₹ लाखों में)			
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 दिसम्बर, 14 तक
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	1056.79	1919.13	968.00	568.00
2.	अन्य विविध आय	15.51	12.41	12.18	5.26
	योग	**1072.30**	**1931.54**	**980.18**	**573.26**

वर्ष 2015 के संग्रहण काल हेतु राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समितियों का गठन किये जाने के पश्चात् माह अक्टूबर में संभाग स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाकर वर्ष 2015 के संग्रहण काल हेतु ₹ 750 प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2015 के लिए राज्य में कुल 168 तेन्दू पत्ता इकाइयों का गठन किया जाकर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जा चुका है तथा उक्त इकाइयों के विक्रय हेतु निविदाएं दिनांक 29.12.14 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 30.12.14 को खोली जा चुकी है।

राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 एवं राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम 2011 के नियम 26 (2) व 26 (3) की पालना में वर्ष 2011–12 की अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को तेंदू पत्ता योजना से प्राप्त शुद्ध आय राशि ₹ 308.72 लाख रुपये का पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में आवंटन किया जा चुका है, परन्तु राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2013 द्वारा नियम 26 (2) व (3) में संशोधन कर शुद्ध आय के स्थान पर सकल आय प्रतिस्थापित करने के कारण वर्ष 2012–13 की सकल आय को उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में वितरण हेतु राशि ₹ 830.24 लाख के प्रस्तावित किये गये थे जिसमें से ₹ 394.37 लाख अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं तथा राशि ₹ 284.81 लाख सम्बन्धित पी.डी. खाते में हस्तान्तरित कर दिए हैं। शेष राशि ₹ 151.06 लाख के हस्तान्तरण हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को लिखा गया है।

12

सूचना प्रौद्योगिकी

वन विभाग का सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त के अधीन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी के नियंत्रण में कार्य कर रहा है। चालू वर्ष में इस प्रभाग द्वारा किए गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है :–

विभागीय वेबसाइट (rajforest.nic.in) का विकास एवं संधारण :

राजस्थान वन विभाग की विभागीय वेबसाइट ई–गवर्नेंस सुविधाओं के अन्तर्गत आती है। यह विभाग की विभिन्न जानकारियाँ, गतिविधियाँ, परियोजनाएं एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुंचाने का एक सुगम माध्यम है। विभाग की नवीन जानकारियों को भी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आमजन को उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में इस वेबसाइट पर राजस्थान की वन सम्पदा के क्षेत्रफल, प्रकार एवं उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियां, वनों के सम्बन्ध में लागू होने वाले अधिनियम व नियम, वन प्रबंध एवं वन संरक्षण गतिविधियों एवं विकास परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना आमजन को उपलब्ध कराई गयी हैं। वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति का मासिक विवरण, विभागीय अधिकारियों के पदस्थापन की सूचना, नागरिक अधिकार पत्र इत्यादि पूर्व वर्ष की भांति उपलब्ध कराया गया है, एवं समय–समय पर अपडेट किया गया है।

विभागीय वेबसाइट के माध्यम से विभाग के कार्य–कलापों को आम जन के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाने हेतु इस वर्ष नवीन

सूचनाओं का समावेश किया गया है। विभागीय वेबसाइट पर सही एवं शीघ्रतापूर्वक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभागों को उनसे सम्बन्धित पृष्ठ आवंटित कर उनमें संशोधन एवं नवीन सूचनाएं दर्शाने की सुविधा प्रदान की गयी है। परिणामस्वरूप आमजन को नवीनतम सूचनाएं उपलब्ध हुई हैं।

जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग

1. स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर के सहयोग से कैडस्ट्रल स्तर पर वन एटलस बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अन्तर्गत जयपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, चूरू, सीकर, सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं, बूंदी, पाली, अलवर, अजमेर, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, राजसमंद, कोटा, जालौर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, करौली एवं झालावाड़ जिले के वन खण्डों का डिजिटाइजेशन कार्य किया गया है। डिजिटाइजेशन के उपरान्त जी.आई.एस. डेटा का उपयोग करते हुए जयपुर व सीकर जिलों के वन प्राथमिक एटलस बनाये गये हैं।
2. इस क्रम में दौसा, नागौर, टोंक वन मण्डलों के लिए एटलस बनाने का कार्य प्रगतिरत है।
3. फील्ड स्तर पर जीआईएस तकनीकी सम्बन्धी जानकारी देने हेतु समय-समय पर फील्ड स्तर के कर्मचारी/अधिकारियों को प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान की जाती है।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान को समस्त टेरिटोरियल वन मण्डलों के वन खण्डों एवं वन्य जीव क्षेत्रों के लिए अभ्यारण्यों व राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं का डिजिटल GIS Data तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। इन्दिरा गाँधी परियोजना क्षेत्र के डेजर्ट जोन में आने वाले वन मण्डलों के वन खण्डों की वन सीमाओं को डिजिटाइज करने का कार्य अतिरिक्त तकनीक DGPS के माध्यम से करने का प्रयास जारी है। इस प्रकार Geo Spatial Technology के अन्तर्गत समस्त राजस्थान के वन क्षेत्रों को डिजिटल रूप में लाने का कार्य किया जा रहा है।
5. भविष्य में इन डिजिटल सीमाओं का अनेक कार्यों जैसे- Thematic MAP, Planning Map बनाने तथा मॉनिटरिंग कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इस डेटा का उपयोग करते हुए अनेक वन्य जीव क्षेत्रों के प्रस्तावित Eco-Sensitive Zone Maps तैयार किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे Geo Spatial Data Center को भी यह डेटा उनकी मांग के क्रम में उपलब्ध कराया जा रहा है।

वन प्रबंधन सूचना तंत्र (Forest Management Information System)

विभाग में बेहतर रूप से सूचनाओं के प्रबंधन एवं प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वन प्रबंधन सूचना तंत्र के अन्तर्गत पूर्व में विकसित किये गये Modules का संधारण एवं विकास किया गया है। वन प्रबंधन सूचना तंत्र द्वारा विभाग की अनेक सूचनाओं को कम्प्यूटर में अत्यन्त व्यवस्थित रूप में संधारित करने से समय की बचत के साथ-साथ कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। MPR online में उत्तरोत्तर विकास करते हुए इसे पूर्णतया web based बनाने का कार्य किया गया है। Posting Information System में अधिकारी व कर्मचारियों की Posting सम्बन्धित सूचनाओं को संकलित किया जा रहा है जिससे प्रशासनिक कार्यों हेतु सूचनाएं त्वरित व एकरूपता से उपलब्ध हो सके।

MPR Online द्वारा वर्तमान में वन मण्डलों द्वारा सूचनाएं अपलोड करने एवं इनका प्रभावी संकलन का कार्य किया जा रहा है। वन विभाग में MIS के व्यापक विकास हेतु इस वित्तीय वर्ष में Raj Comp के माध्यम से विस्तृत सिस्टम स्टडी एवं विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप Integrated application के विकास करने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इससे पृथक-पृथक रूप से चल रही आई.टी. गतिविधियों के एकीकरण की दिशा में नवीन कदम होगा जो भविष्य में नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए विभाग एवं आमजन के लिए उपयोगी होगा।

वन भू अभिलेख सूचना तंत्र (Forest Land Record Database Application)

वन भू-अभिलेखों के रिकार्ड संधारण एवं अपडेशन हेतु NIC जयपुर के माध्यम से Forest Land Record Database विकसित करने हेतु एक ऑन लाइन एप्लीकेशन का विकास किया गया है। इसके माध्यम से नागरिकों द्वारा वन भू-अभिलेख को देखा

जा सकेगा। इन भू अभिलेखों में वन खण्ड की विज्ञप्ति के समय में वन खण्ड में आने वाले खसरा नंबर, वन खण्ड में आने वाले वर्तमान खसरा नंबर, वन खण्ड के स्केन्ड खसरा मैप, वन खण्ड की स्केन्ड विज्ञप्ति, वन खण्ड का डिजिटाइज्ड मैप आदि उपलब्ध होगा। इसके अन्तर्गत पायलट रूप में नागौर जिले के लिए समस्त रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दिया गया है। अन्य जिलों के लिए यह कार्य प्रगतिरत है। फिलहाल अनेक वन मण्डलों की वन विज्ञप्तियाँ इस एप्लीकेशन के माध्यम से आमजन के लिए उपलब्ध करायी गयी हैं।

ई-मेल सिस्टम का व्यापक उपयोग

ई-मेल के माध्यम से सूचनाओं के त्वरित प्रवाह हेतु राजस्थान सरकार के डोमेन (rajasthan.gov.in) पर विभागीय अधिकारियों के लिए जारी किये गये E-mail IDs अब NIC के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। भारत सरकार की FCA Monitoring Application में सरकारी ई-मेल सिस्टम का व्यापक उपयोग किया जा रहा है एवं अधिकाधिक रूप से अधिकारीगण इसकी सुविधाओं का उपयोग करते हुए दैनिक कार्यालय सम्बन्धित कम्युनिकेशन में त्वरित रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहे हैं। इससे समय एवं श्रम में बचत हुई है।

वन कार्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी

राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों भवनों को सेक्रेटेरियल लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़े जाने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग के मुख्यालय वन भवन, अरावली भवन तथा जयपुर जन्तुआलय में SECLAN कार्यरत है, जबकि कार्यालय वनवृद्धन अधिकारी, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कार्यालय वन मण्डल जयपुर (उत्तर), रेंज आमेर, रेंज जयपुर तथा रेंज नाहरगढ़ में इसे स्थापित करने हेतु कार्यवाही कर दी गयी है।

विभाग में जयपुर से बाहर 116 कार्यालयों को Rajswan से जोड़ा जाना है। अभी तक 25 कार्यालयों में Rajswan की कनेक्टिविटी उपलब्ध हुई है।

कम्प्यूटरीकरण (Computerization)

वित्तीय वर्ष 2014-15 में फील्ड स्तर तक के अधिकारीगणों को आईटी सम्बन्धी कार्यों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए कम्प्यूटर संसाधनों एवं इनके संधारण हेतु राशि ₹ 46.11 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आईटी कार्यों में तकनीकी कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए फील्ड स्तर के कार्यालयों में वांछित राशि ₹ 52.00 लाख का प्रावधान कर Man with Machine की सुविधा दी गई है। इस प्रकार फील्ड स्तर तक आई.टी. सम्बन्धित कार्यों में सुदृढ़ता आने से सूचनाओं के सम्प्रेषण सुगम होगा एवं विभाग में एक सुदृढ़ आधार तैयार होगा।

विभाग में ई-प्रोक्यूरमेंट से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-प्रोक्यूरमेंट हेतु DOIT के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया गया है तथा DSC (Digital Signature Certificate) जारी करवाये गये हैं एवं टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के यूजर नेम एवं पासवर्ड तैयार कर जारी करवाये गये हैं।

राजस्थान राज्य लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम के अन्तर्गत एक लाख से अधिक राशि के निविदा State Public Procurement Portal पर प्रदर्शित किये जाने अनिवार्य है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा सभी कार्यालय अध्यक्षों को User ID एवं Password उनके आवेदन पर उपलब्ध करवाये गये हैं। अब तक कुल 71 आवेदन पर User ID एवं Password उपलब्ध करा दिये गये हैं।

ई-ग्रीन वॉच : भारत सरकार, माननीय सर्वोच्च-न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए ई-ग्रीनवाच पोर्टल पर अपडेटिंग कार्य प्रगतिरत है। सभी वन मण्डलों एवं रेजों को उनके यूजर नेम व पासवर्ड दे दिये गये हैं। उनके द्वारा सूचना अपलोड की जा रही है। संभाग स्तर पर प्रशिक्षण भी आयोजित किये गये हैं। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में भी संभागवार प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं। इस संदर्भ में ई-ग्रीन वॉच एप्लीकेशन में प्रविष्टि के कार्यों में काफी प्रगति हुई है। कार्य सतत रूप से जारी है।

13

मानव संसाधन विकास

वन प्रशिक्षण :

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रोद्योगिकी तकनीकी के उपयोग से परिचित रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर विभिन्न विषयों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिया जावे।

राज्य में वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों में इसी अनुरूप दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं, एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय की आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन किए जा रहे हैं।

विभाग द्वारा मानव संसाधन प्रबन्ध एवं विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु तीन संस्थाएं यथा वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में स्थित है। प्रशिक्षण कार्यों की राज्य के संदर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी विषयों/ विधाओं के उच्च कोटि के वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था है। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ने ज्ञान को कार्य से जोड़ने की रणनीति पर आधारभूत एवं व्यापक कार्य आरम्भ किया है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राज्य के वानिकी प्रशिक्षण संस्थाओं में विभाग के सभी कार्यालयों से प्राप्त सुझावों एवं प्रतिभागियों से प्राप्त पृष्ठ पोषण के आधार पर प्रशिक्षण कैलेण्डर बनाया जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम

छाया सौजन्य : राजेश शर्मा

सर्वेयर प्रशिक्षण कोर्स में प्रशिक्षणार्थी ई.पी.एस. का उपयोग करते हुए

आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में विभाग के सभी संवर्गों के लिए कौशल संवर्धन, थीमेटिक व कार्यानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके अतिरिक्त एनसीसी कैडेट्स तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों हेतु पर्यावरण जागरूकता एवं पौधारोपण तकनीक पर भी प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

प्रशिक्षणार्थियों को अच्छी किस्म के बीज एकत्रीकरण हेतु राजस्थान के वनों में विद्यमान स्थानीय उपयोगी प्रजातियों से बीज एकत्रीकरण हेतु Plus Tree की पहचान करने हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया है।

राज्य के तीनों प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2014–15 में माह दिसम्बर, 2014 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण अग्रांकित है :–

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर

- Lites Upgradation प्रशिक्षण हेतु कुल 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाकर 32 सहायक वन संरक्षकों/क्षेत्रीय वन अधिकारियों/वनपाल/लिपिक ग्रेड–I/लिपिक ग्रेड–II को प्रशिक्षित किया गया।
- 186 क्षेत्रीय वन अधिकारियों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया।
- 32 उप वनसंरक्षक/सहायक वन संरक्षकों को

सार्वजनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता का प्रशिक्षण दिया गया।

- 97 उप वन संरक्षण/सहायक वन संरक्षकों को पांच कार्यक्रम आयोजित कर ई–ग्रीन वॉच कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।
- 23 उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षकों को सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रशिक्षित किया गया।
- 50 मंत्रालयिक कर्मचारियों को सूचना का अधिकार व सुगम पोर्टल का प्रशिक्षण दिया गया।
- 67 मंत्रालयिक कर्मचारियों को सेवा नियमों व अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रशिक्षण दिया गया।
- 76 मंत्रालयिक कर्मचारियों को कार्यालय प्रक्रिया का दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- 163 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया गया।
- 54 छात्रों एवं अध्यापकों को 6 कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण चेतना सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया।
- 23 उप वन संरक्षकों/सहायक वन संरक्षकों को ''एक्जीक्यूटिव डवलपमेंट प्रोग्राम'' अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया।
- सभी संवर्गों के 44 अधिकारियों/कार्मिकों के लिए ''प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण'' कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।
- 16 उपवन संरक्षक/सहायक वन संरक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया।

छाया सौजन्य : राजेश शर्मा

आई. टी. कक्षा में कम्प्यूटर की आधारभूत जानकारी प्राप्त करते प्रशिक्षणार्थी

- राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता फेज–2 कार्यकारिणी की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण (वन), अलवर

- 32 कार्मिकों को 'पौध तैयारी एवं नर्सरी तकनीक' विषय पर प्रशिक्षण देने हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- 32 वनपाल/वनरक्षकों को म.गा. नरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रशिक्षण दिया गया।
- 30 वनरक्षकों को वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्ध कार्यक्रम में प्रशिक्षण किया गया।
- वन संरक्षण एवं इसके लाभ विषय पर चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 238 छात्रों व अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।
- 23 वनपालों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।
- ग्राम्य वन प्रबंध एवं सुरक्षा समिति के सदस्यों/वनपालों/वनरक्षकों के लिए 5 दिवसीय ट्रेवलिंग वर्कशॉप आयोजित की गई।
- 26 वन रक्षकों हेतु 14 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कर प्रशिक्षित किया गया।
- नव नियुक्त 51 वन रक्षकों को तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया।

मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर

मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में वर्ष 2014–15 में प्रस्तावित प्रशिक्षण कलेण्डर अनुसार अब तक (माह दिसम्बर, 2014 तक) कुल 6 विभिन्न प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित की गई जो निम्नानुसार हैं:–

नवनियुक्त सर्वेयरों का नियमित प्रथम (आधारभूत) प्रशिक्षण :

दिनांक 18.05.2014 से 19.06.2014 तक वन विभाग में नवनियुक्त सर्वेयरों का नियमित प्रथम (आधारभूत)

छाया सौजन्य : राजेश शर्मा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (TREE) डॉ. एस. एस. चौधरी मरूवन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर के छात्रावास का निरीक्षण करते हुए

प्रशिक्षण, प्रथम बार एक माह का प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया गया जिसमें राजस्थान में सवाईमाधोपुर, करौली, मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर, वन्य जीव कोटा, वन्य जीव उदयपुर, सहायक वन संरक्षक सीता माता अभ्यारण्य धरीयावद, वन बन्दोबस्त उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, वन्य जीव राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर (उत्तर), स्टेज प्रथम छत्तरगढ़, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, स्टेज द्वितीय जैसलमेर वन मण्डलों से भेजे गये 20 प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किया जाकर सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 9 प्रशिक्षणार्थियों ने उच्च श्रेणी तथा 11 ने विशिष्ट श्रेणी प्राप्त की।

पर्यावरण जागरूकता प्रशिक्षण:–

दिनांक 29.08.2014 को आदर्श रा.उ.प्राथ. विद्यालय मधुवन हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में एक दिवसीय पर्यावरण जागरूकता का प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें विद्यालय के 51 छात्र/छात्राओं को वन एवं वन्य जीव तथा पर्यावरण जागरूकता का प्रशिक्षण दिया गया । संस्थान के अधिकारियों द्वारा छात्रों को स्थानीय वन्य जीवों की जानकारी दी गई, तथा उनके पर्यावरणीय महत्त्व के बारे में बताया गया। छात्रों, शिक्षकों एवं उपस्थित अभिभावकों को पौधारोपण की जानकारी दी जाकर मौके पर विद्यालय में पेड़ लगवाये गये तथा इनका पर्यावरण में योगदान समझाया गया। छात्रों को वर्तमान में पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण तथा निवारण की जानकारी दी गई। राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन के द्वारा सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीणों के रोजगार सृजन तथा आर्थिक उन्नयन के बारे में भी अवगत करवाया गया।

वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण प्रेमी चेतना प्रशिक्षण:–

चालू वर्ष में एक दिवसीय 2 प्रशिक्षण वन एवं वन्य जीव तथा, पर्यावरण प्रेमी चेतना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें वन रक्षक, वनपाल/सहायक वनपाल एवं वी.एफ.पी.एम.सी. सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। दिनांक 05.09.2014 को वन मण्डल पाली रेंज मारवाड़ जक्शन के फुलाद नाके के काजलवास में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में 135 सहभागियों ने भाग लिया। इसी प्रकार दिनांक 29.10.2014 को वन मण्डल जालौर रेंज जालौर की नाका राजनवाड़ी के जागनाथजी महादेव स्थल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया जिसमें जालौर वन मण्डल के स्टाफ व वी.एफ.पी.एम.सी. के 102 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

नवनियुक्त सर्वेयरों का नियमित द्वितीय (आधारभूत) प्रशिक्षण:–

दिनांक 10.11.2014 से 24.12.2014 तक वन विभाग में नवनियुक्त सर्वेयरों का नियमित (आधारभूत) प्रशिक्षण 45 दिवस का द्वितीय प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया गया जिसमें राजस्थान के बूंदी, सरिस्का अलवर, वन बन्दोबस्त जयपुर, झुंझुनूं, झालावाड़, बारां, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, बनास परि. सवाईमाधोपुर, वन्यजीव माउंट आबू, लूणी परियोजना सोजत पाली, परियोजना बांसवाड़ा, वन्य जीव

छाया सौजन्य : राजेश शर्मा

सर्वेयर प्रशिक्षण दीक्षांत समारोह, जोधपुर

करौली, प्र.मु.व.सं. एवं बन्दो. जयपुर, परियोजना बेगूं चित्तौड़गढ़, वन वृत्तों से भेजे गये 20 प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 9 प्रशिक्षणर्थियों ने उच्च श्रेणी तथा 11 ने विशिष्ट श्रेणी प्राप्त की।

वनपाल/सहायक वनपाल पुन:श्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम:-

दो सप्ताह का वनपाल/सहायक वनपाल पुन:श्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दिनांक 06.01.2015 से 19.01.2015 तक आयोजित किया गया । जिसमें उच्च तकनीक पौधशाला, दूर संवेदन तकनीक, जी.पी.एस., औषधीय पादप, जैव विविधता, मूल्य वर्धक वानिकी, जल एवं मृदा संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन लेखा एवं नाका रिकार्ड, वन क्षेत्र, वनों के प्रकार एवं वन बन्दोबस्त, वन्य जीव अधिनियम 1972, भू-राजस्व अधिनियम 1956, राज. खातेदारी अधिनियम 1955 क्षेत्र वनस्पति, महानरेगा, सम्प्रेषण, तनाव प्रबंध, टकराव प्रबंधन, साझा वन प्रबंध, राजस्थान सेवा नियम सहित विभिन्न वानिकी विषयों की जानकारी काजरी जोधपुर, (आफरी) जोधपुर, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन जोधपुर एवं विभागीय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करायी गयी। प्रशिक्षण में 7 वन मण्डलों के 14 प्रतिभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

राज. वन अधिनियम 1953 एवं (संशोधित) अधिनियम 2012 व 2014 के सम्बन्ध में प्रशिक्षण-

दिनांक 18 एवं 19.09.2014 को मुख्य वन संरक्षक जोधपुर द्वारा मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर के सहयोग से वन भवन में दो दिवसीय उक्त प्रशिक्षण/कार्यालय का आयोजन किया गया जिसमें जोधपुर वृत्त के वन मण्डलों के उप वन संरक्षक से क्षेत्रीय तक अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त प्रशिक्षण में 49 प्रतिभागी उपस्थित रहे।

70वां नियमित वनरक्षक महिला (आधारभूत) प्रशिक्षण:-

दिनांक 14.10.2013 से 13.01.2014 तक महिला वन रक्षकों का नियमित (आधारभूत) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 47 महिला वन रक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। पी.टी. परेड एवं खेलकूद भी आयोजित किये गये।

एक दिवसीय कार्यशाला :- दिनांक 25.02.2014 को फील्ड स्टॉफ हेतु जोधपुर वन मण्डल की रेंज फलोदी/बाप में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें कुल 50 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

एक दिवसीय कार्यशाला :- दिनांक 06.03.2014 को फील्ड स्टॉफ हेतु जोधपुर वन मण्डल की रेंज शेरगढ़/बालेसर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें कुल 74 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण :

विभाग द्वारा कार्मिकों व ग्राम्य वन सुरक्षा समितियों के पदाधिकारियों-सदस्यगणों को स्थानीय वन मण्डल स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यालयी छात्र-छात्राओं तथा अध्यापकों हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

करौली वन मण्डल में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण :

14

सम्मान एवं पुरस्कार

वनों के संरक्षण, विकास, सुरक्षा, विस्तार एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं/विभागीय कर्मचारियों–अधिकारियों को वन विभाग, राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार पुरस्कार स्वरूप नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करते हैं। वन विभाग, राजस्थान द्वारा प्रति वर्ष वन सुरक्षा एवं विकास के लिए कई पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

राज्य सरकार ने दिनांक 26 जून, 2013 को राज्यादेश जारी कर वृक्षारोपण, वन सुरक्षा एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्थान को दिए जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार की राशि में वृद्धि कर इसे दोगुना कर दिया है। आदेशानुसार उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/पंचायत/ग्राम स्तरीय संस्थाओं को अब एक लाख रुपये नकद व प्रशस्ति पत्र तथा वन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा करने वाले व्यक्तियों को पचास हजार रुपये नकद व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जायेंगे।

इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा 7 मार्च, 2014 को एक अन्य आदेश जारी कर वन सुरक्षा, विकास तथा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को पुरस्कार राशि में संशोधन किया गया है जो निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	श्रेणी पुरस्कार	पुरस्कार राशि ₹ में	
		राज्य स्तर पर	जिला स्तर पर
(क)	**वन विकास का उत्कृष्ट कार्य हेतु ''वृक्ष वर्धक'' पुरस्कार**		
1.	वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करने वाले निजी व्यक्ति/कृषक	2,000	1000
2.	वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था/औद्योगिक प्रतिष्ठान	2,000	1000
3.	वृक्षारोपण का सर्वोत्तम कार्य करने वाली शिक्षण संस्था	2,000	1000
4.	वृक्षारोपण का सर्वोत्तम कार्य करने वाली पंचायत	2,000	1000
5.	शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करवाने वाली नगर पालिका/परिषद (स्थानीय निकाय)	2,000	1000
6.	खनन क्षेत्रों को वृक्षारोपण कर पुनर्वास करने वाला व्यक्ति/संस्थान	2,000	1000
(ख)	**वन्य जीव, वन सुरक्षा एवं संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य हेतु ''वन प्रहरी'' पुरस्कार**		
1.	सर्वोत्तम वन सुरक्षा वन प्रबंधन कार्य करने वाली संस्था ''ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति''	2,000	1000
2.	वृक्ष/वनों की सुरक्षा में सहयोग का उत्कृष्ट कार्य करने वाला निजी व्यक्ति/संस्था	2,000	1000
(ग)	**वानिकी प्रसार–प्रचार ''वन प्रसारक'' पुरस्कार**		
1.	प्रचार–प्रसार का सर्वोत्तम कार्य करने वाला निजी व्यक्ति	–	1000
2.	प्रचार–प्रसार का उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था	–	1000
(घ)	**वनपालक पुरस्कार–वनाधिकारियों तथा वन कर्मियों हेतु**		
1.	सर्वोत्तम वन रक्षक	2,000	1000
2.	सर्वोत्तम वनपाल	2,000	1000

क्र.सं.	श्रेणी पुरस्कार	पुरस्कार राशि ₹ में	
		राज्य स्तर पर	जिला स्तर पर
2.	सर्वोत्तम वनपाल	2,000	1000
3.	सर्वोत्तम क्षेत्रीय (प्रथम/द्वितीय श्रेणी)	2,000	1000
4.	सर्वोत्तम वन मण्डल	शील्ड	–
(ङ)	**वानिकी लेखन एवं अनुसंधान पुरस्कार**		
1.	वानिकी क्षेत्र में मौलिक सृजनात्मक एवं अनुसंधान कार्य जैसे लेख, पुस्तक, अनुसंधान, पत्र लिखने वाले व्यक्ति को पुरस्कार	4,000	–
(च)	**''वानिकी पंडित'' पुरस्कार**		
1.	वन सुरक्षा, संवर्धन प्रचार–प्रसार का समग्र रूप से पूरे राज्य में सर्वोत्तम कार्य करने वाला व्यक्ति/निजी संस्था/विभाग (वन विभाग के अति.)	10,000	–

चालू वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किए गए :–

अमृता देवी विश्नोई अवार्ड–2013 पुरस्कार प्रदत्त किए जाने हेतु इस प्रयोजनार्थ गठित तकनीकी समिति द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर निम्नानुसार तीन श्रेणी के पुरस्कारों के विषय में निर्णय लिया गया है:–

श्रेणी – प्रथम : यह पुरस्कार वन विकास एवं वन्य जीवन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति/पंचायत/ग्राम स्तरीय संस्थाओं को दिया जाता है, जिन्होंने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। इस श्रेणी में फाउंडेशन फॉर इकोलोजिकल सिक्योरिटी (FES) प्रतापगढ़ के प्रस्ताव को प्रथम श्रेणी का पुरस्कार ₹ 1,00,000/– एवं प्रशस्ति पत्र देने के लिए अनुमोदन किया।

श्रेणी – तृतीय :– यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, जिसने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। इस श्रेणी में श्री मोखराम धारणीया पुत्र श्री रामस्वरूप धारणीया, मानद् वन्यजीव प्रतिपालक, बीकानेर के प्रस्ताव को तृतीय श्रेणी का पुरस्कार ₹ 50,000/– एवं प्रशस्ति पत्र देने के लिए अनुमोदन किया।

15

संचार एवं प्रसार

वन एवं वन्य जीव संरक्षण, जन साधारण के सहयोग एवं भागीदारी से ही संभव है, जन सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त करने के लिए जनसामान्य को विभाग की गतिविधियों, वन एवं वन्य जीवों से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी सुलभ करवाया जाना आवश्यक है। विभाग द्वारा वन संरक्षण के साथ–साथ वन विकास के कार्य भी किए जाते हैं। इनकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्य तथा उससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों के बारे में जनसाधारण को पूर्ण जानकारी हो। वन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों एवं उनसे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों की जानकारी जन साधारण तक पहुंचाने एवं वन संरक्षण एवं वन संवर्धन के कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग में मुख्यालय एवं परियोजना स्तर पर प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं।

संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) के अन्तर्गत इस वर्ष माह दिसम्बर, 2014 तक मुख्य रूप से निम्न कार्य किये गये हैं :

- राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, (World Forestry Day), 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस (World Earth Day), 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस (World Biodiversity Day), 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day), जुलाई–अगस्त में वन महोत्सव, 16 सितम्बर विश्व ओजोन दिवस (World Ozone Day) एवं 1 से 7 अक्टूबर वन्य प्राणी सप्ताह (Wildlife Week) के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। इन कार्यक्रमों में

छाया : के. आर. काला

गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित करौली वन मण्डल की झांकी

जन चेतना रैली, पौधारोपण कार्यक्रम, वन्य जीव प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघुनाटक आयोजित किये गये।

- 26 जनवरी, 2015 को गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न जिलों में पर्यावरण सम्बन्धी झांकियां निकाली गई हैं। जिला करौली में वन विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा झांकी को सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि करौली जिले में विभागीय झांकी को 26 जनवरी, 2014 तथा 15 अगस्त, 2014 को भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था इस प्रकार **करौली जिल में वन विभाग की झांकी को लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान** मिला है।

करौली वन मण्डल को प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हुए जिला कलक्टर करौली

- सीकर जिले में 26 जनवरी, 2015 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में वन विभाग की झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-2 के अन्तर्गत संचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण गतिविधियां

- वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिसम्बर, 2014 तक संचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के अन्तर्गत मण्डल प्रबंधन इकाई स्तर पर 18 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें समितियों के अध्यक्ष, सदस्य सचिव व स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा अपने अनुभव साझा किये।
- पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संरक्षित वन क्षेत्रों के आसपास स्थित विद्यालयों के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए भी चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- प्रशिक्षण के दौरान इस्तेमाल किये जाने के लिए एक 'फिल्पचार्ट' तैयार किया गया। जिसमें परियोजना सम्बन्धित सभी जानकारी समाहित है।
- परियोजना क्रियान्वयन स्थल तथा अन्य प्रचार-प्रसार कार्यों में इस्तेमाल किये जाने हेतु 'परियोजना लोगो' तथा 'जायका लोगो' के स्टिकर तैयार किये गये हैं।
- वर्ष 2013-14 के प्रशासनिक प्रतिवेदन का प्रकाशन भी किया गया है।
- स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देने हेतु एक लघु पुस्तिका तैयार की गई। जिसे सभी स्वयं सहायता समूह सदस्यों में वितरित किया गया।
- गोडावण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया तथा उसे गोडावण पाये जाने वाले क्षेत्र में वितरित करवाया गया।
- संचार प्रसार एवं प्रशिक्षण का एक सशक्त माध्यम विभागीय वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आम जनता के लिए अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में संचार एवं प्रसार हेतु पृथक् से वेब पेज भी बनाया गया है।

छाया सौजन्य : राजेश शर्मा

संचार का सशक्त माध्यम : साइंस एक्सप्रेस बायोडायवर्सिटी स्पेशल रेल

साइंस एक्सप्रेस विशेष रूप से डिजाइन की गई 16 कोच की वातानुकूलित ट्रेन में स्थापित एक अभिनव मोबाइल प्रदर्शनी है, जो अक्टूबर, 2007 से समस्त भारत में भ्रमण कर रही है। भारत भर में चार सफल चरणों के पश्चात् 2012 से यह प्रतिष्ठित ट्रेन साइंस एक्सप्रेस–जैव विविधता स्पेशल (एस.ई.बी.एस.) के रूप में चल रही है।

रतनगढ़ में रेल का स्वागत करते हुए राज्य के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजकुमार रिणवा

एस.ई.बी.एस. पर लगी अद्यतन प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य भारत की अद्वितीय जैव–विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं उनसे संबंधित विषयों के संबंध में लोगों में, विशेष रूप से छात्रों में, व्यापक जागरूकता पैदा करना है।

16 कोच में से 8 कोच पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से भारत की जैव–भौगोलिक क्षेत्र में फैली असंख्य जैव–विविधता के प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इसमें ट्रांस–हिमालय और हिमालय, गंगा के मैदान, उत्तर–पूर्व भारत, पश्चिमी घाट, रेगिस्तान और अर्ध–शुष्क क्षेत्र, डेक्कन प्रायद्वीप तथा तट और द्वीप का प्रदर्शन शामिल हैं। ये 8 कोच मुख्य रूप से जैव–विविधता, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां (IUCN Red List) जैव विविधता आकर्षण और आजीविका, बायोकल्चर, खतरे/चुनौतियों (जलवायु परिवर्तन), संरक्षण के उपाय, सफलता की कहानियाँ/अनुभव/अद्वितीय कहानियों पर प्रकाश डालते हैं। प्रदर्शनी में संरक्षण चुनौतियों के अलावा समुद्री, तटीय वन्यजीव, माइक्रोबियल तथा कृषि जैव–विविधता और उनके आजीविका के साथ के सम्बन्धों को दर्शाया गया है।

रतनगढ़ प्लेटफॉर्म पर पंक्तिबद्ध विद्यार्थी

जनवरी, 2015 में इस विशेष ट्रेन ने राजस्थान में प्रवेश किया व अनेक स्थानों पर दर्शकों के ज्ञानार्जन के लिए खड़ी रही। 10 जनवरी को इस रेल ने हिसार से रवाना होकर राज्य में रतनगढ़ में प्रवेश किया। यहां इसका स्वागत राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजकुमार रिणवा ने किया। इस अवसर पर राज्य जैव विविधता मण्डल के अध्यक्ष डॉ. एस.एस. चौधरी एवं वन विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केवल रतनगढ़ में ही इस रेल को 300 विद्यालयों के 24,000 छात्रों सहित कुल 54,597 व्यक्तियों ने देखा। रतनगढ़ में तीन दिन के ठहराव के बाद यह ट्रेन लालगढ़ के लिए रवाना हो गई।

ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते विद्यार्थी

16

सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध

पूर्व में वनों का वैज्ञानिक तरीके से विदोहन कर अधिकाधिक आय प्राप्त करना वन विभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। कालान्तर में पर्यावरण के संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न वन मण्डलों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना अनुसर वनों का प्रबन्धन किया जा रहा है।

वनों का प्रत्यक्ष योगदान

❖ नि:शुल्क लघु वन उपज प्राप्ति:

वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्ध में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाकर उन्हें लाभ में हिस्सा दिये जाने के उद्देश्य से 'जनसहभागिता' की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्ण जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वनों तथा वन विकास कार्यों से प्राप्त होने वाले सकल लाभों में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई। वानिकी विकास कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि, पंचायत भूमि अथवा राजस्व भूमि की उत्पादकता बढ़ाने को प्राथमिकता दिये जाने के फलस्वरूप स्थानीय लोगों को घास, छांगण आदि के रूप में करोड़ों रुपये मूल्य की लघु वन उपज नि:शुल्क प्राप्त हो रही है।

❖ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में वनों का योगदान:

वनों का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में काफी महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह योगदान परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से है। वानिकी सेक्टर के विभिन्न घटकों द्वारा राज्य के घरेलू उत्पाद में योगदान इस प्रकार है :

घटक	योगदान (₹ लाखों में)
ईंधन	22250.00
चारा	126815.00
इमारती लकड़ी	17000.00
लघु वन उपज	5400.00
योग	**171465.00**

❖ लघु वन उपज की आपूर्ति

राज्य में ग्रामीणों के सहयोग से प्रबन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली घास व अन्य लघु वन उपज ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से उन्हें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे वनों की सुरक्षा व प्रबन्ध के बदले कुछ न कुछ लाभ भी प्राप्त कर

छाया : ओ. पी. शर्मा

स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण कार्यशाला में उपस्थित ग्रामवासी, वन मण्डल, बांसवाड़ा

सीताफल संग्रहण, स्वयं सहायता सकूल, डांग

सके और वन उपज का वैज्ञानिक प्रबन्धन भी हो सके। विभागीय वृक्षारोपणों से करोड़ों रुपये मूल्य की घास प्रतिवर्ष ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ग्रामवासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

वनों का परोक्ष योगदान

❁ पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में वनों का परोक्ष योगदान सर्वाधिक है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार एक वृक्ष अपनी 50 वर्ष की आयु में 1982 के मूल्यों पर आधारित लगभग ₹ 15 लाख मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान प्रदान करता है। इस प्रकार वनों से प्रतिवर्ष अरबों ₹ मूल्य से अधिक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सेवाएं मानव समाज को प्राप्त होती हैं।

साझा वन प्रबंधन की सुदृढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 17.10.2000 व संरक्षित वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबंध की संकल्पना की क्रियान्विति की जा रही है।

राज्य में 5620 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां/इको डवलपमेंट कमेटियां गठित हैं जो लगभग 8.96 लाख हैक्टेयर (राज्य में वन भूमि का 27%) से अधिक क्षेत्र का प्रबंधन कर रही है। इन ग्राम वन प्रबंध सुरक्षा समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए चालू वर्ष में ₹ 30.00 लाख व्यय किये जायेंगे। यह नवीन योजना भी बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है।

साझा वन प्रबन्ध

प्रदेश में समितियों द्वारा प्रबंधित कुल क्षेत्र में से 2.84 लाख हैक्टेयर, वृक्षारोपण क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्रों के लिए 391 ईको डवलपमेंट कमेटियां गठित की जा चुकी हैं।

राज्य में कार्यरत समितियों में से 5241 पंजीकृत समितियां हैं तथा शेष 379 नवगठित समितियां पंजीकरण की प्रक्रिया में है। समितियों में कुल 6,43,336 व्यक्ति सदस्य हैं जिनमें से 2,28,347 महिलाएं हैं। कुल सदस्यों में 88515 सदस्य अनुसूचित जाति तथा 2,79,776 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से हैं। महिला उप समितियों में 49,806 महिलाएं सदस्य हैं।

राज्य की कुल समितियों में से 3,442 समितियों ने अपने बैंक खाते खोल रखे हैं जिनमें ₹ 1200.87 लाख की धनराशि जमा है। 929 समितियों ने पृथक से अनुरक्षण कोष स्थापित कर रखे हैं जिनमें ₹ 6.82 करोड़ की राशि जमा है। यह अनुरक्षण कोष, संबंधित क्षेत्र में विभागीय गतिविधियों के बन्द होने के बाद क्षेत्र के प्रबंध हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस व्यवस्था से भारी व्यय के बाद तैयार वृक्षारोपणों के बजट के अभाव में नष्ट होने का खतरा कम हो जाएगा। राज्य में कार्यरत वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां, सदस्यता शुल्क, वन उपज के विक्रय व अन्य स्रोतों से आय एकत्रित करती है। संकलित सूचनाओं के अनुसार समितियों के पास ₹ 5.17 करोड़ से अधिक की राशि इस मद में जमा है।

समितियां घास, लघु वन उपज की बिक्री/नीलामी से भी लाभ प्राप्त करती हैं। इस वर्ष इन समितियों को घास से ₹ 6.02 करोड़ से अधिक का लाभ प्राप्त हुआ है। समितियों की गतिविधियों से कुल 3,33,527 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

राज्य की 2,276 समितियों ने अपने-अपने क्षेत्र का सूक्ष्म नियोजन बनाया हुआ है तथा 1,358 समितियों की प्रबंध योजना

भी बन चुकी है। इन समितियों को 254 गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं।

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा की जा रही गतिविधियां

घास की सुरक्षा एवं विभाजन

राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रावधानों के अनुरूप ये समितियां इन प्रबन्धकीय वन क्षेत्रों से नि:शुल्क घास प्राप्त कर रही हैं जिससे ग्रामीणों की आवश्यकता व जीविकोपार्जन में सहयोग मिल रहा है।

लघु वन उपज संग्रहण

समितियों द्वारा प्रबन्धित क्षेत्र से सीताफल, रतनजोत, पुआड बेर, जामुन, महुआ फल–फूल, बहेड़ा फल, ग्वारपाठा (एलोएवेरा) आंवला फल, शहद, सफेद मूसली व अन्य फल–फूल एकत्रित किया जाता है।

बांस विदोहन एवं विपणन – समितियों द्वारा सुरक्षित व प्रबंधित किये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों की प्रबन्ध योजना स्वीकृत कराई जाकर बांस विदोहन व उसके विक्रय से प्राप्त शुद्ध आय में आधा हिस्सा समितियों को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इन वृक्षारोपण क्षेत्रों का सतत् पोषणीय प्रबन्ध प्रारम्भ हो गया है।

ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्रों से बांस का विदोहन :–

साझा वन प्रबंधन के अन्तर्गत ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा व प्रबंधन से उत्पादित बांसों का स्वीकृत प्रबंध योजनानुसार वर्ष 2013–14 निम्नानुसार विदोहन किया गया है।

क्र.सं.	जिला	वन मण्डल	रेंज	वन सुरक्षा समिति का नाम	विदोहित बांस की संख्या (मानक बांस)	बांस विक्रय से प्राप्त शुद्ध आय (₹)	समिति को प्राप्त हिस्सा राशि (₹)
1.	उदयपुर	उदयपुर	सराड़ा, सलुम्बर, उदयपुर	उदयपुर, केवड़ा, गावडापाल, नयाखेड़, लई	44,447	7,04,742	3,52,371
		उदयपुर (उत्तर)	सायरा, गोगुन्दा	गणावल, सूरजगढ़	95,829	15,06,308	7,53,154
2.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	बांसी	दाणीतलाई	21,288	6,27,582	3,31,791
		योग			**1,61,564**	**28,38,632**	**14,19,316**

जीविकोपार्जन गतिविधियां

साझा वन प्रबंध के क्षेत्र में उदयपुर संभाग के वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में सहभागिता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वनों की सुरक्षा व विकास का कार्य स्थानीय जनता की सहभागिता प्राप्त कर ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों/परिस्थितिकीय विकास समिति के माध्यम से किया जा रहा है तथा इसमें उत्तरोत्तर उत्साहवर्धक परिणाम हो रहे हैं। विभाग इसमें नये आयाम स्थापित कर रहा है। वन/वृक्षारोपण क्षेत्रों के प्रबंधन से जहां स्थानीय समिति को घास व लघु वन उपज नि:शुल्क प्राप्त हो रहे हैं, वहीं प्रबन्धित क्षेत्र की प्रबंध योजना (Management Plan) बनाकर विदोहित वन उपज की बिक्री से प्राप्त शुद्ध लाभ का आधा हिस्सा भी समिति को प्राप्त होता है।

वर्तमान में उदयपुर संभाग में 1725 वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियाँ कार्यरत हैं जिनकी कुल सदस्य संख्या 2,89,491 है।

यह समिमियाँ 1,95,344 हैक्टेयर क्षेत्र का प्रबन्धन कर रही हैं इनके खाते में ₹ 992.44 लाख जमा हैं।

ये समितियां वन विभाग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है, जहां एक और किसी वन अपराध के घटित होने पर विभाग को सूचना देती है, वहीं वन अपराध की रोकथाम, धरपकड़ में साथ देती है। कई स्थानों पर समितियां वन भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में अत्यन्त सतर्क है, तथा अतिक्रमण नहीं होने देती है। प्रबंधित क्षेत्र से घास व लघु वन उपज का प्रक्रिया तय कर एकत्रीकरण कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। विभाग भी वृक्षारोपण क्षेत्रों में आर.एफ.बी.पी.–2 योजनान्तर्गत इस प्रकार की स्थानीय प्रजातियां रोपित कर रहा है, जिससे कि सदस्यों को जहां उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति हो रही है, वहीं वन उत्पाद के संग्रहण, मूल्य संवर्धन व विपणन से इनकी आय में वृद्धि हो रही है। आय में वृद्धि, वनों पर निर्भरता में कमी व सतत् पौषणीय वन प्रबंध हेतु विभाग इन वन उत्पाद के मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सहयोग कर विभिन्न आय सृजन गतिविधियों के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान हेतु प्रयासरत है।

छाया सौजन्य : आर.एफ.बी.पी.–2

परियोजनान्तर्गत शामुपरा, राजसंमद में समिति की बैंठकों हेतु निर्मित हॉल

छाया : ओ. पी. शर्मा

वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति पाटिया, रेंज देवला वन मण्डल, उदयपुर (उत्तर) से चर्चा करते हुए वनाधिकारी

छाया सौजन्य : आर.एफ.बी.पी.–2

आजीविका अर्जन गतिविधियां :

स्वयं सहायता समूह

राज्य में निवास करने वाले आदिवासी जन समुदाय एवं निर्धन व पिछड़े वर्ग के ग्राम समुदाय अपनी आजीविका के लिए निकटवर्ती वनों पर अधिक आश्रित होते हैं। ये समुदाय वनोपज निकास कर अपना जीवन चलाते हैं और अनजाने ही वनों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से विभाग इनके स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर, विभिन्न उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग, विक्रय आदि का प्रशिक्षण व कार्य आरम्भ करने हेतु, ऋण के रूप में पूंजी उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका अर्जन के अवसर देता है जिसमें ग्रामवासियों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ उनकी आय बढ़ सके जिसके फलस्वरूप वनों के दबाव घट सके।

वन आधारित समुदायों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। गांव–गांव में स्वयं सहायता समूह विकसित किए जाकर उन्हें आय के नियमित स्रोत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में कुल 2630 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं जिनमें से 1723 समूह केवल महिलाओं के हैं।

वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को जीविकोपार्जन कार्य के नए विकल्प प्रदान कर आर्थिक सम्बल प्रदान किये जाने का प्रयास किया गया है, जिससे स्थानीय रूप से उपलब्ध वन अथवा गैर वन उपज का मूल्य संवर्धन किया जाकर उत्पादों के विपणन से पहले से अधिक आय होने लगी है। इन गतिविधियों से जहां वृक्षारोपण/वन क्षेत्रों के संरक्षण व संवर्धन में स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त होने लगा है, वहीं इन क्षेत्रों के सतत् पोषणीय वन प्रबन्ध (Sustainable forest management) की भावना विकसित किये जाने में मदद मिलने लगी है।

जीविकोपार्जन गतिविधियों हेतु प्रथमत: उपलब्ध स्थानीय उपज की पहचान / चिह्नीकरण (Identification) किया जाकर उक्त उपज के मूल्य संवर्धन किये जाने हेतु स्थानीय ग्रामीणों में जागरूकता पैदा की जाकर, क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करवाया गया है। इन गतिविधियों के संचालन हेतु बाह्य संस्थाओं यथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर, फूड एवं डेयरी टेक्नोलॉजी एवं उद्यानिकी विभाग, कोनबेक–सिंहदुर्ग महाराष्ट्र व अन्य संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण दिलवाया गया है।

छाया सौजन्य : आर.एफ.बी.पी.–2

वन मण्डल, जयपुर (उत्तर) में स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित बांस की टोकरी उद्योग

स्थानीय ग्रामीणों को आय अर्जन के वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उदयपुर संभाग में 1209 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है। इन समूहों द्वारा आय अर्जन हेतु निम्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है:–

1. अगरबत्ती निर्माण एवं विक्रय
2. ग्वार पाठा रस/जैल निर्माण
3. हर्बल गुलाल निर्माण
4. सीताफल पल्प निष्कर्षण
5. बांस फर्नीचर निर्माण
6. दाल मिल संचालन
7. जामुन/आम/आंवला आदि का शर्बत निर्माण
8. एडवेंचर टूरिज्म/ ईको टूरिज्म
9. खाद/बीज क्रय कर किसानों को उपलब्ध कराना

वन मण्डल, बाड़मेर में स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित कशीदा उद्योग

10. सामाजिक प्रयोजनों हेतु बर्तन भण्डार
11. कृषि उपकरण क्रय करना एवं कृषकों को उपलब्ध कराना
12. अनाज बैंक
13. आटा चक्की
14. मसाला उद्योग
15. पेपर बॉक्स विपणन
16. मुर्गी पालन
17. सिलाई प्रशिक्षण एवं सिलाई कार्य
18. थ्रैशर संचालन

उक्त स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों के सीधे ही उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु चेतक सर्कल, उदयपुर पर एक विक्रय केन्द्र भी खोला गया है जिस पर नियमित रूप से इन उत्पादों का विक्रय हो रहा है।

परिशिष्ट–1

राज्य का जिलेवार अभिलेखित वन क्षेत्र

राज्य के भिन्न–भिन्न जिलों में अभिलेखित वन क्षेत्रों की स्थिति भिन्न–भिन्न है। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र करौली जिले में तथा न्यूनतम चूरू जिले में हैं। राज्य के सभी जिलों के वन क्षेत्र की नवीनतम स्थिति का अवलोकन निम्न सारणी से किया जा सकता है।

राज्य में जिलेवार वन क्षेत्र (31.3.2014)

(वर्ग किमी. में)

नाम जिला	भौगोलिक क्षेत्र	आरक्षित वन	रक्षित वन	अवर्गीकृत वन	कुल वन भूमि	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत
अजमेर	8481	195.420720	418.525380	4.495810	618.441910	7.2
अलवर	8380	1003.142100	642.655900	137.816800	1783.614800	21.28
बांसवाड़ा	5037	0.000000	1005.944470	0.442100	1006.386570	19.97
बारां	6992	0.000000	2225.313100	14.377000	2239.690100	32.03
बाड़मेर	28387	20.295500	569.457780	37.662030	627.415310	2.21
भरतपुर	5066	0.000000	421.968900	12.965500	434.934400	8.58
भीलवाड़ा	10455	437.795700	274.637100	67.256000	779.688800	7.46
बीकानेर	27244	0.000000	746.684080	502.378220	1249.062300	4.58
बूंदी	5550	824.988980	723.961300	8.383200	1557.333480	28.06
चित्तौड़गढ़	10856	1202.557700	590.431490	0.425300	1793.414490	16.52
चूरू	16830	7.197700	33.391250	32.363650	72.952600	0.43
दौसा	3432	134.872100	148.692200	0.929100	284.493400	8.29
धौलपुर	3033	7.915600	597.720260	32.750000	638.385860	21.05
डूंगरपुर	3770	257.083560	426.406870	9.262900	692.753330	18.37
श्रीगंगानगर	10978	0.000000	238.416700	395.024270	633.440970	5.77
हनुमानगढ़	9656	0.000000	113.246600	126.213400	239.460000	2.48
जयपुर	11143	677.567200	263.275800	4.820000	945.663000	8.29
जैसलमेर	38401	0.000000	203.320360	378.271490	581.591850	1.51
जालौर	10640	122.238200	298.049200	32.317400	452.604800	4.25
झालावाड़ा	6219	413.458340	930.605280	5.730700	1349.794320	21.70
झुंझुनूं	5928	6.023100	399.293100	0.040000	405.356200	6.84
जोधपुर	22850	4.676000	175.174800	70.289200	250.140000	1.09
करौली	5524	62.990730	1693.126250	53.930000	1810.046980	32.77
कोटा	5217	885.961980	430.892260	5.605000	1322.459240	25.34
नागौर	17718	0.800000	206.233000	33.895000	240.928000	1.36
पाली	12387	816.560400	144.513359	2.508200	963.581959	7.78
प्रतापगढ़	–	930.876400	734.974500	0.456230	1666.307130	–
राजसमंद	3860	277.406028	119.170836	4.701000	401.277864	10.39
सवाईमाधोपुर	4498	789.278060	155.164670	8.440130	952.882860	21.18
सीकर	7732	9.920000	622.404000	7.030000	639.354000	8.26
सिरोही	5136	614.041560	984.722400	39.886500	1638.650460	31.90
टोंक	7194	96.427400	231.289200	2.330000	330.046600	4.58
उदयपुर	13419	2639.768205	1493.360500	9.205700	4142.334405	30.87
योग	**342239**	**12439.263263**	**18263.022895**	**2042.201830**	**32744.487988**	**9.57**

स्रोत : का.प्र.मु.व.सं. (का.आ.व.व.), राज

परिशिष्ट–2

राज्य का जिलेवार वनावरण

भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान (फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया) द्वारा प्रकाशित भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, 2013 (स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013) के अनुसार राज्य में जिलेवार वनावरण की स्थिति निम्नानुसार है :–

नाम जिला	भौगोलिक क्षेत्रफल	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	झाड़ी वन
		अत्यन्त सघन	सामान्य सघन वन	खुले वन	कुल		
अजमेर	8,481	0	34	248	282	3.33	217
अलवर	8,380	59	335	809	1,203	14.36	255
बांसवाड़ा+	5,037	0	83	292	375	7.44	85
बारां	6,992	0	149	935	1,084	15.50	113
बाड़मेर	28,387	0	4	174	178	0.63	103
भरतपुर	5,066	0	31	212	243	4.80	87
भीलवाड़ा	10,455	0	34	193	227	2.17	129
बीकानेर	27,244	0	27	183	210	0.77	37
बूंदी	5,550	0	146	307	453	8.16	145
चित्तौड़गढ़+	10,856	0	595	1,080	1,675	15.43	159
चूरू	16,830	0	5	87	92	0.55	6
दौसा*	–	–	–	–	–	–	–
धौलपुर	3,033	0	82	338	420	13.85	55
डूंगरपुर+	3,770	0	44	212	256	6.79	42
गंगानगर	20,634	0	29	160	189	0.92	3
हनुमानगढ़*	–	–	–	–	–	–	–
जयपुर	14,069	13	114	504	631	4.49	402
जैसलमेर	38,401	0	45	132	177	0.46	35
जालौर	10,640	0	11	190	201	1.89	182
झालावाड़	6,219	0	83	309	392	6.30	91
झुंझुनूं	5,928	0	24	171	195	3.29	188
जोधपुर	22,850	0	2	91	93	0.41	125
करौली*	–	–	–	–	–	–	–
कोटा	5,443	0	153	460	613	11.26	106
नागौर	17,718	0	11	110	121	0.68	99
पाली	12,387	0	216	444	660	5.33	263
प्रतापगढ़*	–	–	–	–	–	–	–
राजसमंद	3,860	0	131	294	425	11.01	52
सवाईमाधोपुर	10,528	0	252	1,046	1,298	12.33	375
सीकर	7,732	0	31	162	193	2.50	184
सिरोही+	5,136	0	300	613	913	17.78	163
टोंक	7,194	0	33	134	167	2.32	56
उदयपुर+	13,419	0	1,420	1,700	3,120	23.25	454
योग	**342,239**	**72**	**4,424**	**11,590**	**16,086,**	**4.70**	**4,211**

* दौसा, हनुमानगढ़, करौली व प्रतापगढ़ जिलों का वनावरण मूल जिलों क्रमशः जयपुर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ के साथ दर्शाया गया है क्योंकि इनकी सीमाएं भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान में पृथक् से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। + राज्य के आदिवासी जिले।

स्रोत : वन स्थिति रिपोर्ट 2011

परिशिष्ट–3

राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

वर्ष 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक)

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	परिवर्तित आय–व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	माह तक कुल व्यय	केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय
1.	संसाधन, सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	54.35		1.958	
2.	परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण	2,648.43		1,572.362	
3.	जैव विविधता संरक्षण मय पारिस्थितिकी पर्यटन	510.69		115.327	
4.	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	400.00	300.00	0,000	
5.	कृषि वानिकी	398.01		190.137	
6.	बाघ परियोजना रणथम्भौर	4,018.54	3,400.07	203.150	133.670
7.	बाघ परियोजना सरिस्का	2,630.00	2,380.00	127.200	94.920
8.	अन्य अभ्यारण्यों का संधारण	718.40	620.00	191.970	158.390
9.	गोरधन ड्रेन	553.45		310.480	
10.	राष्ट्रीय मरू उद्यान का विकास	101.00	80.00	36.160	21.250
11.	चिड़ियाघरों का सुधार	175.01	70.01	55.870	
12.	संचार एवं भवन	1,600.00		760.500	
13.	सांभर नम भूमि परियोजना	108.97	76.28	0.000	
14.	भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	232.33		133.800	
15.	गंगनहर वृक्षारोपण	326.18		205.680	
16.	कैम्पा कोष	50.00		0.000	
17.	पर्यावरण वानिकी	397.59		84.660	
18.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	22,000.00		8,600.00	
19.	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वन्य जीव)	100.01		0.000	
20.	13वां वित्त आयोग	2,703.63		398.440	
21.	पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास	320.00		5.550	
22.	घना पक्षी विहार का विकास	200.00	70.00	30.550	22.620
23.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	44.71		27.581	
24.	साझा वन प्रबंध का सुदृढ़ीकरण	30.00		5.690	
25.	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वनीकरण)	22,405.45		3,687.153	
26.	जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थल नियंत्रण	1,593.19		637.801	
27.	जैविक उद्यान कायलाना	202.02		0.00	
28.	पक्षी राहत केन्द्र	536.01		110.650	

लगातार...

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	परिवर्तित आय–व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	माह तक कुल व्यय	केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय
29.	अवैध खनन की रोकथाम	228.00		0.000	
30.	कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	36.45		24.532	
31.	कैम्पा वृक्षारोपण	6,978.22		2,209.957	
32.	रणथम्भौर बाघ सुरक्षा फाउंडेशन	300.00		0.000	
33.	राजस्थान वन क्षेत्र संरक्षण समिति	291.00		66.020	
34.	नदी घाटी परियोजना	0.14	0.07		
35.	सामान्य निर्देश (वाहन क्रय)	0.03			
	कुल	**72,889.81**	**6,996.43**	**19,793.178**	**430.85**

पौधारोपण कार्य स्थल पर श्रमिकों को पौधारोपण तकनीक का व्यवहारिक प्रशिक्षण, झालावाड़

परिशिष्ट–4

वार्षिक योजना 2014–15 की महत्त्वपूर्ण भौतिक प्रगति

क्र.सं.	योजना/मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	दिसम्बर, 2014 तक उपलब्धियां
1	2	3	4	5
A	**वानिकी**			
i.	कृषि वानिकी (पौध तैयारी)	लाखों में	60.00	57
ii.	पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण)	है.	300	290
iii.	भाखड़ा नहर एवं गंग नहर वृक्षारोपण	रो.कि.मी.	900	880
iv.	परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण (वृक्षारोपण)	है.	6314	6300
v.	जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	1100	1035
B	**नाबार्ड**			
i.	नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	22046	22046
C	**भू–संरक्षण**			
i.	भू–संरक्षण (वृक्षारोपण)	है.	200	190
D	**बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना**			
i.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना स्टेज– II वृक्षारोपण	है.	27330	20100

छाया : के. आर. काला

वन मण्डल करौली में जल संरक्षण हेतु निर्मित ऐनीकट

परिशिष्ट–5

नेशनल पार्क, अभयारण्य एवं कन्जर्वेशन रिजर्व की सूची

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
अ.	**राष्ट्रीय उद्यान**			
1.	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान	सवाईमाधोपुर	282.03	एफ11(26)रेवेन्यू/8/80/दिनांक 1.11.80
2.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	28.73	एफ3(5)(9)/8/72/दिनांक 27.08.81
3.	मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान	कोटा, चित्तौड़गढ़	199.55*	एफ11(56) वन/2001/पार्ट दिनांक 09.01.12
	योग एन.पी.		**510.31**	
ब.	**अभयारण्य**			
1.	सरिस्का अभयारण्य	अलवर	492.29	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
(अ)1.	सरिस्का 'अ'	अलवर	3.0122	प.1(24) वन/08/दिनांक 20.06.2012
2.	दर्रा अभयारण्य	कोटा, झालावाड़	83.44	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
3.	वन विहार अभयारण्य	धौलपुर	25.60	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
4.	जयसमंद अभयारण्य	उदयपुर	52.34	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
5.	आबू पर्वत अभयारण्य	सिरोही	326.10	प.11(40) वन/97/दिनांक 15.4.08
6.	कुंभलगढ़ अभयारण्य	राजसमंद, उदयपुर एवं पाली	610.528	एफ10(26)रेवेन्यू/ए/71/दिनांक 13.7.71
7.	तालछापर	चूरू	7.19	एफ379/रेवेन्यू/8/59/दिनांक 4.10.62
8.	सीतामाता अभयारण्य	उदयपुर, चित्तौड़गढ़	422.94	एफ11(9)रेवेन्यू/8/78/दिनांक 2.1.79
9.	राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य	कोटा, बूंदी, सवाई–माधोपुर, करौली, धौलपुर	274.75	एफ11(12)/रेवेन्यू/8/78/ दिनांक 7.12.79

* The area of Mukandra Hills National Park comprises of 156.32 sq. km. of Darrah wild life sanctuary, 37.98 sq. km. of Jawahar Sagar wild life sanctuary and 5.25 sq. km. of National Chambal sanctuary.

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
10.	नाहरगढ़ अभयारण्य	जयपुर	52.40	एफ11(39) रेवेन्यू/8/80/दिनांक 22.9.80
11.	जमवारामगढ़ अभयारण्य	जयपुर	300.00	एफ11(12) रेवेन्यू/8/80/दिनांक 31.5.82
12.	जवाहर सागर अभयारण्य	कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़	182.11	एफ11(5) 13/रेवेन्यू/8/73/ दिनांक 9.10.75
13.	राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य	जैसलमेर, बाड़मेर	3162.00	एफ3(1)73/रेवेन्यू/8/79/ दिनांक 4.8.80
14.	रामगढ़ विषधारी अभयारण्य	बूंदी	307.00	एफ11(1) रेवेन्यू/8/79/दिनांक 20.5.82
15.	भैंसरोडगढ़ अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	201.40	एफ11(44) रेवेन्यू/8/81/दिनांक 5.2.83
16.	कैलादेवी अभयारण्य	करौली , सवाईमाधोपुर	676.82	एफ11(28)रेवेन्यू/8/83/दिनांक 19.7.83
17.	शेरगढ़ अभयारण्य	बारां	81.67	एफ11(35)रेवेन्यू/8/83/दिनांक 30.07.83
18.	टॉटगढ़ रावली अभयारण्य	राजसमंद, अजमेर, पाली	475.235	एफ11(56)रेवेन्यू/8/82/दिनांक 28.9.83
19.	फुलवारी की नाल अभयारण्य	उदयपुर	511.41	एफ 11(1) रेवेन्यू/8/83/दिनांक 6.10.83
20.	सवाईमानसिंह अभयारण्य	सवाईमाधोपुर	113.07	एफ11(28) रेवेन्यू/8/84/दिनांक 30.11.84
21.	बंध बारेठा अभयारण्य	भरतपुर	199.24	एफ11(1) एनवायरमेंट/दिनांक 7.10.85
22.	सज्जनगढ़ अभयारण्य	उदयपुर	5.19	एफ11(64) रेवेन्यू/8/86/दिनांक 17.2.87
23.	बस्सी अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	138.69	एफ11(41) रेवेन्यू/8/86/दिनांक 29.8.88
24.	रामसागर अभयारण्य	धौलपुर	34.40	एफ39(2) एफओआर/55/दिनांक 7.11.55
25.	केसरबाग अभयारण्य	धौलपुर	14.76	एफ39(26) एफओआर/55/ दिनांक 7.11.55
	Total WLS		**8753.5852**	
	Grand Total NP/WLS		**9263.8952**	

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक	वि.वि.
स.	**कन्जर्वेशन रिजर्व**				
1.	बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व	टोंक	48.31	प.3(19) वन/2006/ दिनांक 13.10.08	जरख भेड़िया, जंगली सुअर, मोर, गिद्ध
2.	जोडबीड़ गाढवाला बीकानेर कन्जर्वेशन रिजर्व	बीकानेर	56.4662	प.3(22) वन/2008/ दिनांक 25.11.08	चिंकारा, रोजड़ा, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, सियार, गिद्ध की 7 प्रजातियां
3.	सुन्धा माता कन्जर्वेशन रिजर्व	जालोर, सिरोही	117.4892	प.3 (22) वन/2008/ दिनांक 25.11.08	बघेरा, जरख भालू, लोमड़ी, जंगली मुर्गा
4.	गुढा विश्नोईयान कन्जर्वेशन रिजर्व	जोधपुर	2.3137*	प.3 (2) वन/2011/ दिनांक 15.12.11	Black Buck, Chinkara
5.	शाकम्भरी कन्जर्वेशन रिजर्व	सीकर, झुन्झुनूं	131.00	प.3 (16) वन/2009/ दिनांक 09.02.12	
6.	गोगेलाव कन्जर्वेशन रिजर्व	नागौर	3.58	प.3 (17) वन/2011/ दिनांक 09.03.12	Chinkara, Jackal, Wild Cat, Wold
7.	बीड़ झुन्झुनूं कन्जर्वेशन रिजर्व	झुन्झुनूं	10.4748	प.3 (47) वन/2008/ दिनांक 09.03.12	Jackal, Indian Hare, Rat Snake, Indian Cobra, Indian Peafowl
8.	रोटू कन्जर्वेशन रिजर्व	नागौर	0.7286	प.3 (8) वन/2011/ दिनांक 29.05.12	Black Buck, Chinkara
9.	उम्मेदगंज पक्षी विहार कन्जर्वेशन रिजर्व	कोटा	2.7247	प.3 (1) वन/2012/ दिनांक 05.11.12	Saras Crane, Wooly Necked Storks Pintails, Shovellers, Mallards, Spot Billed Ducks
10.	जवांई बांध, कंजर्वेशन रिजर्व	पाली	19.7858	एफ.3(4)वन/2012 दिनांक 27.02.2013 एवं दिनांक 03.07.2013	मगरमच्छ तथा समीपस्थ क्षेत्र में लेपर्ड
	Total CR		**392.873**		
	G. Total NP/WLS/CR		**9656.7682**		

वन विभाग का

माननीय वन

अति. मुख्य

शासन सचिव, वन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान, जयपुर

प्रमुवसं एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज., जयपुर

अप्रमुवसं, ईको ट्यूरिज्म, जयपुर
वसं ईको ट्यूरिज्म

अति. प्रमुवसं वन्य जीव, जयपुर
प्रावैधिक सहायक
उवसं (आयोजना) वजी, जयपुर

मुवसं वजी, जयपुर
प्रावैधिक सहायक
उवसं. (प्रशासन)
- वसं, वन्य जीव, जयपुर
- उवसं, वन्य जीव, जयपुर
- उवसं चिड़ियाघर, जयपुर
- वसं एवं क्षे.नि. सरिस्का, अलवर
- उवसं एवं उ.क्षे.नि. बाघ परियोजना सरिस्का
- सवसं उ.द.

मुवसं वजी, जोधपुर
उवसं (प्रशासन)
- उवसं वजी, जोधपुर
- उवसं वजी, जैसलमेर
- उवसं वजी, आबू पर्वत
- उवसं वजी, बीकानेर
- सवसं उ.द.

मुवसं वन्य जीव, कोटा
प्रावैधिक सहायक
- उवसं वजी, कोटा
- उवसं वजी, मुकुन्दरा ने.पा., कोटा
- उवसं वजी राचअ, स.मा.
- सवसं उ.द.

मुवसं वन्य जीव, उदयपुर
उवसं (प्रशासन)
- उवसं वजी, चित्तौड़गढ़
- उवसं वजी, उदयपुर
- उवसं वजी, राजसमंद
- सवसं उ.द.

मुवसं वन्य जीव, भरतपुर
- वसं एवं क्षेनि. बाघ, रणथम्भौर
- प्रावैधिक सहायक
- उवसं एवं उक्षेनि–I आरटीपी, स.मा.
- उवसं एवं उक्षेनि–II आरटीपी, करौली
- उवसं वजी, भरतपुर
- उवसं विलेज रिलोकेशन, स.मा.
- उवसं विलेज रिलोकेशन, करौली

अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशासन)

मुवसं संस्थापन
उवसं (संस्थापन) राज.
मुवस एवं प्रा.स., प्रमुवसं
उवसं (अराजपत्रित)
वसं एवं प्रा.स.

अति प्रमुवसं परि.सूत्री. एवं कॉर्डिनेशन
प्रावैधिक सहायक
उवसं कोर्डिनेशन

अप्रमुवस श्रम एवं विधि
प्रावैधिक सहायक
- उवसं श्रम एवं विधि
- उवसं लिटिगेशन
- संयुक्त विधि परामर्शी
- वरि. विधि सहायक

अप्रमुवस (मुख्यालय)
प्रावैधिक सहायक
मुवसं (मु.) जयपुर
- उवस जांच
- उवसं विधानसभा
- उवसं आरटीआई
- उवसं एवं प्रा.स., प्रमुवसं
- उवसं सतर्कता

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयो. एवं वन बन्दो. राज.
उवसं (प्रशासन)

अप्रमुवसं (उत्पा.)
प्रावैधिक सहायक
उवसं (प्रशासन)

मुवसं विका, जयपुर
प्रावैधिक सहायक
- उवसं विकामं, बीकानेर
- उवसं विकामं, उदयपुर
- उवसं विकामं, सूरतगढ़
- उवसं विकामं, जयपुर
- उवसं स्टेज–II, बीकानेर

अप्रमुवसं का.आ. जयपुर
उवसं कार्य आयोजना

अप्रमुवसं, एनटीएफपी, जयपुर
- उवसं, तेन्दू पत्ता, जयपुर
- वसं, मेडि. प्ला., जयपुर
- उवसं मेडि. प्ला., जयपुर

अप्रमुवसं सूचना प्रौद्योगिकी
प्रावैधिक सहायक
- उवसं सू. प्रौ.
- सवसं सूचना प्रौद्योगिकी

संभागीय मुवसं, उदयपुर
- वसं, एम एण्ड ई, उदयपुर
- उवसं (प्रशासन)
- उवसं (विधि)

- उवसं, उदयपुर
- उवसं, उदयपुर (उत्तर)
- उवसं, डूंगरपुर
- उवसं, बांसवाड़ा
- उवसं, राजसमंद
- उवसं, चित्तौड़गढ़
- उवसं, प्रतापगढ़
- काआअ, उदयपुर
- उवसं आयो. एवं प्रबो., उदयपुर
- सवसं उ.द., उदयपुर
- वबअ, उदयपुर

संभागीय मुवसं, जयपुर
- वसं, एम एण्ड ई, जयपुर
- उवसं (प्रशासन)
- उवसं (विधि)

- उवसं, जयपुर
- उवसं, जयपुर (उत्तर)
- उवसं, अलवर
- उवसं, सीकर
- उवसं, झुंझुनूं
- उवसं, दौसा
- काआअ, जयपुर
- वबअ, जयपुर
- उवसं आयो. एवं प्रबो., जयपुर
- सवसं उ.द., जयपुर

परिशिष्ट–6

संगठनात्मक ढांचा

मंत्री, राजस्थान

सचिव, वन

उप शासन सचिव, वन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
टी.आर.ई.ई., राज.

उवसं (प्रशासन)

अप्रमुवसं (भू.सं.)
प्रावैधिक सहायक
उवसं (प्रशासन)

मुवसं, एफपीआर परि., जयपुर
प्रावैधिक सहायक
भूसंअ, सोजत
भूसंअ, कृषि स.माधोपुर
वअअ एवं भूसंअ, भीलवाड़ा
उवसं, टोंक

मुवसं आरवीपी, कोटा
प्रावैधिक सहायक
उवसं, बेगूं
उवसं, बांसवाड़ा
उवसं, आबू रोड

अप्रमुवसं (एफसीए)
प्रावैधिक सहायक
मुवसं (एफसीए)
उवसं (एफसीए)

अति.प्रमुवसं (एम एण्ड ई)
प्रावैधिक सहायक

मुवसं पी.एफ.ई.
वसं सी ई, जयपुर

अप्रमुवसं (वन सुरक्षा)
प्रावैधिक सहायक
मुवसं (वन सुरक्षा)
उवसं (वन सुरक्षा)

परि. निदे. आरएफबीपी
अ. परि. निदे. विकास
अ. परि. निदे. प्रशासन
संयुक्त परि. निदेशक
उप निदे. प्रशासन
उप निदे. विकास

वित्तीय सलाहकार
लेखाधिकारी
सहा. लेखाधिकारी–3

अप्रमुवसं (प्रशि.अनुसंधान)
वसं, प्रशिक्षण, जयपुर
उवसं, प्रशिक्षण, जयपुर
उवसं प्रशिक्षण, अलवर
उवसं प्रशिक्षण, जोधपुर

मुवसं, सिल्वीकल्चर, जयपुर
वसं, सिल्वीकल्चर, जयपुर
उवसं अनुसंधान, जयपुर
अनुसंधान अधिकारी बीज
स. उद्यान विज्ञ, जयपुर
मृदा अधिकारी, जयपुर

अति.प्रमुवसं (विकास)
प्रावैधिक सहायक

मुवसं (आयोजना), जयपुर
उवसं आयोजना, जयपुर
उवसं नाबार्ड
उवसं स.प्र.प्र.

अप्रमुवसं (ईजीएस)
वसं (जेएफएम)
उवसं ईजीएस

संभागीय मुवसं, कोटा
वसं, एम एण्ड ई, कोटा
उवसं (प्रशासन)
उवसं (विधि)
उवसं, कोटा
उवसं, बारां
उवसं, बूंदी
उवसं, झालावाड़
काआअ, कोटा
वबअ, कोटा
उवसं आयो. एवं प्रबो., कोटा
सवसं उ.द., कोटा

संभागीय मुवसं, अजमेर
वसं, एम एण्ड ई, अजमेर
उवसं (प्रशासन)
उवसं (विधि)
उवसं, अजमेर
उवसं, भीलवाड़ा
उवसं, टोंक
उवसं, नागौर
काआअ, अजमेर
उवसं आयो. एवं प्रबो., अजमेर
सवसं उड़नदस्ता

संभागीय मुवसं, भरतपुर
वसं, एम एण्ड ई, भरतपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं (विधि)
उवसं, करौली
उवसं, धौलपुर
उवसं, भरतपुर
उवसं, सवाई माधोपुर
काआअ, भरतपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., भरतपुर
सवसं उड़नदस्ता

संभागीय मुवसं, बीकानेर
वसं, एम एण्ड ई, बीकानेर
उवसं (प्रशासन)
उवसं (विधि)
उवसं, बीकानेर
उवसं, स्टे–II, खण्ड–I, बीकानेर
उवसं, स्टे–II, खण्ड–II, छतरगढ़
उवसं, हनुमानगढ़
उवसं, श्रीगंगानगर
उवसं, चूरू
काआअ, बीकानेर
वबअ, बीकानेर
उवसं आयो. एवं प्रबो., बीकानेर
सवसं उ.द., बीकानेर

संभागीय मुवसं, जोधपुर
वसं, एम एण्ड ई, जोधपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं (विधि)
उवसं, पाली
उवसं, जालोर
उवसं, बाड़मेर
उवसं, जोधपुर
उवसं, सिरोही
उवसं, जैसलमेर
उवसं, इगानप स्टेज–II जैसलमेर
काआअ, जोधपुर
वबअ, जोधपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., जोधपुर
उवसं, लिटिगेशन, जोधपुर
सवसं उ.द., जोधपुर

नोट : **का.आ.अ.**–कार्य आयोजना अधिकारी, **व.ब.अ.**–वन बन्दोबस्त अधिकारी, **उवसं आयो एवं प्रबो**–उवसं, आयोजना एवं प्रबोधन, **सवसं उ.द.**–सवसं, उड़न दस्ता, **सं.प्र.प्र.**–संचार प्रसार एवं प्रशिक्षण, **व.जी.**–वन्य जीव।

परिशिष्ट-7

2011-12 से वर्ष 2013-14 तक एवं बजट अनुमान 2014-15 के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2014 तक हुई वास्तविक प्राप्तियों का विवरण

(₹ लाखों में)

लेखा शीर्षक राजस्व मद 0406	वास्तविक प्राप्तियां वर्ष 2011-12	वास्तविक प्राप्तियां वर्ष 2012-13	वास्तविक प्राप्तियां वर्ष 2013-14	बजट अनुमान वर्ष 2014-15	माह दिसम्बर, 2014 तक कुल अर्जित आय
101-01 इमारती लकड़ी व अन्य वन उत्पाद की बिक्री से आय	8.14	40.23	7.18	1.50	7.31
101-02 जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	2111.37	2020.76	2487.30	2500.00	1845.01
101-03 बांस में प्राप्तियां	298.24	277.40	308.50	270.00	102.09
101-04 घास तथा वन की शुद्ध उपज	147.52	112.47	94.16	99.61	56.09
101-06 तेंदू पत्ता व्यापार योजना 01-तेंदू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	1065.12	1918.35	968.73	1324.83	566.34
101-06-02 अन्य विविध प्राप्तियां	15.39	12.81	12.18	13.25	7.58
योग 101	**3645.78**	**4382.02**	**3878.05**	**4209.19**	**2584.42**
800-01-अर्थ दण्ड और राजसात्करण	1004.38	1584.31	988.02	1575.78	729.00
800-02-शिकार अनुज्ञा शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
800-03 व्ययगत निक्षेप	1.33	0.87	0.18	0.27	0.00
800-04 ऐसे वनों में प्राप्त राजस्व, जिनका प्रबंध सरकार नहीं करती	5.72	4.22	4.27	0.50	4.35
800-05-अन्य विविध प्राप्तियां	1343.76	1540.04	990.66	1405.00	400.88
800-06 गैर वन भूमि के वृक्षारोपण के अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति से प्राप्तियां	120.52	46.77	436.08	0.01	460.21
योग-800	**2475.71**	**3176.31**	**2419.21**	**2981.57**	**1594.44**
योग-01	**6121.49**	**7558.33**	**6297.26**	**7190.76**	**4178.86**

लगातार – 109

लेखा शीर्षक	वास्तविक प्राप्तियां वर्ष 2011-12	वास्तविक प्राप्तियां वर्ष 2012-13	वास्तविक प्राप्तियां वर्ष 2013-14	बजट अनुमान वर्ष 2014-15	माह दिसम्बर, 2014 तक कुल अर्जित आय
050-01-अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	0.00	0.00	0.42	0.01	0.00
050-02-अनुपयोगी सामानों की नीलामी से प्राप्तियां	0.00	0.00	0.36	0.01	0.00
योग-050	**0.00**	**0.00**	**0.78**	**0.02**	**0.00**
02-111-01-चिड़ियाघर से प्राप्तियां	266.34	289.98	281.50	290.00	236.24
02-800-01-इको डवलपमेंट से आय	193.02	208.98	199.56	225.00	125.14
02-800-02 रणथम्भौर बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	172.04	243.32	235.99	270.00	129.15
02-800-03 सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	18.37	45.98	15.43	15.00	12.87
02-800-04 रणथम्भौर बाघ परियोजना में ईको डवलपमेंट	505.34	537.05	506.73	540.00	388.58
02-800-05 सरिस्का बाघ परियोजना में ईको डवलपमेंट से आय	67.49	53.06	58.13	55.00	48.48
050-01-अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	19.22	35.02	29.17	1.80	2.76
050-02-अनुपयोगी सामानों के निस्तारण से प्राप्तियां	12.55	34.53	2.57	1.80	6.36
योग-800	**1254.37**	**1447.92**	**1329.08**	**1398.60**	**949.58**
योग-02	**1254.37**	**1447.92**	**1329.86**	**1398.62**	**949.58**
महायोग	**7375.86**	**9006.25**	**7627.12**	**8589.38**	**5128.44**

नोट : वन विकास कार्यों से प्राप्त लघु वन उपज निःशुल्क स्थानीय ग्रामवासियों को उपलब्ध कराने के फलस्वरूप वर्तमान में प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष आय मुख्यतः तेन्दू पत्ता इकाइयों की सीमित रह गई है। प्राप्त आय का विवरण उपरोक्तानुसार है।

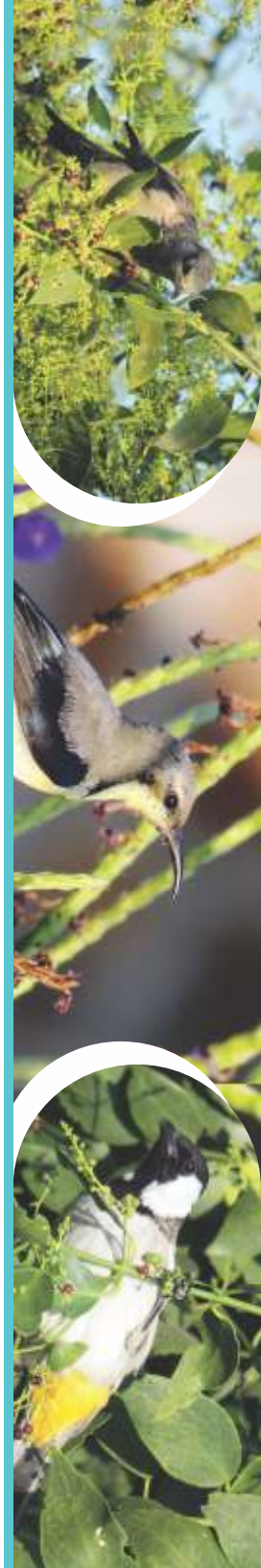

परिशिष्ट–8

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 2012–13 एवं 2013–14 की उपलब्धि एवं वर्ष 2014–15 (माह दिसम्बर, 2014 तक) जिलेवार वृक्षारोपण के लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	जिला	वृक्षारोपण (हैक्टेयर)				रोपित पौधे एवं बीजारोपण से अंकुरित पौधे (सं. लाखों में)			
		उपलब्धि 2012–13	उपलब्धि 2013–14	लक्ष्य 2014–15	उपलब्धि 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक)	उपलब्धि 2012–13	उपलब्धि 2013–14	लक्ष्य 2014–15	उपलब्धि 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक)
1.	अजमेर	1025	1180	800	1195	5.230	8.150	5.20	7.680
2.	अलवर	2519	2322	900	1508	8.970	21.620	5.85	11.000
3.	बांसवाड़ा	4500	2940	2800	3514	25.392	17.242	18.20	22.560
4.	बारां	3320	2955	1600	2000	14.050	17.290	10.40	12.650
5.	बाड़मेर	781	1421	250	405	3.670	8.155	1.63	2.075
6.	भरतपुर	603	1287	200	200	4.020	7.210	1.30	1.010
7.	भीलवाड़ा	1460	1210	1300	1865	9.380	10.320	8.45	13.990
8.	बीकानेर	317	2886	5600	5981	1.960	17.300	36.40	34.900
9.	बूंदी	1021	2565	1200	1478	5.110	15.650	7.80	8.800
10.	चित्तौड़गढ़	3072	2936	2000	2424	14.450	17.640	13.00	19.350
11.	चूरू	548	465	300	367	2.750	2.620	1.95	1.900
12.	दौसा	1272	2000	1200	1645	5.190	13.500	7.80	10.497
13.	धौलपुर	1097	2265	1300	1753	4.618	18.714	8.45	15.868
14.	डूंगरपुर	1324	2228	2200	2945	8.605	17.681	14.30	23.772
15.	श्रीगंगानगर	2125	1417	900	1485	13.445	8.889	5.85	10.493
16.	हनुमानगढ़	818	604	500	827	5.266	3.915	3.25	4.189
17.	जयपुर	1413	2760	2700	2894	3.603	17.525	17.55	17.028
18.	जैसलमेर	3489	4001	4200	5586	19.44	23.372	27.30	28.190
19.	जालौर	605	666	600	1092	3.094	3.593	3.90	6.938
20.	झालावाड़	1384	2322	800	1588	7.250	15.260	5.20	12.140
21.	झुंझुनूं	1001	853	600	978	5.827	4.735	3.90	5.285
22.	जोधपुर	497	702	600	865	2.950	4.140	3.90	4.210
23.	करौली	672	1236	900	1398	3.470	7.409	5.85	9.040
24.	कोटा	1527	1750	2000	2592	7.180	12.699	13.00	15.924
25.	नागौर	626	856	1200	1786	2.680	5.061	7.80	13.335
26.	पाली	2195	1728	1400	2272	9.480	7.820	9.10	8.990
27.	प्रतापगढ़	5600	4865	3000	3946	20.733	36.108	19.50	23.973
28.	राजसमंद	2051	929	600	1057	11.010	5.490	3.90	5.720
29.	सवाईमाधोपुर	788	1120	800	1100	3.850	7.530	5.20	6.800
30.	सीकर	1500	723	1000	1591	7.010	4.810	6.50	10.578
31.	सिरोही	821	1388	1100	1255	5.112	38.313	7.15	8.745
32.	टोंक	1268	1200	1500	1700	5.740	7.800	9.75	11.300
33.	उदयपुर	5864	9942	7105	7699	25.317	66.017	46.17	53.750
	योग	**57103**	**67722**	**53,155**	**68,991**	**275.852**	**473.038**	**345.50**	**443.680**

नव–निर्मित अरण्य भवन (Front)

नव–निर्मित अरण्य भवन (Side)

मुख पृष्ठ : शाहबाद (बारां) में सघन वनों के बीच कुण्डा खोह जलप्रपात, अंतिम कवर पृष्ठ : शाहबाद घाटी का मनोरम दृश्य। ● छाया : मोहनलाल मीना

वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित व प्रसारित। ● मार्च–2015। मुद्रक : पॉपुलर प्रिन्टर्स, जयपुर, फोन : 2606883